अभिलेख और जानकारी

लेखक
अनिल गर्ग

प्रकाशक
संकेत, ग्राम सर्वोदय अभियान एवं श्रुति

अभिलेख और जानकारी

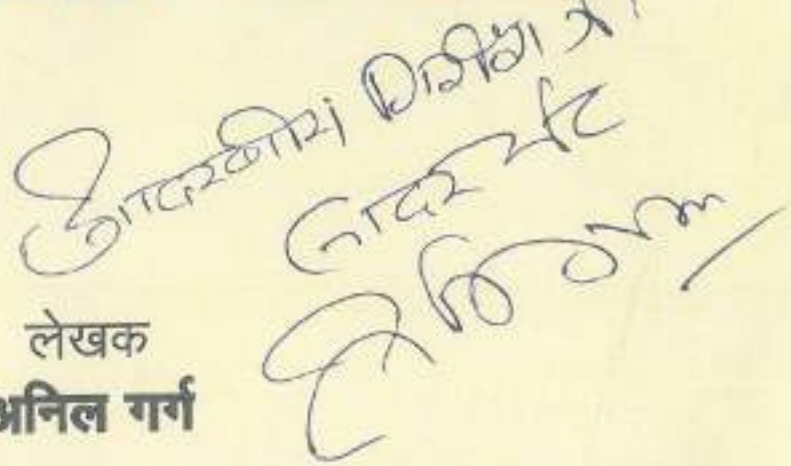

लेखक
अनिल गर्ग

प्रकाशक
संकेत एवं ग्राम सर्वोदय अभियान
एवं
श्रुति संस्था, क्यू. 1, हॉजखास इन्क्लेव
नई दिल्ली – 110 016

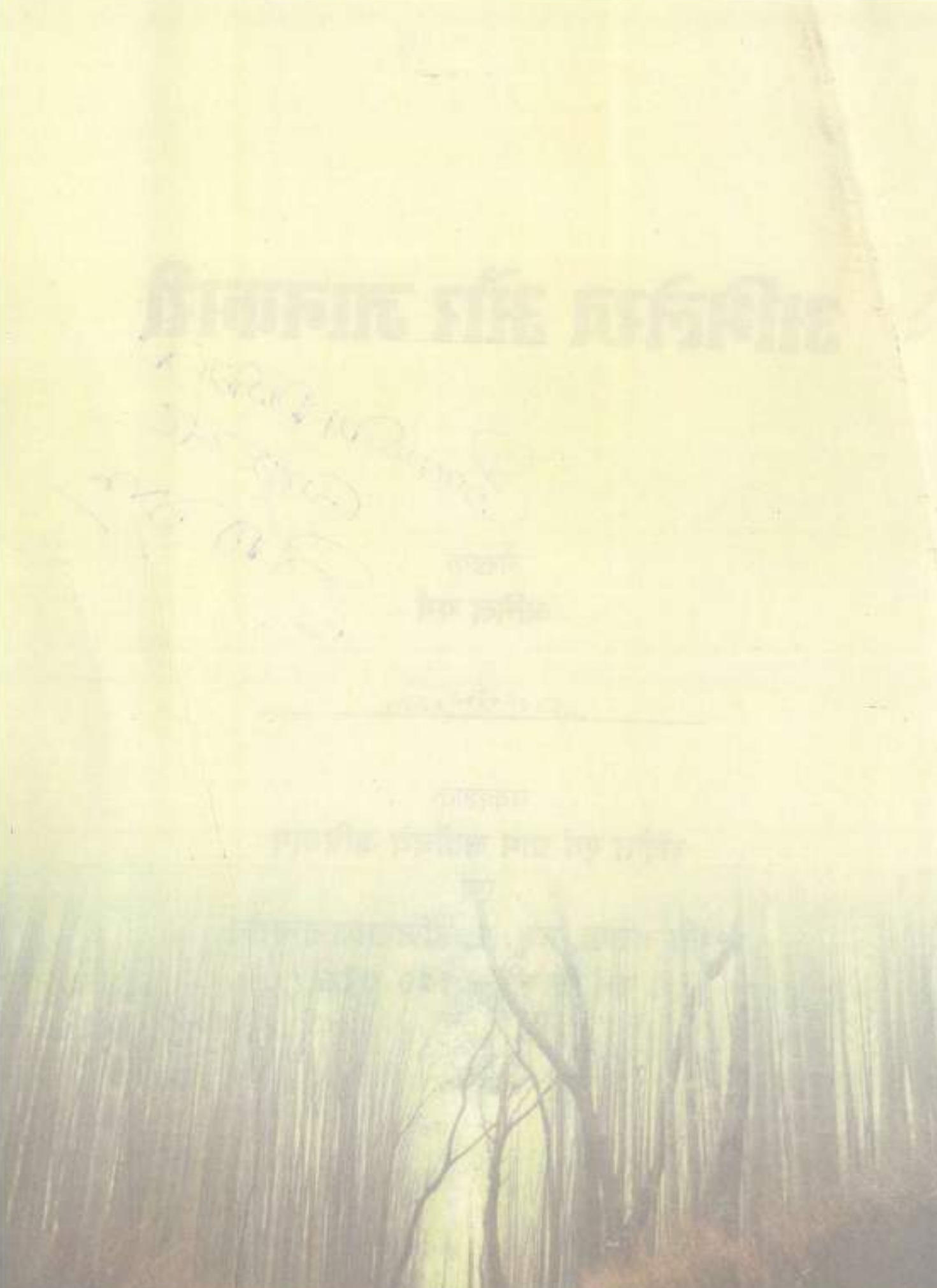

किताब का नाम	–	अभिलेख और जानकारी
लेखक	–	अनिल गर्ग
पता	–	कोठी बाजार, बैतूल (म.प्र.)
सम्पर्क नम्बर	–	09425636979
ई–मेल	–	garganil1956@gmail.com
प्रकाशक	–	श्रुति संस्था, क्यू. 1, हॉजखास इन्क्लेव नई दिल्ली – 110016
समन्वय	–	संकेत संस्था एवं ग्राम सर्वोदय अभियान ग्राम–गौरा, पो. बरखेड़ा नाथू, एम. पी. स्टेट शूटिंग एकेडमी के पास, नीलबड़, भोपाल – 462044 (म.प्र.)
टंकक	–	उमाशंकर पवार
वर्ष	–	2018
प्रतियाँ	–	1000
मूल्य	–	250/– रुपये
डिजाइन	–	तनिष्क प्रिंटर्स
मुद्रक	–	तनिष्क प्रिंटर्स, बी–3, प्लाट नं. 7, क्वालिटी परिक्रमा बिल्डिंग प्रेस काम्पलेक्स, जोन–1 एम.पी. नगर, भोपाल

"प्रस्तावना"

"अभिलेख एवं जानकारी"

वन विभाग के वन रक्षक से लेकर प्रधान मुख्य वन संरक्षक को यह नही मालूम की जिन जमीनों को वन विभाग भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 धारा 4(1) एवं धारा 34अ में अधिसूचित भूमि मानते है या जिन जमीनों को नारंगी भूमि, असीमांकित वन भूमि एवं अवर्गीकृत वन भूमि मानते है उन जमीनों से संबंधित राजस्व विभाग के कौन-कौन से अभिलेख है उनमें कौन से ब्यौरें दर्ज है।

वन विभाग ने संरक्षित वन से संबंधित कार्यवाहियां की, उन कार्यवाही के दौरान महत्वपूर्ण रिपोर्ट बनाई, पंजियाँ बनाई, अन्य अभिलेख बनाए लेकिन उनकी जानकारी, उनमें दर्ज ब्यौरों की जानकारी भी वन विभाग के वनरक्षक से लेकर प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारियों को नही मालूम, इस विषय पर वन अधिकारी एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था वन विभाग ने आज तक नही की ।

वन विभाग ने राजस्व अभिलेखों में विभिन्न मदों एवं विभिन्न सार्वजनिक, निस्तारी प्रयोजनों के लिए दर्ज जमीनों को वन भूमि मानकर जो भी कार्यवाहियां की उससे संबंधित अभिलेख राजस्व विभाग को उपलब्ध करवाकर राजस्व अभिलेखों को संशोधित नही किया, राजस्व विभाग के पटवारी एवं अन्य राजस्व अधिकारियों को इस बाबत् कोई जानकारी नही है उनके प्रशिक्षण की भी कोई व्यवस्था नही की गई।

वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों ने स्वयं के अभिलेख और उनमें दर्ज ब्यौरों को समझने का प्रयास नही किया, दोनों ही विभागों ने एक दूसरे के अभिलेख एवं दस्तावेज और उनमें दर्ज ब्यौरों को आपस में बैठकर समझने का भी प्रयास नही किया।

वन विभाग ने राजपत्र में विभिन्न धाराओं के तहत अधिसूचना प्रकाशित की लेकिन उन अधिसूचनाओं के प्रति घोर लापरवाही बरती गई अधिसूचनाओं के आधार पर वन विभाग एवं राजस्व विभाग के अभिलेखों को संशोधित भी नही किया गया, अधिसूचनाओं की प्रतियां संकलित भी नही की गई।

जंगल, जमीन, समाज और उसके अधिकारों से संबंधित प्रावधान **संविधान में किए गए, संसद और विधानसभा ने कानून बनाए, प्रचलित कानूनों में संशोधन किए, न्यायपालिका ने भी इन विषयों को लेकर आदेश दिए,** निर्णय किए।

वन विभाग और राजस्व विभाग ने इस विषय पर एकरूपता कायम कर संविधान, कानून, नियम एवं न्यायालीन आदेशों का पालन किए जाने की कोई कार्यआयोजना नही बनाई, किसी तरह की एकरूपता कायम करने का प्रयास नही किया बल्कि दोनों ही विभाग मनमानी पूर्ण तरीके से लगातार समानान्तर कार्यवाहियां करते आए है।

वन विभाग एवं राजस्व विभाग की समानान्तर कार्यवाहियों, दोनों ही विभागों के द्वारा दोहराई गई कार्यवाहियों ने

समाज से संबंधित विषयों को लेकर लगातार अराजकता और असफलता का इतिहास लिखा, लगातार अन्याय और अत्याचार का इतिहास लिखा, लगातार समाज को वंचित कर अपराधी माने जाने का इतिहास लिखा है।

शासकीय अभिलेखों, दस्तावेजों, अधिसूचनाओं, संविधान, कानून, नियम एवं न्यायालीन आदेशों के दायरे में समानान्तर कार्यवाहियो एवं दोहराई गई कार्यवाहियों में एकरूपता लाए जाने के उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाकर यह पुस्तक तैयार की गई है।

मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य सरकार, वन विभाग एवं राजस्व विभाग संसद द्वारा आजादी के बाद ऐतिहासिक अन्याय स्वीकार कर पारित "वन अधिकार कानून 2006" के जनवरी 2008 से लागू होने के बाद अन्याय दूर किए जाने में स्वयं के अभिलेख, दस्तावेज एवं कार्यवाहियों का ईमानदारी से सहारा लेती तो तस्वीर बहुत ही साफ दिखाई देती, अभी भी जिम्मेदारी और जबाबदेही को स्वीकारते हुए प्रयास किए जाने पर लिखे गए इतिहास की बजाय नया इतिहास लिखा जा सकता है यह पुस्तक और इसकी सामग्री उपयोगी होगी इसी विश्वास के साथ पुस्तक समर्पित है।

अभिलेख और जानकारी

विषय सूची

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	अभिलेख एवं जानकारी, उनका महत्व एवं आवश्यकता	1
2	समानान्तर कार्यवाहियों का इतिहास और शर्मसार प्रजातंत्र	3
3.	समानान्तर कार्यवाहियों का क्रमबद्ध इतिहास	11
4	अभिलेख, दस्तावेज, कानून, न्यायालीन आदेश और अधिसूचना	17
5.	भूमियों से संबंधित समानान्तर कार्यवाही एवं दोहरापन	18
6	दखल रहित भूमि, प्रावधान एवं कार्यवाही	20
7	आजादी के बाद लिखे गए इतिहास का विकल्प	26
8	ग्रामों के प्रकार	33
9	राजस्व अभिलेख, अधिसूचना, कानून, नियम	35
10	राजस्व विभाग के अभिलेख एवं दस्तावेज	43
11	वन अभिलेख, अधिसूचना, कानून और नियम	53
12	वन विभाग के अभिलेख एवं अधिसूचनाऐं	57
13	राजपत्र	62
14	स्थाई और विवाद रहित विकल्प ग्राम संसाधन पंजी	65

संलग्न परिशिष्टों की सूची

परिशिष्ट क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	बाजिब-उल-अर्ज की नमूना प्रति	71
2	बाजिब-उल-अर्ज में दर्ज भूमि अर्जन का प्रारूप "ख(बी)" की नमूना प्रति	76
3	निस्तार पत्रक की नमूना प्रति	77
4	भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 में प्रकाशित अधिसूचना/आदेश	81
5	संरक्षित वन सर्वे डिमारकेशन रिपोर्ट का प्रारूप	83
	सर्वे डिमारकेशन कम्पलीशन रिपोर्ट का प्रारूप	83
	संरक्षित वन क्षेत्रफल पंजी का प्रारूप	83
	संरक्षित वन ब्लॉक हिस्ट्री का प्रारूप	83
	1966 एवं 1975 में अन्तरित की गई भूमि के प्रारूप	84
	आर.एफ. (Reserve Forest) एवं पी.एफ. (Protected Forest) एरिया रजिस्टर में "अधिकारों से संबंधित" प्रारूप	84
6	श्री अशोक मसीह की संक्षेपिका दिनांक 24 जनवरी 1994	85
7	वन विभाग के 1956 से 2000 तक प्रतिवेदित वन भूमि के आंकड़े	88
8	वन विभाग द्वारा धारा 34अ में प्रकाशित अधिसूचनाओं के ब्यौरें	89
9	वन विभाग द्वारा बिना निर्वनीकरण के अन्तरित संरक्षित वन भूमि के ब्यौरें	90
10	राजस्व विभाग द्वारा 1965 से 2000 तक प्रतिवेदित राजस्व भूमि के ब्यौरें	91
11	राजस्व विभाग द्वारा 1969-70 में प्रतिवेदित गैरखातें की भूमि के ब्यौरें	92
12	राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा 1965 से प्रतिवेदित समानान्तर भूमि एवं अन्तर के ब्यौरें	93
13	पटवारी मानचित्र में दर्शाऐं जाने वाले चिन्हों के ब्यौरे	94

"अभिलेख एवं जानकारी, उनका महत्व एवं आवश्यकता"

1950 में भारतीय संविधान लागू होने के बाद "ग्रामीण भूमियों को लेकर दो तरह की कार्यवाहियाँ" वर्तमान मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में तत्कालीन राजस्व विभाग और वन विभाग ने समानान्तर रूप से प्रारम्भ की।

1950 में स्वामित्वाधिकारों के अन्त का कानून जिसे मालगुजारी, जमींदारीं उन्मूलन कानून भी कहा जाता है के संबंध में संविधान में 1951 में किए गए पहले संशोधन के बाद अर्जन की कार्यवाहियां राजस्व विभाग ने की।

1950 से राजस्व विभाग द्वारा अर्जित की गई इन्हीं भूमियों को 1950 से वन विभाग ने पहले तो अपने प्रबन्धन में ले लिया, उसके बाद इन भूमियों को भा.व.अ. 1927 की धारा 29 के अनुसार संरक्षित वन अधिसूचित किया, इनका सर्वे कर धारा 4 में आरक्षित वन बनाए जाने के लिए प्रस्तावित कर धारा 5 से 19 तक की जांच के लिए अधिसूचित किया, धारा 34अ के अनुसार इन्हीं जमीनों को 1965 से 1980 के बीच राजपत्र में निर्वनीकृत किया।

1950 में अर्जित की गई भूमियों को राजस्व विभाग भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 233 धारा 234 एवं धारा 237 के अनुसार गैरखातें की दखल रहित सामुदायिक, सार्वजनिक एवं निस्तारी अधिकारों की भूमि के रूप में धारा 108 के अनुसार बनाए गए अधिकार अभिलेख, धारा 114 के अनुसार बनाए गए खसरा पंजी एवं धारा 234 के अनुसार बनाए गए निस्तार पत्रक और पटवारी मानचित्र में लगातार दर्ज करते रहा है।

1956 में पुनर्गठित मध्यप्रदेश राज्य के राजस्व ग्रामों के राजस्व अभिलेखों में विभिन्न मदों में दर्ज नदी नाले, सड़क रास्तो, आबादी मद में दर्ज **1 करोड़ 53 लाख 61 हजार 925 हेक्टयर** सामुदायिक सार्वजनिक संसाधनों में से **95 लाख 73 हजार 82 हेक्टयर** संसाधनों को वन विभाग ने संरक्षित वन भूमि मान लिया।

1956 से लगातार राजस्व विभाग एवं वन विभाग अपने–अपने अभिलेखों में **95 लाख 73 हजार 82 हेक्टयर** भूमि को समानान्तर रूप से अपनी–अपनी भूमि दर्शाकर राज्य का अतिरिक्त क्षेत्रफल होना प्रतिवेदित कर रहे हैं जिसे राज्य का सांख्यिकी विभाग प्रतिवर्ष राज्य की सांख्यिकी में प्रकाशित भी कर रहा है।

1950 से लागू संविधान में संसाधनों से संबंधित 1951 में संशोधन हुआ, 1976 में पर्यावरण को ध्यान में रखा जाकर संशोधन किया, 1993 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित संशोधन कर 11वीं अनुसूची स्थापित की गई, राज्य विधानसभा ने भूमि संबंधी कानून बनाए, उनमें संशोधन भी किए, ससद ने पेसा कानून 1996 एवं वन अधिकार कानून 2006 बनाया, सर्वोच्च अदालत ने सिविल याचिका क्रमांक 202/95 एवं याचिका क्रमांक 337/95 में आदेश दिए, सिविल अपील प्रकरण क्रमांक 19869/2010 में आदेश दिए।

राजस्व विभाग एवं वन विभाग ने समानान्तर रूप से की जा रही कार्यवाहियों को रोका जाकर भूमि संबंधित विषय में एकरूपता कायम कर उनसे संबंधित प्रजातांत्रिक व्यवस्था के प्रयासों के अनुसार गलतियों को सुधारे जाने का कोई प्रयास प्रारम्भ ही नही किया। वन विभाग एवं राजस्व विभाग समानान्तर कार्यवाहियां कर पूरी व्यवस्था के सामने चुनौतियां खड़ी करने, व्यवस्था का अपमान कर, उसका उपहास उड़ाए जाने में ही लगे हुए है।

95 लाख 73 हजार 82 हेक्टयर भूमि से संबंधित राजस्व विभाग के कौन–कौन से अभिलेख है, वह अभिलेख कहां उपलब्ध है, उन अभिलेखों में में कौन–कौन से महत्वपूर्ण ब्यौरें दर्ज हैं इसकी जानकारी वन विभाग और उसके अधिकारियों, कर्मचारियों को नही है, इसी तरह से वन विभाग के कौन–कौन से अभिलेख है, वह अभिलेख कहां उपलब्ध है, उन अभिलेखों में कौन–कौन से महत्वपूर्ण ब्यौरें दर्ज है, इसकी जानकारी राजस्व विभाग और उसके अधिकारियों, कर्मचारियों को नही है।

राजस्व विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राजस्व अभिलेख एवं उनमें दर्ज ब्यौरों की भी जानकारी नहीं है, इसी तरह से वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वन अभिलेख और उनमें दर्ज ब्यौरों की भी जानकारी नहि है।

शासकीय अभिलेखों एवं उनमें भूमि के दर्ज ब्यौरों से संबंधित अज्ञानता एवं जानकारियों के अभाव को दूर किए जाने के उद्देश्य से ''**अभिलेख एवं जानकारी**'' पुस्तक का यह तृतीय संस्करण आपके हाथों मे है।

''समानान्तर कार्यवाहियों का इतिहास और शर्मसार प्रजातंत्र''

भारतीय प्रजातंत्र की व्यवस्था ने शर्मसार किए जाने का इतिहास लिखते हुए भूमि जैसे महत्वपूर्ण संसाधन से संबंधित समानान्तर कार्यवाहियाँ की है।

अविश्वसनीय और अकल्पनीय समानान्तर कार्यवाहियों में राजस्व विभाग ने राजस्व भूमि एवं वन विभाग ने वन भूमि मानकर 1960 से जो कार्यवाहियां की उन पर देश की सर्वोच्च अदालत सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में 12 दिसम्बर 1996 से अभी तक विचार नही कर पाई या यह कहे कि **सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी** ने जानबूझकर सर्वोच्च अदालत को विचार करने से रोका।

26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ और 1950 में ही मालगुजार, जमींदार, जागीरदार, महल, इलाके, दुमाला से ''इजमेन्ट राइट्स के लिए राजस्व अभिलेखों में दर्ज जमीनों को स्वामित्वाधिकारों के अन्त का कानून 1950 के अनुसार अर्जित किया गया रैय्यतवारी एवं मसाहती ग्रामों में सामुदायिक अधिकारों के लिए पहले से ही जमीनें राजस्व अभिलेखों में दर्ज रही।

पुनर्गठित राज्य में आने वाले सभी तरह के राजस्व ग्रामों में निजी भूमि को छोड़कर शेष भूमि नदी नाले, सड़क रास्ते आदि सहित जंगल, पहाड़ चट्टान आदि सभी को भू–राजस्व संहिता 1954 के अध्याय 18 में दखल रहित भूमि के रूप में बताया जाकर प्रावधान किए गए।

1956 में पुनर्गठित मध्य प्रदेश राज्य में वर्तमान छत्तीसगढ़ एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, जिसके राजस्व ग्रामों में आने वाली समस्त गैर निजी कृषि भूमि को लेकर भू–राजस्व संहिता 1959 के अध्याय 18 में दखल रहित भूमि मानकर ही प्रावधान किए गए और इन भूमियों के तीन अलग–अलग प्रारूपों में दस्तावेज बनाए जाने के प्रावधान भी धारा 233 में किए गए।

दखल रहित भूमियों से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज धारा 234 के तहत निस्तार पत्रक के नाम से बनाया गया इन भूमियों को संहिता की धारा 237(1) में सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों के लिए आरक्षित किया गया एवं धारा 237(2) कलेक्टर को प्रयोजनों के परिवर्तन का अधिकार दिया गया।

भू–राजस्व संहिता के अध्याय सात में राजस्व सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अध्याय 9 में भूमि के अभिलेख जिनमें सबसे महत्वपूर्ण पटवारी मानचित्र एवं अधिकार अभिलेख है इन प्रावधानों के अनुसार राजस्व विभाग ने बन्दोबस्त किया, अधिकार अभिलेख बनाए और दखल रहित जमीनों को उनमें दर्ज किया।

आजादी के पहले और आजादी के बाद राजस्व ग्रामों की निजी कृषि भूमि को छोड़कर शेष संसाधनों को राजस्व अभिलेखों में मदवार दर्ज किया जाता रहा है, जिन पर समाज के अधिकार, सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजन भी समानान्तर रूप से एक साथ दर्ज किए जाते रहे है।

''बड़े झाड़ का जंगल, छोटे झाड़ का जंगल, झुड़पी जंगल, जंगलात, जंगल जंला, जंगल खुर्द, गोचर, बीड़, पड़त, चारागाह, चरनाई, घांस, कदीम, सरना, करात, पानी के नीचे, सड़क रास्ते, इमारत, बाग बगीचे और आबादी, पहाड़ चट्टान पठार'' आदि मदों में दखल रहित भूमि को समाज के विभिन्न अधिकारों, सार्वजनिक निस्तारी प्रयोजनों जैसे ''गोठान, खलियान, कब्रस्तान, श्मशान, बाजार, पाठशाला और खेलकूद के मैदान, मुर्दा मवेशी चीरने फाड़ने के स्थान, जलाऊ लकड़ी, कृषि औजार की लकड़ी, झोपड़ी बनाने के बांस बल्ली लाने के स्थान, चराई के स्थान, मुरम, मिट्टी एवं पत्थर के स्थान, धार्मिक, सामाजिक रीति रिवाजों के लिए निर्धारित स्थान'' मछली पकड़ने, सन सड़ाने, सिंचाई के अधिकार, रास्तों, सड़क मार्ग से आने जाने के अधिकार आदि'' के रूप में दर्ज किए जाने की व्यवस्था रही है जो आज भी है।

भू-राजस्व संहिता के अध्याय 13 में शासकीय पट्टाधारी तथा सेवा भूमि से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं वही अध्याय 14 में मौरूसी काश्तकार से संबंधित प्रावधान दिए गए है।

1950 में मालगुजार, जमींदार, जागीरदार आदि से अर्जित की गई जगीनों के पट्टेधारियों, बिना पट्टा के ही काबिजों को भूमि दिए जाने के संबंध में भू-राजस्व संहिता 1954 में प्रावधान किए गए, मध्य प्रदेश बरार पड़त भूमि कृषिकरण अधिनियम में प्रावधान किए गए, भू-राजस्व संहिता 1959 में प्रावधान किए गए, पड़त भूमि के कृषिकरण अधिनियम 1966 में प्रावधान किए, मध्य प्रदेश में ग्रामों की दखल रहित भूमियों के कृषिकरण अधिनियम 1970 में प्रावधान किए गए जिनमें रैय्यतवारी एवं गसाहती ग्रामों की दखल रहित भूमि या पड़त भूमि के उप पट्टेधारी या काबिजों को भी शामिल किया गया।

भू-राजस्व संहिता 1959 और उसके तहत बनाए गए पटवारी मानचित्र, निस्तार पत्रक, अधिकार अभिलेख, खसरा पंजी में दर्ज दखल रहित जमीनों को उनके सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों को, उन पर समाज के अधिकारों को ध्यान में रखा जाकर भारतीय संविधान की 1993 में स्थापित 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था को अधिकार सौपें गए, **पंचायत उपबन्ध (अधिसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 याने पेसा कानून** में ग्रामसभा को अधिकार सौपें गए।

देश की सर्वोच्च अदालत ने सिविल अपील प्रकरण क्रमांक 19869/2010 में दिनांक 28 जनवरी 2011 को आदेश दिया इस आदेश की कंडिका 3 में अधिकार और प्रयोजनों का उल्लेख करते हुए इस तरह के संसाधनों पर संबंधित पंचायती राज व्यवस्था का अधिकार, नियंत्रण एवं प्रबन्धन मानते हुए कंडिका 23 में राज्यों के मुख्य सचिवों की जिम्मेदारी निर्धारित की गई।

मदों के आधार पर संरक्षित वन एवं परिभाषित वन

भारत सरकार ने दिनांक 24 अगस्त 1950 को **विज्ञप्ति क्रमांक जे. - 104** जारी की इस विज्ञप्ति में मालगुजार, जमींदार, जागीरदार, महल, इलाके, दुमाला से अर्जित की गई जमीनों में से जंगल मद में दर्ज जमीनों को वन विभाग के नियंत्रण में सौंपे जाने की सलाह दी गई, इस सलाह के अनुसार तत्कालीन वन विभाग ने राजस्व अभिलेखों में जंगल और गैर जंगल मद में दर्ज दखल रहित जमीनों को असीमांकित संरक्षित वन भूमि के रूप में पुनर्गठन 1956 तक प्रतिवेदित करना प्रारम्भ कर दिया।

वन विभाग ने रीवा राज दरबार के दिनांक 8 फरवरी 1937 में जारी आदेश का हवाला देकर 1950 में जमींदार, जागीरदार, महल आदि से अर्जित की जा रही जमीनों को संरक्षित वन मानकर सर्वे डिमारकेशन की कार्यवाहियां प्रारम्भ कर दी, भोपाल प्रान्त सरकार ने 1954, मध्य प्रान्त सरकार ने 1955 एवं मध्य प्रदेश सरकार ने 1958 में जंगल मद की जमीनों को संरक्षित वन अधिसूचित किया।

वन विभाग ने सभी तरह के राजस्व ग्रामों के राजस्व अभिलेखों में दर्ज जंगल मद और गैर जंगल मद की जमीनों को 1960 से संरक्षित वन सर्वे डिमारकेशन में शामिल कर लिया। इन्हीं जंगल मद में दर्ज जमीनों को 1965 में भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन कर स्थापित की गई धारा 20अ के अनुसार आरक्षित वन या संरक्षित वन माने जाने का प्रावधान कर दिया।

मदों के आधार पर याने जंगल मद में दर्ज जमीनों को याने जंगलात, बड़े झाड़ के जंगल, छोटे झाड़ के जंगल, झुड़पी जंगल, जंगल जला, जंगल खुर्द को देश की सर्वोच्च अदालत ने टी.एन. गोदाबर्मन की सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में दिनांक 12 दिसम्बर 1996 को वन भूमि परिभाषित कर दिया।

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 धारा 3 से 20 तक में समाज के अधिकारों, सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों से संबंधित दिए गए प्रावधानों को वन विभाग ने स्वीकार किए जाने की बजाय 1950 से ही अस्वीकार किया, 1965 में जोड़ी गई धारा 20अ में समाज के अधिकारों एवं प्रयोजनों का उल्लेख ही नही किया, देश की सर्वोच्च अदालत ने 12 दिसम्बर 1996 को मदों का हवाला दिया लेकिन समाज के अधिकारों, सार्वजनिक निस्तारी प्रयोजनों का कोई उल्लेख नही किया।

राजस्व विभाग 1950 से तत्कालीन राजस्व कानूनों का हवाला देते हुए राजस्व भूमि मानकर राजस्व अभिलेख बनाए जाने और उनमें दखल रहित भूमि दर्शाऐं जाने की कार्यवाहियां करते आया है, वन विभाग भी 1950 से ही दखल रहित जमीनों को मदों के आधार पर असीमांकित संरक्षित वन एवं संरक्षित वन मानकर बताकर कार्यवाही करते रहा है, विभागीय अभिलेखों में दर्ज करते रहा, राजपत्र में अधिसूचनाओं का भी प्रकाशन करते आया है।

1950 से 1980 तक वन विभाग के द्वारा असीमांकित संरक्षित वन या संरक्षित वन मानकर की गई कार्यवाहियों और उनमें से लम्बित कार्यवाहियों की समीक्षा किए बिना ही **वन संरक्षण कानून 1980** लागू कर दिया गया, इस कानून के

लागू किए जाने के बाद वन विभाग ने लम्बित कार्यवाहियों को किये जाने की बजाय उन्हें बन्द कर वन संरक्षण कानून का हवाला देना प्रारम्भ कर दिया। वन विभाग ने 1980 के बाद धारा 4(1) में अधिसूचित धारा 5 से 19 तक की जांच के लिए लम्बित वनखण्ड और उनमें शामिल संरक्षित वन और गैर संरक्षित वन भूमि, निजी भूमि आदि सभी को वर्किंग प्लान में शामिल कर लिया।

1980 के बाद भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने इस पूरे दस्तावेजी एवं प्रमाणित तथ्य की समीक्षा किए जाने या उनका परीक्षण किए जाने की कोई जहमत नही उठाई। धारा 4(1) में अधिसूचित वनखण्ड में शामिल जमीनों और उन पर समाज के अधिकारों या सार्वजनिक निस्तारी प्रयोजनों से संबंधित भारतीय वन अधिनियम के प्रावधानों को लेकर भी भारत सरकार ने किसी भी तरह की कोई रूचि नही दिखाई बल्कि ऐसी भूमियों को, वनखण्ड में शामिल गैर संरक्षित वन भूमि या निजी भूमि को नियंत्रित किए जाने, उनका प्रबन्धन किए जाने, उन पर स्थित वनोपज का विदोहन किए जाने और उन्हें आवंटित किए जाने के समस्त अधिकार वन विभाग को सौंप कर वर्किंग प्लान अनुमोदित किए जाने और उनको स्वीकृति प्रदान किए जाने का कार्य भारत सरकार करते आई है।

1950 से 1996 तक वन विभाग ने स्वयं की कार्यवाहियों, स्वयं के द्वारा ही लम्बित रखी गई कार्यवाहियों, राजपत्र में प्रकाशित की गई अधिसूचनाओं, विभागीय अभिलेखों में भूमि संबंधी दर्ज ब्यौरों के आधार पर असीमांकित वन या नारंगी वन क्षेत्र का निर्धारण किए जाने की बजाय 14 मई 1996 को आदेश जारी कर नारंगी भूमि सर्वे इकाईयों का गठन किया और इन इकाईयों ने राजस्व अभिलेखों में जंगल और गैर जंगल मद में समाज के विभिन्न अधिकारों, सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों के लिए दर्ज जमीनों को नारंगी भूमि सर्वे एवं नारंगी वनखण्ड में शामिल किए जाने की कार्यवाहियां लगातार की जो आज भी की जा रही है।

12 दिसम्बर 1996 को सर्वोच्च अदालत द्वारा की गई परिभाषा एवं दिए गए आदेश के बाद भारत सरकार एवं राज्य सरकार ने स्वयं के अभिलेखों में दर्ज ब्यौरों एवं की गई कार्यवाहियों, लम्बित कार्यवाहियों और नारंगी भूमि के नाम पर की जा रही कार्यवाहियों के इतिहास को पलटने की कोई आवश्यकता को स्वीकार ही नही किया बल्कि स्वयं के इतिहास से लगातार इन्कार किया जाते रहा है। इस गंभीर आरोप की पुष्टि **मध्य प्रदेश शासन द्वारा सर्वोच्च अदालत में दायर की गई पुनर्विचार याचिका आई.ए. क्रमांक 791-792 और उसमें दिए गए आदेश दिनांक 01 अगस्त 2003 से की जा सकती है** या छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य वन संरक्षक कांकेर के द्वारा सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी में शपथ पत्र संहित दिनांक 5 फरवरी 2004 को प्रस्तुत उत्तर से की जा सकती है।

12 दिसम्बर 1996 के न्यायालीन आदेश के बाद राजस्व विभाग ने 13 जनवरी 1997 को बड़े झाड़ का जंगल, छोटे झाड़ का जंगल मद की जमीनों को परिभाषित वन भूमि माने जाने के निर्देश दिए। राजस्व अभिलेखों में 1950 से ही दर्ज चली आ रही भूमियों के संबंध में वन विभाग द्वारा धारा 29 धारा 4(1) धारा 20 धारा 34अ की अधिसूचनाओं या नारंगी भूमि सर्वे में शामिल कर ली गई भूमियों को एक बार फिर न्यायालय द्वारा परिभाषित "अतिरिक्त भूमि मान कर देश की सर्वोच्च अदालत" के सामने प्रस्तुत किया यह सिलसिला आज भी बदस्तूर चल ही रहा है।

राजस्व विभाग की कार्यवाही

1. **जिन जमीनों को** आजादी के पूर्व मालगुजारी, जमींदारी ग्रामों में इजमेन्ट राइट्स के लिए राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाते रहा।

2. **जिन जमीनों को** आजादी के बाद अन्याय से मुक्ति के नाम पर मालगुजार जमींदारों से राज्य शासन और राजस्व विभाग के द्वारा अर्जित किया।

3. **जिन जमीनों को** आजादी के पहले और आजादी के बाद रैय्यतवारी एवं मसाहती ग्रामों में सामुदायिक, परम्परागत, रूढ़िक एवं निस्तार के अधिकारों के लिए राजस्व विभाग अभिलेखों में दर्ज करते रहा।

4. **जिन जमीनों को** गैरखातें की भूमि मानते हुए म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1954 संशोधित 1959 के अध्याय 18 में दखल रहित भूमि मानकर प्रावधान किए गए।

5. **जिन जमीनों को** संहिता की धारा 234 के तहत बनाए गए निस्तार पत्रक में दर्ज किया धारा 237(1) के तहत आरक्षित कर दर्ज किया।

6. **जिन जमीनों को** आजादी के पहले और आजादी के बाद बड़े झाड़, छोटे झाड़ का जंगल, झुड़पी जंगल, जंगलात, जंगल जंला, जंगल खुर्द जैसी मदों में राजस्व विभाग राजस्व अभिलेखों में दर्ज करते रहा।

7. **जिन जमीनों को** आजादी के पहले और आजादी के बाद घांस, चरनोई, चारागाह, कदीम, सरना, करात, बीड जैसी मदों में राजस्व विभाग राजस्व अभिलेखों में दर्ज करते रहा।

8. **जिन जमीनों को** म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959, संविधान की 11वीं अनूसूची, पेसा कानून 1996 के तहत संबंधित राजस्व ग्राम की सीमा में आने वाला संसाधन मानकर पंचायती राज व्यवस्था को अधिकार दिए गए।

9. **जिन जमीनों को** राजस्व विभाग राजस्व भूमि मानते हुए भू-राजस्व संहिता के तहत बन्दोबस्त करते रहा, राजस्व अभिलेखों में दर्ज करते रहा, राजस्व भूमि के रूप में प्रतिवेदित एवं प्रकाशित करते रहा।

वन विभाग की कार्यवाही

1. **इन्ही जमीनों को** वन विभाग ने रीवा राज दरबार द्वारा 1937 में जारी आदेश के तहत 1950 के बाद संरक्षित वन भूमि मान लिया।

2. **इन्ही जमीनों को** वन विभाग ने वर्ष 1954, वर्ष 1955 एवं वर्ष 1958 में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के तहत संरक्षित वन भूमि अधिसूचित किया।

3. **इन्ही जमीनों को** जंगल मद एवं गैर जंगल मद में दर्ज होने के बाद भी वन विभाग ने 1960 में प्रारम्भ किए गए सर्वे

डिमारकेशन में शामिल किया।

4. **इन्ही जमीनों में** से वानिकी प्रबन्धन के लिए उपयुक्त भूमियों का चयन कर वनखण्ड बनाए और उन्हें भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4(1) के तहत अधिसूचित कर धारा 5 से 20 तक की कार्यवाही के लिए प्रस्तावित किया।

5. **इन्ही जमीनों को** धारा 5 से 20 तक की जांच के बिना ही वन विभाग ने वर्किंग प्लान में शामिल कर "प्रचलित समस्त अधिकार एवं प्रयोजनों" को अपराध मान लिया।

6. **इन्ही जमीनों को** धारा 5 से 19 तक की लम्बित जांच के बाद भी वन विभाग ने वर्किंग प्लान में सम्मिलित कर वनभूमि के रूप में प्रतिवेदित करने, उनका नियंत्रण, प्रबन्धन, विदोहन एवं आवंटन की कार्यवाही की गई।

7. **इन्ही जमीनों में** से वानिकी प्रबन्धन के लिए अनुपयुक्त पाई भूमि को वनखण्ड के बाहर छोड़ा, इन भूमियों को राजस्व विभाग को अंतरित किया, राजपत्र में डीनोटीफाईड किया गया।

8. **इन्ही जमीनों को** वानिकी प्रबन्धन के लिए अनुपयुक्त बताया जाकर वन विभाग ने संरक्षित वन मानचित्र एवं संरक्षित वन क्षेत्रफल पंजी से भी पृथक कर दिया।

9. **इन्ही जमीनों को** लेकर वन विभाग और वानिकी प्रबन्धन द्वारा बनाए गए अभिलेख, दस्तावेज, मानचित्र में भूमियों की मद एवं प्रयोजन और अधिकारों के राजस्व अभिलेखों में दर्ज किसी भी ब्यौरें को अंकित नही किया।

10. **इन्ही जमीनों में** से वनखण्ड में शामिल, राजस्व को अन्तरित, राजपत्र में डीनोटीफाईड जमीनों को वन विभाग ने 14 मई 1996 के परीपत्र के तहत **"नारंगी भूमि"** मानकर सर्वे प्रारम्भ कर दिया।

11. **इन्ही जमीनों में** से नारंगी भूमि सर्वे में शामिल जमीनों को वानिकी प्रबन्धन के लिए उपयुक्त बताकर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4(1) के तहत वनखण्ड में अधिसूचित किए बिना ही वर्किंग प्लान में शामिल कर लिया।

सर्वोच्च अदालत की कार्यवाही

1. **जिन जमीनों को** वन विभाग ने राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर संरक्षित वन अधिसूचित किया, **उन्ही जमीनों को** देश की सर्वोच्च अदालत के द्वारा याचिका क्रमांक 202/95 में दिनांक 12 दिसम्बर 1996 को वन भूमि परिभाषित कर दिया।

2. **जिन जमीनों को** वन विभाग ने 14 मई 1996 के आदेशानुसार नारंगी भूमि मानकर कार्यवाहियां प्रारम्भ की, **उन्ही जमीनों को** 13 जनवरी 1997 के आदेशानुसार न्यायालय द्वारा परिभाषित वन भूमि मानकर समानान्तर कार्यवाहियां की गई।

3. **जिन जमीनों को** वन विभाग ने 24.10.1980 के पूर्व राजस्व विभाग को अन्तरित किया, राजपत्र में डीनोटीफाईड किया, **उन्ही जमीनों को** 12 दिसम्बर 1996 के आदेशानुसार परिभाषित वन भूमि बताकर वन विभाग ने कार्यवाहियां की।

4. **जिन जमीनों को** आजादी के पहले और आजादी के बाद राजस्व अभिलेखों में इजमेन्ट राइट्स, सामुदायिक अधिकार, परम्परागत अधिकार, रूढ़िक अधिकार एवं निस्तार के अधिकार के लिए दर्ज किया **उन्ही जमीनों को** पहले संरक्षित वन भूमि, फिर नारंगी भूमि एवं अब न्यायालय द्वारा परिभाषित वन भूमि मान लिया गया।

न्याय पालिका का दुरूपयोग कर न्याय की उपेक्षा

1. 14 मई 1996 के आदेशानुसार नारंगी भूमि सर्वे इकाई के पास राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए गए राजस्व अभिलेखों में ग्रामवार, खसरावार, रकबावार भूमियों की मद, भूमि के प्रयोजन एवं भूमि पर अधिकार के दर्ज ब्यौरों को उपलब्ध जानकारी को **न्यायालय से छुपाया गया।**

2. आई.ए. क्रमांक 791 एवं 792 में अगस्त 2002 के पूर्व सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी के द्वारा प्रस्तुत अपने अभिमत एवं प्रतिवेदन में देश की **सर्वोच्च अदालत से जानकारी छुपाई गई।**

3. 23 अप्रैल 2003 को म.प्र. के प्रमुख सचिव वन द्वारा 1980 के पूर्व राजस्व विभाग को अन्तरित की गई भूमियों की संकलित की गई जानकारी को भी **देश की न्यायपालिका से छुपाया गया।**

4. 22 जुलाई 2003 को एकता परिषद् के द्वारा सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी के समक्ष म.प्र. एवं छ.ग. राज्य के संदर्भ में प्रमाणों सहित तथ्यों का उल्लेख कर प्रस्तुत आवेदन के बाद भी सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी, म.प्र. एवं छ.ग. की राज्य सरकार ने देश की **न्यायपालिका से जानकारी छुपाई गई।**

5. 02 दिसम्बर 2003 में वन व्यवस्थापन अधिकारियों के लिए जारी दिशा निर्देश एवं उनके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में भूमि की मद, प्रयोजन एवं अधिकारों की उल्लेखित जानकारी को भी **देश की न्यायपालिका से छुपाया गया।**

6. 24 जुलाई 2004 को म.प्र. के मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश में वन विभाग द्वारा डीनोटीफाईड संरक्षित वन भूमि के अभिलेख संशोधन हेतु दिए गए निर्देश के बाद भी **देश की न्यायपालिका से जानकारी छुपाई गई।**

7. 24 जुलाई 2004 के ही निर्देश के आधार पर वन एवं राजस्व विभाग द्वारा किए गए सीमांकन में ग्रामवार, खसरावार, रकबावार, मदवार, प्रयोजनवार, जानकारी संकलन के बाद भी **देश की सर्वोच्च अदालत से जानकारी छुपाई गई।**

8. 11 जुलाई 2008 को म.प्र. शासन वन विभाग के द्वारा वनखण्ड में अधिसूचित, बिना मुआवजा भुगतान के वर्किंग प्लान में सम्मिलित निजी भूमि बाबत् आदेश जारी किए जाने के बाद भी **देश की न्यायपालिका से जानकारी छुपाई गई।**

9. वन संरक्षण कानून 1980 के लागू होने के बाद वन विभाग के द्वारा दी गई अनुमतियों के बदले संरक्षित वन भूमि, अन्तरित एवं डीनोटीफाईड भूमियों को वैकल्पिक राजस्व भूमि मानकर प्राप्त करने, संरक्षित वन भूमि अधिसूचित करने की पूरी जानकारी **देश की न्यायपालिका से छुपाई गई।**

10. धारा 4(1) के तहत अधिसूचित वनखण्डों को धारा 5 से 20 तक की जांच के बिना ही वर्किंग प्लान में सम्मिलित कर समाज के प्रचलित समस्त अधिकारों को बिना जांच, बिना आदेश के अपराध मान लिए जाने की कार्यवाहियों को भी **देश की न्यायपालिका से छुपाया गया।**

11. मध्य प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों और उनकी वन विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा संकलित की गई जानकारी, सदन में दिए गए उत्तरों के बाद भी **देश की न्यायपालिका से जानकारी छुपाई गई।**

''समानान्तर कार्यवाहियों का क्रमबद्ध इतिहास''

आजादी के बाद राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमियों को राजस्व विभाग ने राजस्व भूमि एवं वन विभाग ने वन भूमि मानकर लगातार समानान्तर कार्यवाहियों का इतिहास लिखा है। समानान्तर कार्यवाहियों के कारण भूमि सुधार की पूरी प्रक्रिया को ही दफन कर दिया गया, समाज के अधिकार, सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों को अपराध मान लिया गया, भूमि अभिलेख एवं उनसे संबंधित आंकड़ों की विश्वसनीयता को समाप्त कर दिया गया।

ग्राम स्वराज, ग्रामों की स्वायत्ता, ग्रामों के सामुदायिक चरित्र, ग्रामीणों के संसाधनों से संबंधित प्रबन्धन एवं उपयोग के कौशल को समाप्त किए जाने की कार्यवाहियों का इतिहास लिखा गया, प्रशासकीय तंत्र ने अपनी क्षमताओं, अपनी योग्यताओं एवं प्रजातांत्रिक मूल्यों में गिरावट का भी इतिहास लिखा। भारतीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था, कार्यपालिका, विधायका, न्यायपालिका ने अपनी अपरिपक्वता, अपने अधूरेपन, अपनी निगरानी और अपने नियंत्रण की कमी का भी इतिहास लिखा।

1950 में विन्ध्य प्रान्त, भोपाल प्रान्त, मध्य प्रान्त एवं सी.पी. एण्ड बरार याने तत्कालीन मध्य प्रदेश को मिलाकर 1956 में नए मध्य प्रदेश का गठन किया जिसका वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य के रूप में विभाजन किया गया। वन विभाग ने 1956 से 2000 तक की अवधि में राजस्व विभाग के साथ समन्वय स्थापित किए जाने की बजाय समानान्तर कार्यवाहियां की, वन विभाग ने वन संरक्षण कानून 1980 लागू हो जाने के बाद स्वयं की लम्बित कार्यवाहियों को बन्द कर दिया, कहीं-कहीं वन विभाग स्वयं की कार्यवाहियों को स्वयं ही दोहराने लगा।

''लिखे गए इतिहास के क्रमबद्ध ब्यौरें''

1. **1927 भारतीय वन अधिनियम की धारा 3 एवं 29**
2. 1937 रीवा राज दरबार का आदेश
3. **1950 भारतीय संविधान**
4. **1950 जमींदारी उन्मूलन कानून या स्वामित्वाधिकारों के अन्त का कानून**
5. 1954 भोपाल प्रान्त की अधिसूचना संरक्षित वन घोषित करने की
6. **1954 म.प्र. भू-राजस्व संहिता और अध्याय 18**
7. 1955 मध्य प्रान्त की अधिसूचना संरक्षित वन घोषित करने की
8. 1956 लैण्ड रिफार्म मैनुअल
9. 1956 राज्यों का पुनर्गठन
10. 1957 मध्य प्रदेश में निस्तार एवं चराई की सुविधाएँ
11. 1957 दिनांक 28 अक्टूम्बर भूमि व्यवस्थापन का आदेश

12. 1958 मध्य प्रदेश की अधिसूचना संरक्षित वन घोषित करने की

13. **1959 म.प्र. भू-राजस्व संहिता और अध्याय 18**

14. 1959 से राजस्व अभिलेख एवं बन्दोबस्त के दौरान दर्ज गैरखातें की राजस्व भूमि

15. 1960 से संरक्षित वन भूमियों के सर्वे डिमारकेशन की रिपोर्ट

16. **1960 संरक्षित वन नियम**

17. 1962 दिनांक 24 अप्रैल वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने का आदेश

18. 1962 से धारा 4(1) के तहत बनाए वनखण्डों की अधिसूचना

19. **1962 से म.प्र. भू-राजस्व संहिता के अध्याय 18 से संबंधित बनाए गए नियम**

20. 1962 से संरक्षित वन क्षेत्रों के लिए बनाई गई वर्किंग स्कीम

21. 1964 दिनांक 7 अक्टूम्बर वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने का आदेश

22. 1965 धारा 20अ, धारा 34अ, धारा 80अ के संशोधन

23. 1965 से धारा 34अ के तहत राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचनाऐं

24. 1965 दिनांक 17 नवम्बर भूमि व्यवस्थापन का आदेश

25. **1966 पड़त भूमि के कृषिकरण हेतु बनाया गया अधिनियम**

26. 1966 दिनांक 14 जुलाई अधिक अन्न उपजाओं योजना के तहत वन विभाग द्वारा भूमि अन्तरण

27. 1969 दिनांक 2 दिसम्बर वन विभाग द्वारा अन्तरित भूमि के व्यवस्थापन का आदेश

28. **1970 दखल रहित भूमि के कृषिकरण हेतु बनाया गया अधिनियम**

29. 1973 दिनांक 4 जनवरी भूमि व्यवस्थापन का आदेश

30. 1975 दिनांक 18 सितम्बर मंत्रीमंडल निर्णय के बाद अन्तरित वन भूमि

31. 1975 दिनांक 3 दिसम्बर वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने का आदेश

32. 1977 दिनांक 11 मई वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने का आदेश

33. 1978 अधिक अन्न उपजाओं योजना के तहत अन्तरित भूमि का आवंटन

34. 1979 दिनांक 17 जनवरी समितियों की भूमि आवंटन का आदेश

35. 1979 धारा 34अ में निर्दनीकृत भूमि के बंटन का भू-राजस्व संहिता में किया संशोधन

36. 1979 दिनांक 31 दिसम्बर भूमि व्यवस्थापन का आदेश

37. 1979 वन विभाग द्वारा सर्वे डिमारकेशन का अंतिम प्रतिवेदन

38. 1980 वन भूमि पर 31.12.1976 तक के काबिजों का सर्वे

39. 1980 दिनांक 28 फरवरी वन ग्रामों के बन्दोबस्त का आदेश

40. **1980 वन संरक्षण कानून**

41. **1984 म.प्र. में ग्रामों की दखल रहित भूमि के कृषिकरण का अधिनियम**

42. 1984 दिनांक 22 फरवरी भूमि आवंटन का आदेश

43. 1986 से अनुविभागीय अधिकारी को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में अधिकृत

44. 1987 शासकीय पट्टों को मालिकाना हक पर बदलने का निर्णय

45. 1990 दिनांक 7 सितम्बर कृषि समितियों को भूमि आवंटन का आदेश

46. 1990 में 31.12.1976 तक के पात्र काबिजों के लिए वन भूमि का निर्वनीकरण

47. 1990 में भारत सरकार वन मंत्रालय द्वारा जारी 6 परीपत्र

48. 1991 दिनांक 20 फरवरी में अधिक अन्न उपजाओं योजना की भूमियों के बंटन का पुनः आदेश

49. **1993 संविधान में 73वां संशोधन एवं 11वीं अनूसूची**

50. 1994 में दिनांक 24 जनवरी को वरिष्ठ वन अधिकारी श्री अशोक मसीह द्वारा बनाई संक्षेपिका।

51. 1995 वन भूमि पर 24.10.1980 तक के पात्र अतिक्रमणकारियों का सर्वे

52. 1996 मई 14 को नारंगी भूमि बाबत् जारी परिपत्र

53. **1996 संसद द्वारा पारित पेसा कानून लागू किया गया**

54. **1996 देश की सर्वोच्च अदालत के द्वारा 12 दिसम्बर को उन जमीनों को वन भूमि परिभाषित कर दिया जिन्हें वन विभाग संरक्षित वन भूमि मानकर उपरोक्त कार्यवाहियां करते रहा।**

55. 1997 जनवरी 13 को न्यायालीन आदेश का पालन सुनिश्चित करने का जारी आदेश।

56. **1998 म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 237 में शेष भूमि आवंटन का संशोधन।**

''छत्तीसगढ़ विभाजन/गठन के बाद का इतिहास''

वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ विभाजन के बाद विभाजित मध्य प्रदेश में लम्बित कार्यवाहियों को किए जाने से संबंधित कार्यवाहियां की गई, समन्वय की कमी के कारण छत्तीसगढ़ गठन के बाद छत्तीसगढ़ शासन लम्बित कार्यवाहियों को पूरा किए जाने की कार्यवाहियों पर अपना ध्यान केन्द्रित ही नही कर पाई। छत्तीसगढ़ गठन के बाद राज्य में भूमि संबंधी विषय और भी अधिक व्यापक एवं विवादित होते चला गया।

छत्तीसगढ़ गठन के बाद का क्रमबद्ध इतिहास

1. 2000 दिनांक 1 जून भूमि व्यवस्थापन का आदेश
2. 2000 तक वन विभाग के द्वारा आरक्षित एवं संरक्षित वन भूमि के 1956 से प्रतिवेदित आंकड़े।
3. 2000 राजस्व विभाग द्वारा राजस्व भूमि एवं वन भूमि के 1965 से प्रतिवेदित आंकड़े।
4. 2000 राजस्व विभाग के द्वारा गैरखाते की भूमि के 1965 से प्रतिवेदित आंकड़े।
5. 2000 राजस्व विभाग द्वारा 1956 से प्रतिवेदित आंकड़ों में वनक्षेत्र में हुई वृद्धि।
6. 2001 दिनांक 25 जनवरी ग्राम सभाओं को अधिकार प्रत्यायोजन का आदेश
7. 2001 दिनांक 22 अक्टूम्बर जे.एफ.एम. का संकल्प
8. 2001 अक्टूम्बर 29 में परिभाषित वन भूमि मानकर जानकारियों का संकलन।
9. **2002 दखल रहित भूमि आवंटन हेतु भू-राजस्व संहिता 1959 में किया गया संशोधन**
10. 2002 आई.ए. 791 एवं 792 में इजमेन्ट राइट्स की भूमि मानकर दिया गया आदेश
11. 2003 जुलाई एकता परिषद् द्वारा सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी में प्रस्तुत आवेदन
12. 2003 फरवरी 24 को म.प्र. के मुख्यमंत्री से इस विषय पर हुई चर्चा,
13. 2003 फरवरी 25 फरवरी को मुख्य सचिव सहित वन और राजस्व अधिकारियों से हुई चर्चा
14. 2003 मई 20 में वन मंत्रालय भारत सरकार की म.प्र. के अधिकारियों के साथ हुई बैठक
15. 2003 अप्रेल 23 को वन विभाग द्वारा अन्तरित भूमि की जानकारी संकलन हेतु प्रमुख सचिव म.प्र. द्वारा जारी परीपत्र
16. 2003 सितम्बर 28 को संसदीय सलाहकार समिति द्वारा श्रीमती मार्ग्रेट अल्वा की अध्यक्षता में की गई बैठक
17. 2003 दिसम्बर 2 की धारा 4(1) में अधिसूचित वनखण्ड की जांच हेतु दिशा निर्देश
18. 2004 राजस्व विभाग ने संरक्षित वन भूमि याने बड़े छोटे झाड़ के जंगल मद की भूमि को राजस्व भूमि मानते हुए जानकारी संकलन के निर्देश दिए।
19. 2004 जुलाई 24 को मुख्य सचिव द्वारा आदेश जारी किया जिसमें वन एवं राजस्व भूमि का सीमांकन, डीनोटीफाईड भूमि के अभिलेख संशोधन एवं वनखण्ड के बाहर छोड़ी भूमि के डीनोटीफिकेशन के निर्देश दिए गए।
20. 2005 फरवरी 18 को राजपत्र में दो नियम प्रकाशित कर संरक्षित वन नियम 1950 को निरस्त किया।
21. **2006 संसद के द्वारा ऐतिहासिक अन्याय की स्वीकारोक्ति के साथ वन अधिकार कानून पारित किया।**
22. 2007 वन अधिकार कानून 2006 के तहत नियम बनाए गए/अधिसूचित किए गए।
23. 2008 जनवरी से वन अधिकार कानून एवं नियम लागू किए गए।
24. 2008 जुलाई 11 को वर्किंग प्लान में शामिल निजी भूमि बाबत् जारी आदेश।

25. 2009 दिसम्बर 8 को धारा 4(1) में अधिसूचित क्षेत्रों की जांच के निर्देश जारी किए गए।

26. **2012 दखल रहित भूमि परकाबिजों को आवंटन हेतु संशोधन किया गया।**

27. 2012 फरवरी 10 को वनोपज के शुद्ध लाभ के वितरण का संशोधित आदेश जारी किया।

28. 2014 अगस्त 2 को छत्तीसगढ़ शासन वन मुख्यालय द्वारा धारा 34अ की अधिसूचनाओं के संबंध में जारी पत्र

29. 2014 दिसम्बर 24 को मुख्य सचिव म.प्र. शासन द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु छोटे–बड़े झाड़ के जंगल मद की राजस्व भूमि उपलब्ध कराना।

30. 2015 जनवरी 5 को छ.ग. शासन वन विभाग द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4(1) के तहत नारंगी क्षेत्र की अधिसूचना विषयक जारी किया गया पत्र

31. 2015 जनवरी 22 को छ.ग. शासन वन मुख्यालय द्वारा नारंगी क्षेत्रों की अधिसूचना बाबत् जारी किया गया पत्र

32. 2015 फरवरी 13 को प्रमुख सचिव वन द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दी गई गैर वनभूमि को संरक्षित वनभूमि के रूप में अधिसूचित किए जाने के पूर्व भूमि पर विभिन्न अधिकारों का अभिलेखीकरण हेतु प्रेषित पत्र।

33. 2015 अप्रैल 10 को प्रमुख सचिव वन द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–29 एवं धारा 4(1) में अधिसूचित वन भूमियों पर अधिकारों को अभिलेखित किए जाने बाबत् लिखा पत्र।

34. 2015 अप्रैल 16 को आयुक्त आदिवासी विकास द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सामुदायिक वन अधिकार पत्र दिये जाने विषयक समस्त कलेक्टर को जारी पत्र।

35. 2015 अप्रैल 30 को छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग भूमि संबंधी विषयों की शिकायत की जांच विषयक् जारी पत्र

36. 2015 मई 6 को छत्तीसगढ़ शासन वन मुख्यालय द्वारा अधिसूचनाओं के संकलन बाबत् जारी पत्र

37. 2015 मई 14 को मुख्य सचिव म.प्र. शासन द्वारा आरक्षित एवं संरक्षित वनखण्डों की सीमा विवाद का निराकरण हेतु प्रेषित पत्र।

38. 2015 मई 23 को प्रमुख सचिव वन द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की प्रस्तावित बिगड़े वन क्षेत्रों को लीज पर देने की योजना हेतु जानकारी प्रदान करने के संबंध में लिखा गया पत्र।

39. 2015 जून 01 मुख्य सचिव म.प्र. शासन द्वारा आरक्षित वन खण्डों का गठन के संबंध में लिखा गया पत्र।

40. 2015 जून 04 को प्रमुख सचिव वन द्वारा आरक्षित तथा संरक्षित वनखण्डों की सीमा विवाद का निराकरण एवं आरक्षित वनखण्ड का गठन के संबंध में लिखा गया पत्र।

41. 2015 जून 04 को ग्राम वन नियम 2015 अधिसूचित किए।

42. 2015 जून 04 को संरक्षित वन नियम 2015 अधिसूचित किए।

भूमि संबंधी समानान्तर कार्यवाहियों के इस इतिहास का एक हिस्सा तो वन संरक्षण कानून 1980 लागू किए जाने तक का है। इतिहास का दूसरा हिस्सा 24 अक्टूम्बर 1980 को वन संरक्षण कानून लागू होने के बाद का है जिसमें वन विभाग ने लम्बित कार्यवाहियों को किए जाने की बजाय इस कानून को आधार बनाकर लम्बित कार्यवाहियों को बन्द कर दिया। वन विभाग ने संरक्षित वन भूमि से संबंधित की गई कार्यवाहियों और उनमें से लम्बित कार्यवाहियों का विवरण या जानकारी भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की कोई प्रक्रिया निर्धारित ही नही की।

इतिहास का तीसरा हिस्सा सर्वोच्च अदालत की सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में 12 दिसम्बर 1996 को दिए गए आदेश के बाद प्रारम्भ हुआ जो निरन्तर लिखा जा रहा है। वन विभाग ने आजादी के बाद से 1980 तक या 1980 के बाद संरक्षित वन भूमि से संबंधित विषय को लेकर जो कुछ भी किया उसकी कोई जानकारी देश की सर्वोच्च अदालत के सामने नही लाईगई, बल्कि हर जानकारी को देश की न्यायपालिका से छुपाया गया या गुमराह करने वाली गलत जानकारिया न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

इतिहास का चौथा हिस्सा जनवरी 2008 से वन अधिकार कानून 2006 लागू किए जाने के बाद से लिखा जा रहा है। जनवरी 2008 के बाद लिखा गया इतिहास स्वत: ही यह प्रमाणित कर रहा है कि आजादी के बाद किए गए ऐतिहासिक अन्याय दूर किए जाने की बजाय इस कानून को एक नए अन्याय की आधार शिला बना दिया गया है।

इतिहास को बदला नही जा सकता, लेकिन इतिहास के आधार पर गलतियों को सुधारा जाकर वर्तमान एवं भविष्य का निर्धारण तो किया जा सकता है यह तभी सम्भव है जब भारतीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था अपनी स्वयं की भूमिका और भागीदारी से भरे हुए इतिहास के इन पन्नों को पलटने का साहस सजो सके अपनी गलतियों को स्वीकारने की हिम्मत दिखा सके।

विश्व की किसी भी शासन व्यवस्था में भूमि संबंधी विषय को लेकर इस तरह का इतिहास देखने और सुनने में नहीं आया जिसमें एक ही भूमि से संबंधित समानान्तर कार्यवाहियां दो विभागों ने लगातार की हो और उसे कार्यपालिका, विधायका एवं न्यायपालिका अपने–अपने स्तर पर स्वीकार कर अपनी–अपनी मुहर लगाते हुए प्रजातंत्र का नाम देने में लगी हुई हो।

आईये आप और हम सब मिलकर ठोस, विवाद रहित स्थाई विकल्पों की दिशा में मजबूत कदम उठाए।

''अभिलेख, दस्तावेज, कानून, न्यायालीन आदेश और अधिसूचना''

राजस्व भूमि एवं वन भूमि के संबंध में आजादी के बाद की गई कार्यवाहियों में अनेक गंभीर विरोधाभास सामने आ चुके है, वन विभाग एवं राजस्व विभाग के द्वारा की गई अनेक समानान्तर कार्यवाहियां भी प्रकाश में आ चुकी है। संसद और विधानसभा के द्वारा बनाए गए कानूनों के विरोधाभास भी सामने आ चुके है संविधान, कानून और न्यायालीन आदेशों के उल्लंघन, अवेहलना, दुरूपयोग एवं अवमानना से जुड़ें अनेक विषय सामने आ चुके है।

राजपत्र और राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचनाओं को महत्वहीन मान लिए जाने या उन्हें नजर अन्दाज किए जाने की घटनाऐं रोज–रोज प्रकाश में आ रही है। इन स्थितियों में समाधान किए जाने की दिशा राज्य शासन, भारत शासन और न्यायालय निर्धारित कर पाए, राजस्व विभाग एवं वन विभाग के अधिकारी या संगठन और संस्थाऐं आगे आ पाए, अध्ययन और शोध केन्द्र हो या बुद्धीजीवी और विशेषज्ञ हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो या सिविल सोसायटी हो मिलजुल कर अपनी–अपनी सार्थक भूमिका निभा पाए।

इन सभी के लिए आवश्यक है कि अभिलेख, दस्तावेज, अधिसूचना, कानून, नियम एवं आदेशों की जानकारी सार्वजनिक की जाए, संभावित कार्यवाहियों के तरीकों पर विचार किया जाकर न्यूनतम कार्यक्रम बनाया जाए इसी उद्देश्य को ध्यान में रखा जाकर अभिलेख और जानकारी पुस्तक का तीसरा संस्करण तैयार किया गया है।

इस पुस्तक में राजस्व विभाग के अभिलेखों और उनमें दर्ज ब्यौरों, वन विभाग के अभिलेखों एवं उनमें दर्ज ब्यौरों, संसद और विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून और नियमों, राजपत्र और उसमें प्रकाशित अधिसूचनाओं, न्यायपालिका के कुछ महत्वपूर्ण आदेशों को संकलित किया गया है।

आजादी के बाद ऐतिहासिक अन्याय किया जाना ''संसद ने वन अधिकार कानून 2006 में स्वीकार किया लेकिन इस कानून के बाद भी ऐतिहासिक अन्याय दूर नही किए जा सके आजादी के बाद भूमि सुधार की असफलता का इतिहास लिखा गया, इस इतिहास के पन्ने पलटने का कोई प्रयास वन अधिकार कानून 2006 में नही किया गया।

ऐतिहासिक अन्याय को दूर कर न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम की जानी हो या समाज के कमजोर वर्ग को उसके अधिकारों से वंचित किए जाने की गंभीर दुर्घटनाओं का इलाज कर उन्हें उनके अधिकार सौपें जाने हो इन दोनों ही महत्वपूर्ण प्रजातांत्रिक दायित्वों को पूरा किए जाने के प्रयासों में इस पुस्तक की विषय वस्तु सहायक बनेगी।

सिविल याचिका क्रमांक 202/95 एवं 337/95 और सिविल अपील प्रकरण क्रमांक 19869/2010 में देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा दिए गए आदेशों का दुरूपयोग रोका जाकर आदेशों की अवमानना को रोके जाने में भी इस पुस्तक की विषय वस्तु महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

अभिलेख एवं जानकारी का पहला संस्करण वर्ष 2007 में एकता परिषद रायपुर छत्तीसगढ़ ने प्रकाशित किया पुस्तक का दूसरा संस्करण भी एकता परिषद रायपुर के द्वारा ही प्रकाशित किया गया। पुस्तक का तीसरा संस्करण **संकेत, ग्राम सर्वोदय अभियान एवं श्रुति** के द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है।

भूमियों से संबंधित समानान्तर कार्यवाही एवं दोहरापन

वन विभाग ने आजादी के बाद राजस्व अभिलेखों में दर्ज निजी कृषि भूमि को छोड़ कर शेष जमीनों को संरक्षित वन अधिसूचित कर लिया, संरक्षित वन सर्वे में शामिल कर लिया, वनखण्ड बना लिए उन्हें अधिसूचित कर लिया।

वन विभाग ने राजस्व अभिलेखों में दर्ज अलग–अलग मदों, अलग–अलग अधिकारों एवं अलग–अलग प्रयोजनों की जमीनों को संरक्षित वन भूमि मानकर कार्यवाहियां की अभिलेख एवं दस्तावेज बनाए लेकिन उनमें से किसी में भी जमीनों की राजस्व अभिलेखों में दर्ज मदों, अधिकारों एवं प्रयोजनों की जानकारी दर्ज नही की।

वन विभाग ने संरक्षित वन से संबंधित जो कार्यवाहियां की उन कार्यवाहियों को स्वयं के अभिलेखों, दस्तावेजों में संशोधित नही किया, राजपत्र में प्रकाशित की गई अधिसूचनाओं के आधार पर विभागीय अभिलेखों में आवश्यक ब्यौरें भी वन विभाग दर्ज नही कर पाया।

वन विभाग धारा 29 में अधिसूचित भूमियों को दुबारा धारा 29 में अधिसूचित करने, धारा 34अ में अधिसूचित भूमियों को तो दो–दो बार पुनः धारा 34अ में अधिसूचित करने की कार्यवाही करते आया है।

वन विभाग ने राजस्व अभिलेखों में जमीनों को संरक्षित वन भूमि मानकर, बताकर जो कार्यवाहियां की उन कार्यवाहियों के आधार पर राजस्व अभिलेखों को संशोधित करवाए जाने या अद्यतन किए जाने का वन विभाग ने प्रयास नही किया।

वन विभाग ने जिन जमीनों को राजपत्र में धारा 4(1) एवं धारा 34अ के तहत अधिसूचित किया उन्हीं जमीनों को एक बार फिर 14 मई 1996 के आदेशानुसार नारंगी भूमि के सर्वे में शामिल कर लिया।

राजस्व विभाग ने राजस्व अभिलेखों में दर्ज अलग–अलग मदों, अलग–अलग अधिकारों एवं अलग–अलग प्रयोजनों के लिए दर्ज जमीनों को संरक्षित वन मानकर की गई कार्यवाहियों नारंगी वन मानकर 14 मई 1996 से की जा रही कार्यवाहियों, राजपत्र में धारा 29 धारा 4(1) धारा 20 धारा 34अ के अनुसार अधिसूचित कर दी गई भूमियों को राजस्व भूमि मानकर बताकर सर्वोच्च अदालत की सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में दिनांक 12 दिसम्बर 1996 के आदेशानुसार परिभाषित वन भूमि माने जाने का आदेश दिनांक 13 जनवरी 1997 को जारी कर दिया।

विन्ध्य प्रान्त, मध्य प्रान्त, भोपाल प्रान्त एवं सी.पी. एण्ड बरार के वन विभाग एवं राजस्व विभाग ने 1956 में राज्य पुनर्गठन तक कार्यवाहियां की, 1956 के बाद से छत्तीसगढ़ विभाजन तक कार्यवाहियां की, विभाजन के बाद से अभी तक वन विभाग एवं राजस्व विभाग समानान्तर कार्यवाहियां कर रहे है, की गई कार्यवाहियों को दोहरा भी रहे है।

1956 में पुनर्गठित मध्य प्रदेश राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 4 करोड़ 42 लाख हेक्टयर में से लगभग 95 लाख 73 हजार हेक्टयर भूमि से संबंधित समानान्तर कार्यवाहियों एवं दोहराई गई कार्यवाहियों ने भूमि सुधार की असफलता का इतिहास लिखा, समाज पर ऐतिहासिक अन्याय का इतिहास लिखा। यह पूरा इतिहास दुष्प्रचारों, षड़यंत्रों एवं साजिशों पर

आधारित रहा है जिसमें प्रजातांत्रिक व्यवस्था कार्यपालिका, विधायका एवं न्यायपालिका की प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष भूमिका एवं भागीदारी भी रही है नियंत्रण और निगरानी का पूर्ण अभाव तो रहा ही है।

इन विवादित समानान्तर कार्यवाहियां एवं समानान्तर रूप से बनाए गए भूमि संबंधी अभिलेख, दस्तावेज का आपसी मिलान किया जाकर कार्यवाहियों में एकरूपता लाया जाना ही एक मात्र विकल्प है।

मध्य प्रदेश शासन, छत्तीसगढ़ शासन दोनों ही राज्यों के वन विभाग एवं राजस्व विभाग से संबंधित अभिलेख, दस्तावेज, अधिसूचनाओं, कानून नियम के साथ ही देश की अदालत द्वारा दिए गए आदेशों के दायरें में एकरूपता कायम किए जाने के उद्देश्य से यह पुस्तक लिखी गई है।

भूमि और अधिकारों से संबंधित अध्ययन और शोध संस्थाऐं, जन संगठन, सामाजिक संगठन, सिविल सोसायटी, बुद्धीजीवी एवं विशेषज्ञ आदि सभी टीका टिप्पणी, आरोप एवं प्रत्यारोप लगाए जाने की बजाय यदि अपनी असफलताओं पर विचार कर सहयोग की भूमिका का निर्धारण कर अपनी सकारात्मक भागीदारी को स्वीकार करे तो एक नया इतिहास लिखा जा सकता है।

भूमिहीनों, आवासहीनों एवं काबिजों को भूमि का वितरण किया जा सकता है, आजादी के पहले छीने गए अधिकार भले ही लौटाए नही जाए लेकिन आजादी के पहले बचे खुचे जिन अधिकारों को छीन लिया गया है उन्हें तो लौटाया जा सकता है।

राजस्व ग्रामों में ग्राम स्वराज हो या, राजस्व ग्रामों की स्वायत्ता हो या राजस्व ग्रामों की संसाधन आधारित सामुदायिक व्यवस्था हो को आजादी के बाद वन और वन भूमि के नाम पर समाप्त किए जाने का जो भी प्रयास किया गया उस प्रयास पर पुनर्विचार किया जाकर, गलतियों को सुधारा जाकर ग्राम स्वराज, ग्रामीण स्वायत्ता एवं ग्रामीण सामुदायिकता को पुर्नजीवित किया जा सकता है।

आईये मिलजुल कर एक नया इतिहास लिखे।

''दखल रहित भूमि, प्रावधान एवं कार्यवाही''

भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 2(व) में ''दखल रहित भूमि से **तात्पर्य गांव के अन्तर्गत ऐसी भूमि से है जो आबादी की भूमि या सेवा भूमि या किसी भू-स्वामी काश्तकार या शासकीय पट्टाधारी द्वारा धारित भूमि न हो**'' बताया गया है।

भू-राजस्व संहिता की धारा 233 में दखल रहित भूमि के अभिलेख से संबंधित प्रावधान दिए जाकर दिनांक 6 जनवरी 1960 को राजपत्र में नियम अधिसूचित किए गए जिसके **अनुसार (1) निस्तार अधिकारों के उपयोग के लिए सुरक्षित भूमि दिखाते हुए प्रारूप 'क' में (2) निराकरण के लिए उपलब्ध भूमि दिखाते हुए प्रारूप 'ख' में एवं (3) निस्तार के लिए सुरक्षित तथा निराकरण के लिए उपलब्ध भूमि के अतिरिक्त समस्त भूमि को दिखाते हुए प्रारूप 'ग'** में अभिलेख बनाए जाने के प्रावधान किए गए।

भू-राजस्व संहिता की धारा 234 के अन्तर्गत प्रारूप 'क' में निस्तार पत्रक में निस्तारी अधिकारों के लिए भूमि दर्ज किए जाने के प्रावधान किए गए, निस्तार पत्रक बनाए जाने से संबंधित नियम राजपत्र में दिनांक 6 जनवरी 1960 को अधिसूचित किए।

भू-राजस्व संहिता की धारा 234 के तहत बनाए गए निस्तार पत्रक में दर्ज क्षेत्रों के संबंध में उपबन्ध किए जाने के प्रावधानों को विस्तार देते हुए **धारा 235 में ''विषय जिनका निस्तार पत्रक में उपबन्ध किया जाएगा, धारा 236 में '' कतिपय विषयों के लिए निस्तार पत्रक में उपबन्ध एवं धारा 237 में ''निस्तार अधिकारों के उपयोग के लिए कलेक्टर द्वारा भूमि का पृथक रखा जाना** से संबंधित प्रावधान किए गए।

भू-राजस्व संहिता की धारा 248 के तहत दखल रहित भूमि पर अप्राधिकृत रूप में कब्जा कर लिए जाने पर शास्ति का प्रावधान दिया गया है।

खाते एवं गैर खातें की भूमि

राजस्व विभाग राजस्व अभिलेखों में दर्ज जमीनों को खाते की भूमि एवं गैर खातें की भूमि के रूप में प्रतिवेदित करता है, राजस्व विभाग ने 1965 से गैरखातें की भूमि मदवार भी प्रतिवेदित किया जाना प्रारम्भ किया। बड़े झाड़ का जंगल, छोटे झाड़ का जंगल, पहाड़ चट्टान, आबादी, बाग बगीचे, सड़क रास्ते, पानी के नीचे इन सात मदों में जमीनें वर्षवार प्रतिवेदित की जा रही है जिसमें सम्पूर्ण दखल रहित जमीन को शामिल किया जाता है।

''जमींदार, जागीरदार से अर्जित की गई भूमि''

1950 में तत्कालीन मालगुजार, जमींदार, जागीरदार, महल, इलाके, दुमाला से जमीनों को अर्जित किए जाने के कानून बनाए जाकर जमीनों को अर्जित किया गया इस तरह की अर्जित की गई जमीनों का ब्यौरा प्रारूप 'ख(बी)' में संधारित

किया।

1950 के कानून के अनुसार अर्जित की गई भूमियों को भू-राजस्व संहिता 1959 के अध्याय 18 में दखल रहित भूमि माना जाकर विभिन्न धाराओं में प्रावधान किए गए अभिलेख बनाए गए जिनमें सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख निस्तार पत्रक है।

1950 के कानून के अनुसार अर्जित की गई भूमियों को राजस्व विभाग प्रति वर्ष गैर खातें की भूमि के रूप में प्रतिवेदित करते आया है, प्रतिवेदित कर रहा है।

दखल रहित भूमि को संरक्षित वन अधिसूचित करना

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 में संरक्षित वन अधिसूचित किए जाने के प्रावधान दिए गए है, इस धारा में "जांच पूरी होने तक प्रचलित अधिकार यथावत बने रहेगें" का भी प्रावधान दिया गया है।

रीवा राज दरबार के आदेश दिनांक 8 फरवरी 1937, ग्वालियर रियासत के कानून जंगल की धारा 2.5 के अनुसार वन विभाग ने मालगुजार, जमींदार, जागीरदार, महल, इलाके से अर्जित की गई जमीनों को आजादी के बाद संरक्षित वन मान लिया।

सी.पी. एण्ड बरार की अधिसूचना दिनांक 17 अक्टूम्बर 1949, भोपाल प्रान्त की अधिसूचना वर्ष 1954, मध्य प्रान्त की अधिसूचना दिनांक 01 मार्च 1955, मध्य प्रदेश की अधिसूचना दिनांक 01 अगस्त 1958 के अनुसार दखल रहित जमीनों में से "जंगल मद में दर्ज जमीनों को संरक्षित वन भूमि अधिसूचित किया गया।

वन विभाग ने गैर जंगल मद में दर्ज जमीनों को संरक्षित वन सर्वे में शामिल कर लिया, वन विभाग ने रैय्यतवारी एवं मसाहती ग्रामों की दखल रहित जमीनों को संरक्षित वन अधिसूचित किए बिना ही संरक्षित वन मानकर सर्वे में शामिल कर लिया। वर्ष 1965 में राज्य की विधानसभा ने भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20अ संशोधन कर स्थापित की गई इस धारा में संरक्षित वन माने जाने के भी प्रावधान किए गए।

संरक्षित वनखण्ड एवं उनकी अधिसूचना

वन विभाग ने संरक्षित वन सर्वे डिमारकेशन किया और उसके आधार पर वानिकी प्रबन्धन के लिए उपयुक्त जमीनों का चयन कर वनखण्ड बना लिए, इन वनखण्डों को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4(1) के अनुसार आरक्षित वन बनाए जाने के लिए प्रस्तावित कर धारा 5 से 19 तक की जांच के लिए वन व्यवस्थापन अधिकारी की नियुक्ति भी कर दी।

वन विभाग ने वनखण्डों में जंगल मद की भूमि, गैर जंगल मद की भूमि, रैय्यतवारी एवं मसाहती ग्रामों की भूमि, गैर खातें की प्रतिवेदित की जा रही भूमि, अहस्तान्तरित भूमि एवं निजी भूमियों को भी शामिल कर लिया।

समाज के अधिकार, प्रयोजन एवं भूमियों की मद

वन विभाग ने दखल रहित जमीनों को संरक्षित वन अधिसूचित किया, संरक्षित वन के सर्वे डिमारकेशन में शामिल किया, वनखण्ड बनाए, उन्हें राजपत्र में अधिसूचित किया, इन वनखण्डों को वर्किंग प्लान में सम्मिलित कर लिया, पी.एफ. एरिया रजिस्टर एवं वन कक्ष इतिहास में भी शामिल कर लिया।

वन विभाग ने अपने किसी भी अभिलेख या दस्तावेज या रिपोर्ट या पंजी में भूमियों की राजस्व अभिलेखों में दर्ज मदों का उल्लेख नही किया, राजस्व अभिलेखों में भूमियों पर समाज के बताए गए अधिकारों का उल्लेख नही किया, भूमियों से संबंधित राजस्व अभिलेखों में दर्ज प्रयोजनों का भी उल्लेख नही किया।

वनखण्डों के बाहर छोड़ी जमीनों का अन्तरण एवं निर्वनीकरण

दखल रहित जमीनों या गैर खातें में प्रतिवेदित भूमियों या निस्तार पत्रक में दर्ज भूमियों को संरक्षित वन सर्वे में शामिल किया जाकर चार विभिन्न कारण बताकर वानिकी प्रबन्धन के लिए अनुपयुक्त बताया एवं वनखण्डों के बाहर छोड़ा गया।

वनखण्डों के बाहर छोड़ी गई समस्त भूमि राजस्व विभाग को अन्तरित नही की गई, जो भूमि अन्तरित की गई उन समस्त भूमियों का राजपत्र में निर्वनीकरण नही किया गया, राजपत्र में निर्वनीकृत की गई भूमियों से संबंधित अभिलेख संशोधित नही किए गए।

वन विभाग ने ऐसा कोई अभिलेख तैयार नही किया जिसमें वनखण्डों के बाहर छोड़ी गई भूमि उसमें से बिना निर्वनीकरण के अन्तरित की गई भूमि, राजपत्र में निर्वनीकृत की गई भूमि, अन्तरण एवं निर्वनीकरण के लिए शेष भूमि से संबंधित ब्यौरों को दर्ज किया गया हो। वन विभाग ने वर्किंग प्लान में भी इस तरह के ब्यौरों को दर्ज किए जाने की कोई व्यवस्था को लागू ही नही किया।

असीमांकित वन भूमि या नारंगी वन भूमि

वन विभाग संरक्षित वन सर्वे में शामिल सीमांकन के दौरान अनुपयुक्त पाई जाकर वनखण्डों के बाहर छोड़ी गई जमीनों को असीमांकित वन भूमि एवं नारंगी वन भूमि बता कर प्रतिवेदित करता रहा है।

14 मई 1996 को राज्य शासन ने 9 जिलों में 16 नारंगी भूमि सर्वे इकाईयों का गठन कर असीमांकित वन भूमि या नारंगी वन भूमि का सर्वे किए जाने, वनखण्ड बनाए जाने के आदेश दिए।

इकाईयों ने राजस्व अभिलेखों में जंगल मद और गैर जंगल मद में दर्ज जमीनों, समाज के विभिन्न अधिकारों एवं सार्वजनिक निस्तारी प्रयोजनों के लिए दर्ज जमीनों, रैय्यतवारी एवं मसाहती ग्रामों की जमीनों, बिना निर्वनीकरण के अन्तरित कर दी गई जमीनों, राजपत्र में निर्वनीकृत की गई जमीनों एवं वनखण्डों में अधिसूचित कर वर्किंग प्लान में शामिल कर ली गई जमीनों को भी नारंगी भूमि के सर्वे डिमारकेशन में शामिल कर लिया।

भूमियों से संबंधित शासकीय अभिलेख

राजस्व विभाग राजस्व अभिलेखों में दखल रहित भूमि या गैर खाते की भूमि या निस्तारी अधिकारों एवं सार्वजनिक प्रयोजनों की भूमि मानकर, बताकर कार्यवाहियां करते रहा, राजस्व अभिलेख एवं दस्तावेज बनाते रहा, बन्दोबस्त एवं चकबन्दी करते रहा, राजस्व कानूनों और नियमों में भी संशोधन करते रहा, नए-नए कानून बनाते रहा।

वन विभाग संरक्षित वन भूमि, असीमांकित वन भूमि, नारंगी वन भूमि बताकर मानकर कार्यवाहियां करते रहा, वर्तमान में भी असीमांकित वन एवं नारंगी वन भूमि मानकर कार्यवाहियाँ कर रहा है, कानून में संशोधन किया, राजपत्र में अधिसूचनाओं का प्रकाशन किया विभागीय अभिलेख दस्तावेज, रिपोर्ट पंजी बनाने, मानचित्र बनाए जाने का भी कार्य करते रहा है, वर्तमान में भी कर रहा है।

भारतीय न्याय व्यवस्था का न्याय, निर्णय एवं आदेश

देश की सर्वोच्च अदालत ने टी.एन. गोदाबर्मन की सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में पहली बार वन और वन भूमि की व्याख्या एवं परिभाषा कर 12 दिसम्बर 1996 को आदेश दिया, इस आदेश का पालन सुनिश्चित किए जाने के संबंध में राज्य शासन ने दिनांक 13 जनवरी 1997 को आदेश जारी किया।

मध्य प्रदेश शासन ने पुनर्विचार याचिका दायर की सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी ने इस पर दिनांक 29 जनवरी 2002 को आदेश दिया, सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी ने अपने अभिमत के साथ सर्वोच्च अदालत के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया, अदालत ने आई.ए. क्रमांक 791-792 में दिनांक 01 अगस्त 2003 को आदेश दिया इसी आदेश की पुष्टि करते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ ने याचिका क्रमांक 1413/2002 में दिनांक 08 सितम्बर 2006 को आदेश दिया।

देश की सर्वोच्च अदालत ने संसाधनों पर समाज के अधिकारों, समाज के सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों से संबंधित विषय पर सिविल अपील प्रकरण क्रमांक 19869/2010 में विचार कर दिनांक 28 जनवरी 2011 को आदेश दिया इस आदेश की कंडिका 3 एवं कंडिका 22 में स्थिति को स्पष्ट किया गया।

एकता परिषद का आवेदन और न्याय में रुकावट

एकता परिषद ने सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी नई दिल्ली के समक्ष मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित भूमि के विषय पर वन विभाग एवं राजस्व विभाग के अभिलेखों एवं की गई कार्यवाहियों का उल्लेख करते हुए दिनांक 22 जुलाई 2003 को आवेदन प्रस्तुत किया जिसकी प्रति दोनों ही राज्य सरकारों के साथ ही भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को भी उपलब्ध करवाई गई।

सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी ने सर्वोच्च अदालत के प्रति अपनी जिम्मेदारी या जवाबदेही को अस्वीकार कर दिया, कमेटी के सदस्यों ने अपनी प्रशासकीय ईमानदारी एवं नैतिकता का त्याग किया, कमेटी ने आवेदन पर जानकारी बुलवाकर, उनका परीक्षण कर देश की सर्वोच्च अदालत के समक्ष तथ्यों को प्रस्तुत नहीं किया।

''भारत शासन एवं राज्य शासन की विवादित कार्यवाहियाँ''

एकता परिषद के आवेदन पर भारत सरकार ने अपनी ओर से कोई उत्तर सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी के समक्ष प्रस्तुत नही किया, भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय 2003 के बाद मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के सामान्य वनमण्डलों के बनाए गए वर्किंग प्लान और उसमें शामिल कर लिए संरक्षित वनखण्डों के नियंत्रण, प्रबन्धन, विकास एवं विदोहन की योजना को यथावत अनुमोदित कर स्वीकृत करते आया है।

मध्य प्रदेश शासन 2003 से लगातार एकता परिषद् के आवेदन में उल्लेखित तथ्यों को लेकर लम्बित कार्यवाहियों से संबंधित आदेश एवं निर्देश जारी करते रहा, हर तथ्य से संबंधित विषय को लेकर राज्य की विधानसभा में पूछे गए प्रश्नों के लिखित उत्तर एवं जानकारियों को भी सदन के पटल पर प्रस्तुत करते रहा है।

छत्तीसगढ़ शासन ने कांकेर के मुख्य वन संरक्षक से सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी के समक्ष दिनांक 5 फरवरी 2004 को एकता परिषद् के आवेदन का उत्तर प्रस्तुत करवाया जिसमें हर प्रमाण को विभाग के ही बनाए गए हर अभिलेख एवं दस्तावेज में दर्ज ब्यौरों को नारंगी भूमि के नाम पर की जा रही कार्यवाहियों को दबा लिया, छुपा लिया, गुमराह किए जाने वाले गलत तथ्यों को आवेदन मे उल्लेखित कर प्रस्तुत किया।

छत्तीसगढ़ शासन ने नारंगी भूमि से संबंधित की जा रही कार्यवाहियों की अवैधानिकता को स्वयं ही स्वीकार कर पुन: जांच एवं कार्यवाही से संबंधित आदेश दिनांक 05 जनवरी 2015 को जारी किया, इस आदेश पर राज्य के वन मुख्यालय ने भी दिनांक 22 जनवरी 2015 को निर्देश जारी किया।

छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित जिलो, की अविभाजित मध्य प्रदेश वन विभाग ने 1965 से 1980 तक राजपत्र में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 34अ के अनुसार निर्वनीकरण की अधिसूचनाओं का प्रकाशन किया।

राजपत्र में निर्वनीकरण की प्रकाशित अधिसूचनाओं के अनुसार अभिलेखों को वन विभाग या राजस्व विभाग ने संशोधित नही किया इस लम्बित कार्यवाही को लेकर वन मुख्यालय अरण्य भवन रायपुर ने दिनांक 2 अगस्त 2014 को राज्य शासन को पत्र लिखा। इन अधिसूचनाओं की प्रति छत्तीसगढ़ शासन के वन विभाग के पास उपलब्ध नही है जिसे प्राप्त किए जाने के संबंध में वन मुख्यालय ने दिनांक 06 मई 2015 को पत्र लिखा एवं राजस्व विभाग ने भी दिनांक 30 अप्रैल 2015 को पत्र लिखा।

भारतीय प्रजातंत्र और उसके द्वारा लिखा गया इतिहास

भूमि संबंधी सबसे महत्वपूर्ण विषय को लेकर आजादी के बाद की स्थितियों का बहुत ही सहजता से अवलोकन किया जा सकता है, उसके प्रभाव एवं समाज पर पड़े परिणामों का भी सहजता से मूल्यांकन किया जा सकता है।

कार्यपालिका, विधायका एवं न्यायपालिका की भूमिका एवं भागीदारी का भी उन्हीं की कार्यवाहियों के संदर्भ में बहुत ही

सहजता से परीक्षण किए जाने, समीक्षा किए जाने एवं आंकलन किए जाने का प्रयास भी किया जा सकता है।

न्यायपालिका और न्याय को लेकर दो वर्ग दिखाई दे रहे है, समाज का सबसे कमजोर वर्ग, समाज का सबसे वंचित वर्ग आज भी सामुदायिक न्याय की परम्पराओं का पालन कर रहा है वह न्याय का सम्मान कर रहा है, न्याय के प्रति विश्वास भी कर रहा है, ऐसे वर्ग को न्याय से वंचित किया जा रहा है, उसे उसके अधिकारों से भी वंचित किया जा रहा है, इस वर्ग पर अन्याय किए जा रहे है, न्याय के नाम पर समाज के कमजोर वर्ग को उसके अधिकारों से वंचित किए जाने की साजिश और षड़यंत्र किए जा रहे है। न्यायपालिका को न्याय किए जाने से रोका जा रहा है, न्यायपालिका को बेबस और लाचार मानकर आधी अधूरी जानकारियां या गुमराह किए जाने वाली जानकारियां बिना किसी डर और हिचक प्रस्तुत की जा रही है।

इन दोनों ही वर्गों में अन्तर भी साफ दिखाई देता है न्याय से वंचित वर्ग न्याय के दुरूपयोग से पीड़ित और प्रताड़ित वर्ग यह क्षमता भी नही रखता कि वह न्यायपालिका को जाकर यह बता सके कि उसके नाम पर उसके साथ किस तरह के कितने व्यापक अन्याय किए जा रहे है।

न्याय का सम्मान करने वाला वर्ग न्याय पर विश्वास करने वाला वर्ग अदालत के बाहर भी न्याय की लड़ाई लड़ने से शांति और व्यवस्था के नाम पर लगातार रोका जाते रहा है उस पर लाठियां चलाए जाने, गोलियां चलाए जाने उसे जेल में बन्द किए जाने को वही वर्ग अपना अधिकार मान रहा है जो न्याय के दुरूपयोग और न्याय की अवमानना में एक मात्र भूमिका निभाते आया है।

आजादी के बाद लिखे इतिहास का विकल्प

राजस्व विभाग जिन जमीनों को राजस्व भूमि मानकर बताकर कार्यवाही करते रहा है, उन्हीं जमीनों को वन विभाग वन भूमि बताकर मानकर कार्यवाही करते आया है। इस हकीकत से राज्य का हर क्षेत्र प्रभावित हुआ है, राज्य का हर समाज पीड़ित और प्रताड़ित हुआ है, समाज के कमजोर वर्ग को लगातार अधिकारों से वंचित भी होना पड़ा है।

राज्य सरकार, भारत सरकार, विधानसभा, संसद, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय पूरे राज्य की जमीनों से संबंधित वन विभाग और राजस्व विभाग की समानान्तर कार्यवाहियों एवं दोहराई जा रही कार्यवाहियों से उत्पन्न गंभीर स्थितियों का आज तक मूल्यांकन नही कर पाए, इससे समाज और राज्य पर पड़े विपरीत प्रभाव का आंकलन नही कर पाए, परिणामों से संबंधित समीक्षा भी नही कर पाए।

भूमि उस पर अधिकार, उसका नियंत्रण एवं प्रबन्धन से संबंधित मौजूदा प्रचलित कानून, नियम एवं न्यायालीन आदेशों के दायरे में समाज से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण विषय है जिनका हल खोजा जा सकता है, जिनका हल खोजा जाना चाहिए।

राजस्व विभाग के भूमि संबंधी अभिलेख उनमें दर्ज ब्यौरें और उनकी उपलब्धता, वन विभाग के भूमि संबंधी अभिलेख उनमें दर्ज ब्यौरें और उनकी उपलब्धता से संबंधित **आवश्यक महत्वपूर्ण जानकारी हमनें उपलब्ध करवाए जाने का प्रयास किया है।**

➢ समाज के आजादी के पूर्व क्या–क्या अधिकार मान्य किए गए थे, किन–किन सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों को मान्य किया था, आजादी के बाद उन अधिकारों एवं प्रयोजनों को राजस्व विभाग ने किन अभिलेखों में दर्ज किया।

वन विभाग ने समाज के अधिकारों एवं प्रयोजनों से संबंधित भूमियों को किस तरह से वन भूमि मानकर किन विभागीय अभिलेखों में दर्ज किया, कौन–कौन सी कार्यवाहियां की गई, कौन–कौन सी कार्यवाहियां वर्तमान में भी लम्बित है।

समाज के अधिकारों से संबंधित भूमियों को वन भूमि मानकर की गई कार्यवाहियों और उनमें से लम्बित कार्यवाहियों के बाद भी संविधान की 11वीं अनुसूची, पेसा कानून 1996, वन अधिकार कानून 2006 एवं सर्वोच्च अदालत के 28 जनवरी 2011 के आदेशानुसार समाज के विभिन्न अधिकारों, विभिन्न सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों से संबंधित विषय पर अभी तक असफलताओं का **विकल्प हमनें खोजने, और सभी के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।**

➢ आजादी के बाद बंटाईदारों, पट्टाधारियों, भूमिहीनों एवं काबिजों को भूमि के अधिकार सौंपें जाने की असफल मुहिम प्रारम्भ की गई, जिसकी उसी समय भ्रुण हत्या कर पूरी मुहिम को दफन कर दिया गया।

राजस्व विभाग ने राजस्व भूमियों को वन भूमि मान लिए जाने के कारण भूमि सुधार की प्रक्रिया को दफन किया, वन विभाग ने कार्यवाहियों को लम्बित रखा जाकर भूमि सुधार की हर प्रक्रिया में अनावश्यक अड़गेबाजी कर मनमानी और स्वेच्छाचारी कार्यवाहियों को अन्जाम दिया।

वन विभाग ने सर्वे डिमारकेशन किया, वनखण्डों के बाहर अनुपयुक्त भूमियों को छोड़ा, इन भूमियों को अन्तरित और

निर्वनीकृत भी किया लेकिन इस पूरी प्रक्रिया और उससे संबंधित कार्यवाहियों को लम्बित रखा, उन्हें पूरा नही किया और उसकी जानकारी कभी भी किसी भी स्तर पर सार्वजनिक नही की गई।

इन पूरी स्थितियों के विकल्पों को खोजे जाने, और विकल्पों को सभी के सामने प्रस्तुत किए जाने का हमनें प्रयास किया है।

➢ वन विभाग ने सर्वे के दौरान वनखण्ड बनाए, उन वनखण्डों में किसानों की निजी कृषि भूमि शामिल कर ली, वनखण्डों को राजपत्र में अधिसूचित किया, निजी भूमि का अर्जन किए बिना ही वन विभाग ने वनखण्डों को वर्किंग प्लान में सम्मलित कर उन पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया, उनका प्रबन्धन किया जाने लगा, उन पर स्थित वृक्षों का विदोहन भी वन विभाग ने किया।

राजस्व विभाग ने किसानों की निजी भूमि पर वन विभाग के इन अवैध कब्जों से संबंधित विषय को लेकर, इस विषय से संबंधित प्रचलित कानून और नियमों का स्वयं पालन नही किया, वन विभाग से भी पालन करवाए जाने का प्रयास नही किया, किसानों के पक्ष में राजस्व विभाग ने कोई कार्यवाही नही की।

किसानों को मालिक माने जाने की बजाय अपराधी माने जाने की इस प्रवृत्ति के विकल्प खोजे जाने और उन विकल्पों को सभी के सामने प्रस्तुत किए जाने का प्रयास हमनें किया है।

➢ देश की सर्वोच्च अदालत ने सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में 12 दिसम्बर 1996 को वन और वन भूमि की व्याख्या एवं परिभाषा कर आदेश दिया। इस आदेश का लगातार वन विभाग और राजस्व विभाग अपने–अपने स्तर पर दुरूपयोग करते आए है, दोनों ही विभाग अपने–अपने स्तर पर न्यायालय की अवमानना कर कार्यवाहियां भी करते आए है।

न्यायालय द्वारा परिभाषित की गई वन भूमियों से संबंधित वन विभाग एवं राजस्व विभाग ने जो भी कार्यवाहियां समानान्तर रूप से की, जिन कार्यवाहियों को दोनों ही विभागों ने लगातार दोहराया उन कार्यवाहियों को एक साथ बैठकर दोनों ही विभागों ने स्वयं जानने और समझने का अभी तक कोई प्रयास नही किया।

हमनें न्यायालय द्वारा परिभाषित वन भूमियों एवं न्यायालय द्वारा आदेशित की गई भूमियों से संबंधित की गई कार्यवाहियों उनमें से लम्बित कार्यवाहियों और न्यायालीन आदेश के बाद से की जा रही कार्यवाहियों को जानने और समझनें का प्रयास किया, आदेश के दुरूपयोग और **अवमानना को रोके जाने से संबंधित उपलब्ध विकल्पों को खोजनें और उन्हें सभी के सामने प्रस्तुत किए जाने का भी प्रयास किया।**

➢ ग्रामों की भूमि संबंधी विषय से संबंधित राजस्व विभाग एवं वन विभाग की समानान्तर कार्यवाहियों, दोहराई गई कार्यवाहियों, से जुड़ा विषय हो या प्रचलित संविधान, कानून एवं न्यायालीन आदेश से जुड़ा विषय हो उन सभी का पूर्ण विकल्प तो हर राजस्व ग्राम की ''ग्राम संसाधन पंजी बनाई'' जाकर दोनों ही विभागों से संबंधित अभिलेखों, और की गई कार्यवाहियों के ब्यौरों को उसमें दर्ज कर निकाला जा सकता है।

राजस्व विभाग के निस्तार पत्रक एवं वन विभाग की ब्लॉक हिस्ट्री इन दोनों ही अभिलेखों के आधार पर ''ग्राम संसाधन पंजी'' बनाई जाकर राजस्व विभाग एवं वन विभाग के अभिलेखों, कार्यवाहियों में एकरूपता कायम की जा सकती है। हमनें अपने अध्ययन एवं शोध के आधार पर ''ग्राम संसाधन पंजी'' का प्रारूप विकसित किया है जिसे इस पुस्तक का भी हिस्सा बनाया है।

ग्राम संसाधन पंजी को लेकर मुख्य रूप से दो आपत्तियां लगाई जा सकती है पहली तो इस कार्य को श्रम साध्य और खर्चीला बताया जा सकता है, दूसरा वन विभाग संरक्षित वन भूमि से संबंधित विभागीय अभिलेखों एवं दस्तावेजों के उपलब्ध नही होने या उसके नष्ट होने का तर्क प्रस्तुत कर सकता है।

इन दोनों ही आशंकाओं, आपत्तियों एवं तर्कों के अलावा वन विभाग, वानिकी प्रबन्धन, उनके देशी और विदेशी पैरवीकार इस विषय को पर्यावरण संरक्षण से जोड़कर फिर एक बार दुष्प्रचारों का भी सहारा ले सकते है।

स्थाई और अस्थाई विकल्प

भूमि अधिकार, प्रयोजन, नियंत्रण और प्रबन्धन से संबंधित राज्य व्यापी विषयों का स्थाई विकल्प ''ग्राम संसाधन पंजी'' ही हो सकती है।

तीन मुख्य विषयों समाज के अधिकार एवं प्रयोजन से जुड़ा विषय हो या काबिजों, भूमिहीनों को भूमि के अधिकार सौपें जाने से जुड़ा विषय हो या किसानों की निजी भूमि पर वन विभाग के कब्जें से जुड़ा विषय हो, को लेकर तत्कालीन हल निकाले जाने से संबंधित अस्थाई विकल्प भी हम यहां रखना चाहते है।

''सामुदायिक अधिकार एवं संसाधनों पर नियंत्रण, प्रबन्धन''

राजस्व विभाग के पास आजादी के पहले और आजादी के बाद समाज के दर्ज विभिन्न अधिकारों, सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों के ब्यौरें बाजिबुल अर्ज, निस्तार पत्रक, अधिकार अभिलेख एवं खसरा पंजी में दर्ज है। इन अभिलेखों में इन भूमियों की मदों या नोइंयत के ब्यौरें भी दर्ज है।

वन विभाग ने इन्हीं भूमियों को सर्वे में शामिल किया, वन विभाग के पास संरक्षित वन सर्वे डिमारकेशन रिपोर्ट एवं वनखण्डों की ब्लॉक हिस्ट्री उपलब्ध है इन भूमियों से संबंधित अन्य विभागीय अभिलेख भी उपलब्ध है।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को 1988 में वन व्यवस्थापन अधिकारी बनाकर धारा 5 से 19 तक की जांच से संबंधित नस्ती सौंपी गई जिसमें वनखण्ड में शामिल भूमियों के ब्यौरें एवं उन भूमियों से संबंधित राजस्व अभिलेखों के ब्यौरें याने जमीनों की मद उन पर अधिकार एवं प्रयोजन दोनों ही उपलब्ध है।

राजस्व विभाग एवं वन विभाग के अभिलेखों के आधार पर निम्न प्रारूप में जानकारियों को संकलित किया जा सकता है।

वन विभाग के अभिलेखों के आधार पर				राजस्व विभाग के अभिलेखों के आधार पर		
सर्वे में शामिल भूमि		वनखण्ड में शामिल रकबा	वनखण्ड के बाहर का रकबा	भूमि की मद	भूमि का प्रयोजन	परिवर्तित खसरा नम्बर
खसरा क्र.	रकबा					
1	2	3	4	5	6	7

हर राजस्व ग्राम की पृथक–पृथक इस प्रारूप में जानकारी संकलित की जाकर वन अधिकार कानून 2006 की धारा 3(1)ख के अनुसार वन विभाग द्वारा वनखण्डों में शामिल कर ली गई भूमियों पर समाज के अधिकारों एवं प्रयोजनों के ब्यौरों को दर्ज कर ''सामुदायिक वन अधिकार पत्र'' वितरित किए जा सकते है।

इसी प्रारूप में जमीनों की मदों को आधार बनाया जाकर राजस्व अभिलेख में दर्ज सर्वोच्च अदालत द्वारा सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में परिभाषित वनभूमि या आदेशित की गई वन भूमि पर दर्ज अधिकारों एवं प्रयोजनों को मान्यता दी जाकर सामुदायिक वन अधिकार पत्र वितरित किए जा सकते है।

आजादी के बाद ऐतिहासिक अन्याय किया जाना स्वीकार किया गया, आजादी के बाद समाज के विभिन्न अधिकारों, सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों से संबंधित भूमि को वन भूमि बताया जाकर समाज पर ऐतिहासिक अन्याय किए गए, राज्य सरकार के पास संबंधित प्रमाण उपलब्ध है लेकिन वन विभाग और राजस्व विभाग ने अन्याय दूर किए जाने से संबंधित कोई सार्थक प्रयास नही किए।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मू–राजस्व संहिता 1959, भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं वन अधिकार कानून 2006 के अनुसार अपनी जवाबदेह और जिम्मेदार भूमिका जनवरी 2008 से अभी तक नही निभा पाए।

भूमि पर काबिजों, पट्टाधारियों को भूमि के अधिकार

आजादी के बाद राजस्व विभाग ने तत्कालीन मालगुजार, जमींदार, जागीरदार से भूमि अर्जित की इन भूमियों पर भूमिहीन काबिज रहे, इन भूमियों को भूमिहीन बंटाई पर जोतते रहे, इन भूमियों के पट्टे भी तत्कालीन शासकों ने वितरित किए इन भूमियों के अलावा रैय्यतवारी एवं मसाहती ग्रामों की गैर कृषि भूमि पर भी भूमिहीन काबिज रहे है।

इन सभी ग्रामों की निजी कृषि भूमि छोड़कर शेष भूमि को वन विभाग ने संरक्षित वन भूमि मानकर सर्वे में शामिल किया। वन विभाग ने वानिकी प्रबन्धन के लिए अनुपयुक्त भूमियों को वनखण्डों के बाहर छोड़ा। अतिक्रमित भूमियों एवं पट्टाधारियों के पट्टों के ब्यौरें भी वन विभाग ने विभागीय अभिलेखों में दर्ज किए।

वन विभाग ने वनखण्ड के बाहर छोड़ी भूमियों में से कुछ भूमि राजपत्र में डीनोटीफाईड कर और कुछ भूमि बिना डीनोटीफिकेशन के राजस्व विभाग को अन्तरित की, वनखण्डों के बाहर छोड़ी कुछ जमीनों का वन विभाग ने वन संरक्षण कानून 1980 लागू होने के बाद अन्तरण और निर्वनीकरण नही किया।

राजस्व विभाग ने इन गैर कृषि भूमियों पर काबिजों, बंटाईदारों, पट्टाधारियों को भूमि के अधिकार सौपें जाने के कानून, नियम बनाए आदेश एवं निर्देश भी जारी किए। राजस्व विभाग ने भू–राजस्व संहिता की धारा 248 के अनुसार काबिजों के विरूद्ध अतिक्रमण के प्रकरण बनाकर कार्यवाहियां भी की।

राजस्व विभाग एवं वन विभाग में दोनों ने ही अपने–अपने अभिलेखों को संशोधित नही किया, भूमि के अधिकार सौपें जाने से संबंधित कार्यवाहियां किए जाने की बजाय एक दूसरे की कार्यवाहियों की आड़ लेकर समाज को अधिकारों से वंचित किया।

इस महत्वपूर्ण विवादित विषय पर न्यूनतम साझा कार्यवाही की जाकर दोनों ही विभागों से ग्रामवार जानकारियों का संकलन उनके पास उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर करवाया जा सकता है।

राजस्व विभाग के अभिलेखों पर आधारित जानकारी

1950 में दर्ज दखल रहित भूमि से संबंधित ब्यौरें				धारा 248 के अनुसार बनाए गए प्रकरण में		वितरण के ब्यौरें		
ख.नं.	रकबा	काबिज या बंटाईदार या पट्टेदार का		काबिज का नाम	रकबा	रकबा	नाम	आदेश क्रमांक
		नाम	रकबा					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

वन विभाग के अभिलेखों पर आधारित जानकारी

सर्वे में शामिल		बनखण्ड के बाहर छोड़ा रकबा	अन्तरित रकबा	आवंटित रकबा	निर्वनीकृत रकबा	शेष रकबा	परिवर्तित ख.नं.	अतिक्रमणकारी या पट्टेधारी का नाम
ख.नं.	रकबा							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

राजस्व विभाग एवं वन विभाग की इन जानकारियों के आधार पर अन्तरित एवं निर्वनीकृत भूमियों के राजस्व कानून के अनुसार भूमिस्वामी हक प्रदान किए जा सकते है, संरक्षित वन या न्यायालय द्वारा परिभाषित वन भूमि पर काबिजों को वन अधिकार कानून 2006 के अनुसार वन अधिकार पत्र वितरित किए जा सकते है।

वन विभाग के नियंत्रण एवं प्रबन्धन में निजी भूमि

देश एवं राज्य में पचलित कानून, नियम या न्यायालीन आदेशों के विपरीत वन विभाग ने वनखण्ड एवं वर्किंग प्लान में निजी भूमि को शामिल कर अपने नियंत्रण एवं प्रबन्धन में ले लिया। वन विभाग ने भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 11 के अनुसार भूमिअर्जन कानून 1894 के तहत इन निजी भूमियों का अर्जन नही किया, दिसम्बर 2013 से लागू भूमि

अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिनियम 2013 के अनुसार भी अर्जन की कोई कार्यवाही नहीं की।

राजस्व विभाग ने निजी भूमियों पर वन विभाग के अतिक्रमण के विरूद्ध कार्यवाही करने की बजाय कहीं तो निजी भूमि को पटवारी मानचित्र एवं खसरा पंजी से पृथक कर दिया, कहीं निजी भूमि को राजस्व अभिलेखों में वन भूमि दर्शा दिया कहीं–कहीं आज भी पटवारी मानचित्र एवं खसरा पंजी में किसान के नाम पर भूमि दर्ज की जाकर किसान से ही लगान वसूला जा रहा है।

वन विभाग की ब्लॉक हिस्ट्री एवं ब्लॉक मानचित्र में निजी भूमि के ब्यौरें दर्ज है, राजस्व विभाग भी राजस्व अभिलेखों के आधार पर वनखण्ड में शामिल निजी भूमि के ब्यौरों को संकलित कर सकता है, अनुविभागीय अधिकारी याने वन व्यवस्थापन अधिकारी के पास धारा 5 से 19 तक की जांच हेतु लम्बित नस्ती में भी निजी भूमि से संबंधित ब्यौरें दर्ज है।

निजी भूमि से संबंधित जानकारी

वनखण्ड का नाम	कुल रकबा	निजी भूमि से संबंधित ब्यौरें			निजी भूमि में काटे गए वृक्षों की संख्या	वर्किंग प्लान में शामिल रकबा
		ख. क्र.	रकबा	नाम		
1	2	3	4	5	6	7

वनखण्ड एवं वर्किंग प्लान में शामिल कर ली गई निजी भूमि का उस पर स्थित वृक्षों का एवं काट लिए गए वृक्षों का नए कानून के अनुसार वन विभाग मुआवजा निर्धारित कर उसका भुगतान करे या निजी भूमि किसानों को लौटाई जाकर विभागीय अभिलेखों एवं विभागीय वनभूमि के आंकड़ों से निजी भूमि को पृथक करे, इसके साथ ही संबंधित किसानों को काटे गए वृक्षों का मुआवजा एवं फसल की हुई नुकसानी का मुआवजा भुगतान करें।

असफलता और ऐतिहासिक अन्याय का स्थाई विकल्प

आजादी के बाद संविधान बना, कानून और नियम बनाए गए, उनमें संशोधन भी किए गए, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने महत्वपूर्ण आदेश भी दिए। इन सभी के दायरे में समाज को अधिकार सौंपें जाने की बजाय, समाज को उसके अधिकारों से तो वंचित किया ही गया, समाज पर ऐतिहासिक अन्याय भी किए गए।

प्रजातंत्र के नाम पर आजादी के बाद असफलता का इतिहास लिखा गया, आजादी के बाद ऐतिहासिक अन्याय का भी इतिहास लिखा गया। भारतीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था ने अपने–अपने स्तर पर या मिलजुल कर या एक दूसरे की उपेक्षा की जाकर या एक दूसरे का सहयोग किया जाकर ही असफलता और अन्याय का इतिहास लिखा है, जिसमें प्रजा तो मात्र मोहरा बन कर अधिकारों से वंचित किए जाने, तंत्र के हाथों प्रताड़ित किए जाने, तंत्र के अन्याय और अत्याचार सहने के लिए बाध्य होते आई हैं।

प्रजा से उसके प्रजातांत्रिक अधिकार कहीं–कहीं तो शांति और व्यवस्था के नाम पर छीन लिए गए, कहीं–कहीं प्रजातांत्रिक अधिकारों को प्रजा की पंहुच से दूर और बहुत दूर कर दिया गया। इन सबके बाद भी ''तंत्र'' हर पांच साल में प्रजा से उसके नए मालिक का नाम पूछकर उस पर प्रजा की मुहर लगवाकर उसे ही विश्व बिरादरी के सामने प्रजातंत्र बताते आया है।

आजादी के बाद ''तंत्र'' का दायरा बढ़ गया इसमें निर्वाचित जनप्रतिनिधि, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री के रूप में शामिल हो गए, विधायका का स्वरूप भी ''तंत्र'' आधारित और आश्रित हो गया, न्यायपालिका का स्वरूप समाज के सबसे कमजोर वर्ग की आवाज सुने जाने की बजाय बड़े–बड़े जोरदार तर्क देने वाले विशेषज्ञों और विधि व्यवसायियों के इर्दगिर्द सिमट गया। इन सबके बाद मात्र प्रजा ही तो शेष रही जो आजादी के बाद से आजादी का ही तो सपना देख रही है।

आईये मिलजुल कर विकल्पों की तलाश का साहस दिखाए।

''ग्रामों के प्रकार''

- **मालगुजारी, जमींदारी, जागीरदारी ग्राम** - आजादी के पहले राजस्व ग्रामों की व्यवस्था मालगुजार, जमींदार या जागीरदारों के नियंत्रण में थी इन ग्रामों में निजी भूमि छोड़कर शेष जल, जंगल और जमीन सभी कुछ मालगुजार, जमींदार या जागीरदारों के नियंत्रण में थे जिन पर ग्रामीणों को अधिकार भी प्राप्त थे।
- संविधान लागू होने के बाद जमींदारी उन्मूलन कानून या जमींदारी विनाश कानून या स्वानित्वाधिकारों के अन्त के कानून 1950 में बनाए जाकर निजी भूमि छोड़कर शेष जंगल और जमीन राज्य सरकार के राजस्व विभाग ने अर्जित किए।
- **रैय्यतवारी एवं मसाहती ग्राम** - रैय्यतवारी ग्रामों की भूमि संबंधी पूरे अभिलेख राजस्व विभाग के पास होते थे इन ग्रामों की व्यवस्था सरकार द्वारा नियुक्त ग्राम पटेल के द्वारा की जाती थी।

  मसाहती ग्रामों की व्यवस्था समुदाय आधारित थी इन ग्रामों का पूर्ण बन्दोबस्त नही किया गया।
- **राजस्व वन ग्राम** - वन विभाग ने बहुत से राजस्व ग्रामों को वानिकी प्रबन्धन के उद्देश्य से राजस्व विभाग से प्राप्त किया इन ग्रामों की भूमि को वन विभाग ने भी राजस्व भूमि ही माना। इन ग्रामों के राजस्व अभिलेख राजस्व विभाग के पटवारी के पास ही संधारित किए जाते रहे इन ग्रामों का राजस्व विभाग बन्दोबस्त भी करते रहा। इस तरह के ग्रामों को 1980 के बाद वन विभाग ने राजस्व वनग्राम माने जाने की बजाय वनग्राम बता दिया और अब इस तरह के ग्रामों की निजी कृषि भूमि को भी वन विभाग वन भूमि बताने लगा।
- **वनग्राम** - दो तरह के वनग्रामों के प्रमाण उपलब्ध है पहले वह ग्राम जो वनभूमि घोषित करने के पूर्व राजस्व ग्राम थे जिन्हें वनखण्ड में आने के कारण वन विभाग ने वन ग्राम मान लिया दूसरे वह ग्राम जिन्हें वन विभाग ने श्रमिक बस्तियों के रूप में बसाया।
- **वीरान ग्राम या बेचिराग ग्राम** - राजस्व ग्राम एवं वनग्राम दोनों में ही वीरान ग्राम या बेचिराग ग्राम होते हैं।

  वीरान वनग्राम के निवासी वन विभाग के कारण या दैविय आपदा के कारण ग्राम छोड़कर अन्य बस गए। ऐसे वनग्रामों के निवासियों के भूमि संबंधी समस्त अधिकार वन विभाग ने समाप्त कर दिए।

  वीरान राजस्व ग्रामों की बस्तियां उजड़ गई लेकिन इन ग्रामों की निजी जमीनों पर किसानों का हक बना रहा वह आसपास के ग्रामों से आकर इन जमीनों पर कृषि कार्य करते रहे हैं।
- **नगरीय सीमा में शामिल ग्राम** - नगरों के विकास के साथ ही राजस्व ग्राम एवं वनग्रामों को नगरीय सीमा का हिस्सा बना दिया इससे निजी भूमि पर किसानों के अधिकार तो यथावत बने रहे लेकिन उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों के समान मिलने वाली सुविधाऐं मिलना बन्द हो गया।
- **अधिसूचित क्षेत्र में शामिल ग्राम** - संविधान की पांचवीं अनूसूची के तहत कहीं विकास खण्ड तो कहीं ग्रामों को

अधिसूचित किया म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ राज्य में विकास खण्ड अधिसूचित किए गए जिसमें शामिल सभी ग्रामों को अधिसूचित क्षेत्र में शामिल ग्राम माना गया।

- 1996 की निस्तार नीति के दायरे में आने वाले ग्राम – राज्य शासन ने 1996 में नई निस्तार नीति लागू की जिसमें वनों और वन क्षेत्रों से 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले ग्रामों को शामिल किया जाकर सरकार द्वारा दी जाने वाली निस्तार सामग्री के योग्य बताया गया।
- **डीनोटीफाईड ग्राम** – वन विभाग ने भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 34अ के तहत राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन कर ग्राम की समस्त संरक्षित वन भूमि डीनोटीफाईड की इन ग्रामों के पटवारी हल्का नंबर, एवं बन्दोबस्त नंबर का राजपत्र में उल्लेख किया गया।

  ऐसे ग्रामों में से जिन ग्रामों की जमीनों को संरक्षित वन भूमि मानकर सर्वे डिमारकेशन में वन विभाग ने शामिल किया उन ग्रामों के खसरा नम्बर एवं रकबे की जानकारी सर्वे डिमारकेशन रिपोर्ट में वन विभाग के पास उपलब्ध हैं।
- **पुनर्वास ग्राम** – भारत सरकार द्वारा भारतीय मूल के पश्चिम पाकिस्तान, बर्मा आदि देशों से आए भारतीयों को बसाए जाने के लिए पुनर्वास ग्राम बसाए गए जिनका बन्दोबस्त किया जाकर पटवारी मानचित्र, खसरा पंजी, निस्तार पत्रक, किस्तबन्दी, आदि बनाकर ऐसे ग्रामों को बाद में राजस्व ग्राम घोषित किया गया।

राजस्व अभिलेख, अधिसूचना, कानून, नियम

हर जिले में राजस्व विभाग का जिला अभिलेखागार होता है, तहसील कार्यालय में तहसील अभिलेखागार होता है, जिला स्तर पर भू–अभिलेख कार्यालय होता है, जिला स्तर पर ही कलेक्टर कार्यालय में "प्रपत्र शाखा होती है यही आंग्ल अभिलेखागार भी होता है। संबंधित गांव का पटवारी, राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी एवं कलेक्टर कार्यालय कार्यरत है।

राजस्व विभाग के अभिलेखों, दस्तावेजों, मानचित्रों की जानकारी उपलब्ध करवाए जाने के लिए आजादी के पहले और आजादी के बाद राजस्व विभाग कॉपिंग रूल्स के अनुसार कार्यवाही कर किसी को भी निर्धारित फीस जमा करवाकर प्रतिलिपी उपलब्ध करवाते आया है। राजस्व विभाग अभिलेखों का अवलोकन भी निर्धारित फीस जमा करवाकर करवाते आया है।

सूचना का अधिकार कानून 2005 लागू होने के पहले से ही राजस्व विभाग राजस्व अभिलेखों का अवलोकन एवं उनकी प्रतियाँ उपलब्ध करवाए जाने की कार्यवाहियाँ करते आया है। राजस्व विभाग ने सूचना का अधिकार कानून लागू होने के बाद फीस में लगभग चार गुना की वृद्धि कर दो रूपया प्रतिपेज की बजाय दस रूपया प्रतिपेज की वसूली प्रारम्भ कर दी है।

1. **मालगुजार, जमींदार, जागीरदार से भूमि अर्जन के कानून**

- मध्य भारत जमींदारी समाप्ति विधान 1950
- मध्य भारत जागीरदारी समाप्ति विधान 1950
- विन्ध्य जागीर समाप्ति एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950
- भोपाल राज्य जागीर समाप्ति अधिनियम 1950
- स्वानित्वाधिकारों के अन्त का कानून 1950

2. **कृषि भूमि की सीमा में अधिक सीमा की भूमि अर्जन के कानून**

- कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम 1960
- कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम 1972

3. **किसानों की निजी भूमि के अर्जन से संबंधित कानून**

- भूमि अर्जन खान अधिनियम 1885 (1885 का 18)।
- भारतीय ट्राम अधिनियम, 1886 (1886 का 11)।
- भूमि अर्जन अधिनियम 1894
- भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 11 के प्रावधान।

- विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्व्यवस्थापन (भूमि अर्जन) अधिनियम, 1948
- दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 14)।
- स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 (1952 का 30)।
- राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48)।
- कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 (1957 का 20)
- प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958
- परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33)
- पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन अधिनियम, 1962 (1962 का 50)
- भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 (1978 का 33)।
- रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24)।
- विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36)।
- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013

4. भूदान यज्ञ में प्राप्त भूमि से संबंधित कानून

- मध्य प्रदेश भू–दान यज्ञ अधिनियम
- मध्य भारत भूदान यज्ञ विधान
- विन्ध्य प्रदेश भू–दान यज्ञ अधिनियम
- मध्य प्रदेश भू–दान यज्ञ अधिनियम 1968

5. भूमिहीनों, काबिजों को भूमि वितरण से संबंधित कानून

- मध्य प्रान्त पड़त भूमि अधिनियम
- मध्यप्रदेश एवं बरार पड़त भूमि कृषि अधिनियम
- मध्य प्रदेश पड़त भूमि कृषिकरण अधिनियम 1966
- मध्य प्रदेश ग्रामों में की दखल रहित भूमि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1970
- मध्य प्रदेश ग्रामों में की दखल रहित भूमि (विशेष उपबंध) अधिनियम संशोधन 1980
- मध्य प्रदेश वासस्थान दखलकार (भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1980
- वासस्थान दखलकार नियम 1981

- मध्य प्रदेश कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1984
- मध्य प्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) संशोधन अध्यादेश, 2012
- भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 में संशोधन वर्ष 1998
- भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 में संशोधन वर्ष 2002

6. नगरीय क्षेत्रों में आवासहीनों को आवासीय भूमि आवंटित करने से संबंधित कानून

- मध्य प्रदेश नगरीय क्षेत्रों में भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984
- मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्तियों (पट्टाधारी अधिकार का प्रदान किया जाना) अधिनियम 1994
- मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्तियों (पट्टाधारी अधिकार का प्रदान किया जाना) नियम 1998
- मध्य प्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) नियम, 2008

7. मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959

- **"दखल रहित भूमि से संबंधित संहिता का अध्याय 18"**
- धारा 233 दखल रहित भूमि का अभिलेख।
- दखल रहित भूमि का अभिलेख के संबंध में नियम 1960
- धारा 234 निस्तार पत्रक का तैयार किया जाना।
- निस्तार पत्रक की तैयारी संबंधी नियम 1960
- धारा 235 विषय जिनके लिए निस्तार पत्रक में उपबन्ध किया जावेगा।
- धारा 236 निस्तार पत्रक में कतिपय विषयों के लिए उपबन्ध।
- धारा 237 निस्तार अधिकारों के उपयोग के लिए कलेक्टर द्वारा भूमि का पृथक रखा जाना।
- दखल रहित भूमि जो धारा 237 की उपधारा (1) के उल्लेखित उद्देश्यों के लिए पृथक रखी गई है के संबंध में नियम 1999 (पूर्व के नियम विलोपित किए)
- धारा 238 दूसरे ग्राम की बंजर भूमि के अधिकार।
- धारा 239 दखल रहित भूमि में लगाए गए फलदार वृक्षों के अधिकार।
- धारा 240 कतिपय वृक्षों के काटे जाने का प्रतिशेध
- धारा 241 सरकारी वनों से इमारती लकड़ी की चोरी रोकने के उपाय।

- धारा 24 बाजिबुल अर्ज।
- बाजिब–उल–उर्ज संबंधी नियम 1960 ।
- धारा 243 आबादी
- धारा 244 आबादी स्थलों का निपटारा
- आबादी स्थानों के निपटारे संबंधी नियम 1960 ।
- धारा 245 भू–राजस्व दिये बिना गृह स्थल धारण करने का अधिकार।
- धारा 246 आबादी में गृह स्थल धारण करने वाले व्यक्तियों का अधिकार।
- धारा 247 खनिजों के संबंध में सरकार का हक।
- धारा 248 अप्राधिकृत रूप से भूमि पर कब्जा कर लेने के लिए शास्ती।
- नियम 1976
- धारा 249 मछली पकड़ने, आखेट करने आदि का विनियमन।
- मछली पकड़ने, शिकार करने के विनियमन संबंधी नियम 1960 ।
- धारा 250 अनुचित रूप से कब्जा किए गए भूस्वामी का पुनःस्थापन।
- धारा 250(क) धारा 250 के अधीन कब्जा वापिस न दिया जाने पर सिविल कारागार में परिषेध नियम 1981.
- धारा 250(ख) भूमि के आवंटिती के पक्ष में भूमि खाली न करना अपराध होगा।
- धारा 251 तालाबों का राज्य सरकार में निहित होना।
- तालाबों से सिंचाई एवं निस्तार संबंधी नियम 1960 ।
- धारा 252 लोकोपयोगी निर्माण कार्यों का अनुरक्षण।
- श्रम को अधिकार में लने संबंधी नियम 1960 ।
- धारा 253 उपबन्धों के उल्लंघन के लिए दण्ड।
- धारा 254 ग्रामसभा के कर्तव्यों का पटेल द्वारा पालन किया जाना।

8. राजस्व विभाग के महत्वपूर्ण, आवश्यक अभिलेख

- मिसल बन्दोबस्त
- बाजिबुल अर्ज
- अर्जित भूमि का प्रारूप "ख(बी)"

- निस्तार पत्रक
- अधिकार अभिलेख
- गांव का मानचित्र
- संशोधन पंजी
- खसरा पंजी
- अतिक्रमण पंजी
- दायरा पंजी
- मौजावार पंजी
- अधिसूचनाऐं
- राजस्व प्रकरणों की मद एवं संधारण अवधि
- ग्राम नोट बुक

9. भू-राजस्व संहिता 1959 में समाहित पूर्व प्रचलित कानून एवं नियम

अनुसूची 2

भू–राजस्व संहिता 1959 (धारा 261 देखिए)

सन् (1)	संक्षिप्त नाम (2)	निरसन की सीमा (3)
1931	इंदौर लैंड रेवेन्यू एंड टेनेन्सी एक्ट, 1931 (इंदौर भू–राजस्व तथा कृषकाधिकार अधिनियम, 1931)	संपूर्ण
1932	दि भोपाल स्टेट लैंड रेवेन्यू एक्ट, 1932 (भोपाल राज्य भू–राजस्व अधिनियम, 1932	संपूर्ण
1940–41	बड़वानी स्टेट रिजोल्यूशन नं. 67 (बड़वानी रियासत संकल्प क्रमांक 67)	संपूर्ण
1941	इंदौर रेस्टीट्यूशन ऑफ पट्टेदार टेनेंट्स मार्गेज्ड लैंड एक्ट, 1941 (इंदौर पट्टेदार कृषकों की बंधक भूमि का प्रत्यस्थापन अधिनियम, 1941)	संपूर्ण
1941–42	धार लैंड रेवेन्यू एंड टेनेन्सी एक्ट, 1941–42 (धार भू–राजस्व तथा कृषकाधिकार अधिनियम, 1941–42)	संपूर्ण
1942	दि सेंट्रल प्रोविन्सेज एंड बरार हिंदू वीमेन्स राइट्स टू प्रापर्टी (एक्सटेन्शन टू एग्रीकल्चरल लैंड) एक्ट, 1942 (मध्य प्रांत तथा बरार हिंदू महिला का संपत्ति में अधिकार (कृषि भूमि तक विस्तार) अधिनियम, 1942)	संपूर्ण

1946	दि रीवा स्टेट प्रिएंप्शन एक्ट, 1946 (रीवा राज्य हकशफा अधिनियम, 1946)	संपूर्ण जहां तक वह कृषि भूमि से संबंधित है।
1949	मध्य भारत जागीरों के भू–लेख्य संग्रह के प्रबंध का विधान	संपूर्ण
1949	मध्य भारत जागीरी कृषि– भूमि प्रत्यर्पण विधान	संपूर्ण
1950	मध्य भारत भू–आगम एवं कृषकाधिकार विधान, संवत् 2007	संपूर्ण
1951	दि राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट्स (प्रोसीजर एंड ज्युरिडिक्शन) एक्ट, 1951 (राजस्थान राजस्व न्यायालय (प्रक्रिया तथा क्षेत्राधिकार) अधिनियम 1951	संपूर्ण
1952	दि राजस्थान पब्लिक डिमांड्स रिकवरी एक्ट, 1952 (राजस्थान शासकीय मांग वसूली अधिनियम, 1952)	संपूर्ण
1953	दि भोपाल स्टेट सब टेनेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट, 1952 (भोपाल राज्य उप–कृषक संरक्षण अधिनियम, 1952)	संपूर्ण
1953	दि राजस्थान लैंड्स समरी सैटिलमेंट एक्ट, 1953 (राजस्थान भूमि संक्षिप्त बंदोबस्त अधिनियम, 1953)	संपूर्ण
1954	मध्य भारत माफी तथा इनाम कृषक एवं उप–कृषक संरक्षण विधान, 1954	संपूर्ण
1954	दि राजस्थान रैंट रेट्स डिटर्मिनेशन एंड वैलीडेशन एक्ट, 1954 (राजस्थान का भाडा दर अवधारण तथा मान्यताकरण अधिनियम, 1954)	संपूर्ण
1954	दि राजस्व होल्डिंग्ज (कन्सोलीडेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन) एक्ट, 1954 (राजस्थान खाता (चकबंदी तथा विखंडन की रोक) अधिनियम, 1954)	संपूर्ण
1954	दि राजस्थान कॉलोनाईजेशन एक्ट, 1954 (राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954)	संपूर्ण
1955	मध्य भारत रैयतवारी उप–पट्टेदार संरक्षण विधान, 1955	
1955	विंध्यप्रदेश लैंड रेवेन्यू एंड टेनेन्सी एक्ट, 1953 (विन्ध्य प्रदेश भू–राजस्व एवं कृषकाधिकार अधिनियम 1953)	संपूर्ण
1955	दि भोपाल स्टेट सब टेनेंट्स (ऑफ आक्यूपेंट्स) प्रोटेक्शन एक्ट, 1954 (भोपाल राज्य उप–कृषक (दखलकारों के) संरक्षण अधिनियम, 1954)	संपूर्ण
1955	दि राजस्थान टेनेन्सी एक्ट, 1955 (राजस्थान कृषकाधिकार अधिनियम, 1955)	संपूर्ण

1955	दि मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड, 1954 (मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1954	संपूर्ण
1956	दि राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, 1956 (राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956)	संपूर्ण
1956	दि राजस्थान रिव्यू एंड वैलीडेशन ऑफ रेंट रेट्स (रिवाईवल) एक्ट, 1956 (राजस्थान भाड़ा दरों का पुनर्विलोकन तथा मान्यताकरण (पुनर्नवीकरण) अधिनियम, 1956	संपूर्ण
1957	दि मध्य प्रदेश क्रिएशन ऑफ कमिश्नर्स एक्ट, 1957 (मध्यप्रदेश आयुक्त पद सृजन अधिनियम, 1957)	संपूर्ण
	कथायद तराशी व बताए चकूक पड़ती काबिल कास्त ग्वालियर, संवत् 1983	संपूर्ण

अनुसूची 3

भू–राजस्व संहिता 1959 (धारा 262(3) देखिए)

विधि का नाम

- दि इंदौर लैंड रेवेन्यू एंड टेनेन्सी एक्ट (इंदौर भू–राजस्व एवं कृषकाधिकार अधिनियम)।
- इंदौर जागीरदार मैनुअल।
- कवायद जागीरदारान, ग्वालियर।
- कवायद जागीरदारान जुज्वे आराजी, रियासत ग्वालियर।
- जागीर एंड मुआफी रूल्स ऑफ दि राजगढ़ स्टेट (राजगढ़ राज्य के जागीर तथा मुआफी नियम)।
- धार लैंड रेवेन्यू एक्ट (धार भू–राजस्व अधिनियम)।
- मुआफी रूल्स ऑफ दि धार स्टेट (धार राज्य के मुआफी नियम)।
- इनाम रूल्स ऑफ दि देवास (जूनियर)।
  [देवास (जूनियर) के इनाम नियम] ।
- लैंड रेवेन्यू एंड टेनेन्सी एक्ट ऑफ देवास (सीनियर)।
  [देवास (सीनियर) भू–राजस्व एवं कृषकाधिकार अधिनियम]
- मुआफी रूल्स ऑफ देवास (जूनियर)
  [देवास (जूनियर) के मुआफी नियम]
- कवायद मुआफी रूल्स ऑफ दि झाबुआ स्टेट
  (झाबुआ राज्य के कवायद मुआफी नियम)।
- नजराना रूल्स ऑफ दि बड़वानी स्टेट (बड़वानी राज्य के नजराना नियम)।

"राजस्व विभाग के अभिलेख एवं दस्तावेज"

वन विभाग के 1862 में किए गए गठन के पहले भूमि संबंधी आवश्यक अभिलेख एवं दस्तावेज राजस्व विभाग के द्वारा ही संधारित किए जाते रहे, राजस्व विभाग ही कार्यवाहियाँ करते रहा।

राजस्व विभाग ने देश की आजादी के बाद तत्कालीन मालगुजार, जमींदार, जागीरदार एवं अन्य शासकों से राजस्व ग्रामों की इजमेन्ट राइट्स के रूप में दर्ज जमीनों का अर्जन किया और रैय्यतवारी, मसाहती ग्रामों को मिलाकर इस तरह की जमीनों को राजस्व कानून में "दखल रहित भूमि मानकर प्रावधान किए गए।

राजस्व विभाग ने राजस्व ग्रामों का बन्दोबस्त किया, चकबन्दी की गई, अधिकार अभिलेख बनाए, निस्तार पत्रक बनाए अन्य अभिलेख भी बनाए जो राजस्व विभाग के जिला अभिलेखागार में उपलब्ध है, संबंधित पटवारी के पास उपलब्ध है। राजस्व भूमियों से संबंधित दायरा पंजी, संशोधन पंजी, खसरा पंजी आदि भी राजस्व विभाग के संबंधित कार्यालयों में, तहसील अभिलेखागार में, भू–अभिलेख अधीक्षक के कार्यालय में उपलब्ध है।

राजस्व भूमियों को वन विभाग ने संरक्षित वन भूमि मानकर जो भी कार्यवाहियां की उसके अनुसार राजस्व विभाग ने विभागीय अभिलेखों को संशोधित किए जाने की कार्यवाहियां नही की। भू–राजस्व संहिता 1959 में दखल रहित भूमियों को संरक्षित वन या असीमांकित वन या नारंगी वन भूमि माने जाने के प्रावधान नही होने पर भी राजस्व विभाग ने वन विभाग की कार्यवाहियों का विरोध नही किया।

"राजस्व विभाग के अभिलेख"

राजस्व अभिलेखागार में अभिलेखों का अवलोकनः–

हर जिले के कलेक्टर कार्यालय में जिला अभिलेखागार होता है जिसमें राजस्व अभिलेखों सहित राजस्व कार्यालयों एवं न्यायालयों में चलने वाले प्रकरणों की नस्तियां रखी जाती है इसके अलावा अन्य अभिलेख भी जिला अभिलेखागार में होते हैं।

अभिलेखागार में अभिलेख मौजावार रखे जाते हैं इसलिए सबसे पहली आवश्यकता यह है कि आप किस मौजे (ग्राम) के अभिलेख देखना चाहते हैं आपको यह पता होना चाहिए इसके लिए अभिलेखागार में एक पंजी होती है जिसमें वर्णानुसार ग्रामों के नाम दर्ज होते हैं जिनके साथ उस ग्राम का बन्दोबस्त नम्बर क्या है उस ग्राम का पटवारी हल्का नम्बर क्या है इसका उल्लेख होता है इस पंजी को देखकर आप ग्राम का नाम, उसका बन्दोबस्त नम्बर, उसका पटवारी हल्का नम्बर अभिलेखागार के कर्मचारी को बता सकते हैं कि उसे इस ग्राम का अभिलेख देखना है।

यदि आप उस ग्राम से संबंधित किसी भी राजस्व न्यायालय में चलाए गए पुराने प्रकरण देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अभिलेखागार में रखी हुई "मौजावार पंजी" भी देखना होगी इस मौजावार पंजी में प्रत्येक ग्राम के विभिन्न राजस्व न्यायालयों में चले प्रकरणों का ब्यौरा रखा जाता है जिसमें उस प्रकरण का क्रमांक उसकी मद उसके पंजीयन का वर्ष,

पक्षकारों के नाम, आदेश का संक्षिप्त विवरण दर्ज रहता है इस पंजी के आधार पर ही आप यह देख सकते हैं कि प्रकरण अभिलेखागार में मौजूद है या उसे समय सीमा के बाद नष्ट कर दिया है यदि वह मौजूद है तो अभिलेखागार में प्रकरण को रखे जाने हेतु इस मौजावार पंजी में जो अनुक्रमांक दिया है उसका, प्रकरण को पंजीबद्ध किए जाने हेतु दिए गए प्रकरण क्रमांक मद व पंजीयन वर्ष, पक्षकार के नाम का उल्लेख करते हुए अभिलेखापाल को उसके निरीक्षण हेतु आवेदन दे सकते हैं जिसके बाद अभिलेखागार में रखे गए एक रजिस्टर पर अभिलेखागार ब्यौरा दर्ज कर उस पर फीस के रूप में टिकिट चिपका कर आपको निरीक्षण के लिए अपनी उपस्थिति में यह नस्ती (फाईल) उपलब्ध करवाता है।

इसी तरह से यदि आप मिसल बन्दोबस्त, बाजिबुल अर्ज, निस्तार पत्रक, जमाबन्दी, खसरा पंजी या इसी तरह का अन्य अभिलेख देखना चाहते हैं तो आवेदन दिया जाकर फीस के रूप में टिकिट चिपकवाकर आपको अभिलेखापाल अपनी उपस्थिति में अभिलेख दिखाऐगें।

इन अभिलेखों में से किस अभिलेख की आपको आवश्यकता है उसकी नकल भी आप प्राप्त कर सकते हैं।

अभिलेखों की नकल प्राप्त किया जाना:-

जिला अभिलेखागार में अभिलेखों का निरीक्षण किए जाने के बाद जब यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि किस अभिलेख की नकल प्राप्त की जानी है तब कलेक्टर कार्यालय के ही मुख्य प्रतिलिपीकार के समक्ष नकल का आवेदन देना होता है इस नकल आवेदन में ग्राम का नाम, बन्दोबस्त नम्बर, पटवारी हल्का नम्बर, राजस्व निरीक्षक वृत, तहसील का उल्लेख करने के साथ ही यदि किसी प्रकरण के किसी दस्तावेज की नकल लेना हो तो उस प्रकरण का अभिलेखागार का क्रमांक, प्रकरण का क्रमांक उसके पंजीयन का वर्ष, उसकी मद, पक्षकारों के नाम आदि का उल्लेख करते हुए यह बताना होता है कि प्रकरण के किस दस्तावेज की आप नकल चाहते हैं यदि आपको मिसल बन्दोबस्त, बाजिबुल अर्ज, निस्तार पत्रक, खसरा पंजी, जमाबन्दी की नकल लेनी हो तो यह स्पष्ट रूप से दर्शाना होता है कि किस वर्ष के किस अभिलेख के किस खसरा नम्बर की नकल लेनी है।

इस आवेदन के साथ आपको नकल हेतु निर्धारित फीस भी मुख्य प्रतिलिपीकार के पास जमा करनी होती है जिसकी वे रसीद देते हैं एवं नकल कितने दिनों बाद किस तारीख को मिलेगी इसका भी उसमें उल्लेख करते हैं यदि नकल की अत्यन्त आवश्यकता है एवं शीघ्र चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ अधिक फीस देकर अपने आवेदन में यह दर्शाना होता है कि नकल शीघ्र प्रदान की जाए इस तरह के आवेदनों पर तीन दिन में नकल प्रदान किया जाना आवश्यक है।

राजस्व अभिलेखागार में जो भी दस्तावेज हैं उनकी नकल कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है इसके लिए आवश्यक नहीं है कि जिस व्यक्ति से वह संबंधित हो वही आकर नकल का आवेदन प्रस्तुत करें।

तहसील का अभिलेखागार:-

प्रत्येक तहसील में भी राजस्व विभाग का एक अभिलेखागार होता है लेकिन इस अभिलेखागार में खसरा पंजी, किस्तबन्दी, और संशोधन पंजी ही रखी जाती है यह सभी अभिलेख एक निश्चित अवधि के तो इस तहसील अभिलेखागार में

मिलते हैं उसके बाद इन्हें जिला अभिलेखागार में भिजवा दिया जाता है।

तहसील अभिलेखागार की नकल:-

हर तहसील में भी प्रतिलिपीकार होते हैं उन्हें भी आवेदन देना होता है जिसके साथ फीस जमा करनी होती है जिसके बाद निश्चित तारीख को नकल प्राप्त की जा सकती है।

मौजावार पंजी:-

मौजा का अर्थ है ग्राम किसी भी राजस्व ग्राम के संबंध में किसी भी राजस्व न्यायालय में की गई कार्यवाहियों, पंजीबद्ध किए गए प्रकरण जिला अभिलेखागार में भेज दिए जाते हैं अभिलेखागार में प्रत्येक ग्राम की एक पंजी होती है जिसे ''मौजावार पंजी'' कहा जाता है इस पंजी में प्रत्येक प्रकरण को दर्ज किया जाता है।

अभिलेखागार में प्रकरण को क्रमांक दिया जाकर पंजी में उसे दर्ज किया जाता है एवं प्रकरण के प्रथम पृष्ट पर वह नम्बर डाला जाता है इसके बाद जिस न्यायालय का वह प्रकरण है उसका नाम न्यायालय में प्रकरण का जो क्रमांक दिया गया है वह, प्रकरण की मद एवं पंजीयन का वर्ष डाला जाता है इसके बाद पक्षकारों के नाम लिखे जाकर आदेश दिनांक एवं आदेश का संक्षिप्त ब्यौरा भी दर्ज किया जाता है।

शासन के द्वारा प्रकरणों को दो भागों में विभक्त किया जाता है एक वे प्रकरण जो स्थाई प्रवृति के होते हैं इस तरह के प्रकरणों को नष्ट नहीं किया जाता दूसरे वे प्रकरण जो अस्थाई प्रवृति के होते हैं इन्हें एक निश्चित समय पर नष्ट कर दिया जाता है जिन प्रकरणों को नष्ट किया जाता है उनके नष्ट किए जाने की तिथि भी मौजावार पंजी में दर्ज रहती है।

शासकीय भूमि आवंटन के प्रकरण स्थाई प्रवृति के होते है जिन्हें नष्ट नहीं किया जाता याने आजादी के बाद जो भी शासकीय भूमि जिसे भी आवंटित की गई है उसके प्रकरण को जिला अभिलेखागार में देखा जा सकता है उसकी नकल प्राप्त की जा सकती है।

शासकीय भूमि पर यदि पटवारी ने अतिक्रमण का प्रकरण बनाया है नायब तहसलदार या तहसीलदार ने उस पर जुर्माना किया है तो उस प्रकरण की जानकारी मौजावार पंजी से प्राप्त की जा सकती है और यदि प्रकरण नष्ट कर दिया गया है तो मौजावार पंजी की उस प्रविष्टि की नकल प्राप्त की जाकर उसे कब्जे की तिथि के रूप में प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है।

दाखला रजिस्टर या प्रकरण पंजी:-

कोई भी राजस्व प्रकरण सबसे पहले संबंधित न्यायालय या कार्यालय में एक पंजी में दर्ज किया जाता है और उसे प्रकरण क्रमांक दिया जाता है इस पंजी को दाखला रजिस्टर या प्रकरण पंजी कहा जाता है।

इस पंजी में प्रकरण क्रमांक प्रकरण की मद पंजीयन का वर्ष पक्षकार का नाम आदि दर्ज किए जाते हैं प्रत्येक मद की अलग-अलग जानकारी रखी जाती है प्रत्येक वर्ष की नई पंजी बनाई जाती है इस पंजी में प्रकरण में क्या आदेश किस दिनांक

को किया गया है उसका बहुत ही संक्षिप्त ब्यौरा दर्ज किया जाता है प्रकरण को जिला अभिलेखागार में किस दिनांक को प्रेषित किया गया है वह तिथि दर्ज की जाती है।

इस पंजी का अवलोकन कर प्रकरण का क्रमांक एवं अन्य आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है जिसके आधार पर जिला अभिलेखागार की मौजावार पंजी का अवलोकन किया जाकर प्रकरण की स्थिति जानकर आवश्यक होने पर उसकी नकल प्राप्त की जा सकती है।

मिसल बन्दोबस्तः-

ब्रिटिश हुकुमत के द्वारा जमीनों के अलग-अलग समय पर बन्दोबस्त करवाए गए इस बन्दोबस्त में कृषि भूमि, सामुदायिक निस्तारी भूमि की सीमाबन्दी की गई, पुराने खसरा क्रमांको में हुए बटे नम्बर को बदला जाकर नया नम्बर दिया गया, लगान की दरो को भी संशोधित किया गया, कानूनों में किए गए बदलाव के तहत ग्रामीणों के अधिकारों को भी निर्धारित किया गया।

बन्दोबस्त के दौरान जितनी भी कार्यवाहियां की गई मानचित्र बनाए गए उन्हें एक साथ एक मिसल जिसे नस्ती या फाईल भी कहा जाता है में रखे गए इस तरह से मिसल बन्दोबस्त में प्रत्येक ग्राम के बन्दोबस्त के समय बनाए गए समस्त अभिलेखों को एक साथ रखा गया इसीलिए इसे ''मिसल बन्दोबस्त'' कहा जाता है।

ब्रिटिश हुकुमत के द्वारा अलग-अलग क्षेत्रों का अलग-अलग समय बन्दोबस्त किया, बैतूल जिले के ग्रामों का 1857 में बन्दोबस्त किया जिसके अभिलेख कलेक्टर जिला अभिलेखागार में आज भी उपलब्ध है इसके बाद बैतूल जिले के ही ग्रामों का 1912 से 1920 के बीच में पुनः बन्दोबस्त किया गया जिसके भी मिलस बन्दोबस्त कलेक्टर जिला अभिलेखागार में उपलब्ध है इसी मिसल बन्दोबस्त की एक प्रति राजस्व पटवारी के पास भी उपलब्ध है।

इस मिसल बन्दोबस्त का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है बाजिबुल अर्ज लगभग 40 पृष्टों का यह दस्तावेज प्रत्येक ग्राम की मिसल बन्दोबस्त में उपलब्ध है।

पटवारी के पास उपलब्ध मिसल बन्दोबस्त तो बिना किसी फीस के पटाए पटवारी के पास देखी जा सकती है लेकिन यदि जिला अभिलेखागार में देखना चाहें तो इसके लिए राज्य शासन के द्वारा देखने की फीस निर्धारित की गई है जिसे अभिलेखागार में उपलब्ध अभिलेखापाल को पटाया जाकर देखा जा सकता है।

मिसल बन्दोबस्त के किसी भी दस्तावेज की नकल भी प्राप्त की जा सकती है इसके लिए जिला कलेक्टर कार्यालय की प्रतिलिपी शाखा में आवेदन के साथ निश्चित की गई फीस चुकाई जाकर नकल प्राप्त की जा सकती है।

मिसल बन्दोबस्त में कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख :-

ग्राम का मानचित्र : आजादी के पहले ग्राम का मानचित्र एवं उसमें दर्ज भूमियों की सीमा का पूरा ब्यौरा इस मानचित्र में उपलब्ध हैं इस मानचित्र में दर्शाई गई ग्राम की सीमा को आजादी के बाद परिवर्तित किया व्यापक पैमानें पर मानचित्र से

भूमियों को पृथक किया। इस मानचित्र से ग्राम की आजादी पूर्व की सीमा का सत्यापन किया जा सकता है।

मतदाता सूची : मिसल बन्दोबस्त में बन्दोबस्त के समय ग्राम के मतदाताओं की सूची भी मिलती हैं यह सूची तीन पीढ़ियों के निवास को प्रमाणित किए जाने के दस्तावेज के रूप में उपयोग में लाई जा सकती हैं।

मालगुजार, जमींदार से अर्जित भूमि का पत्रक : 1950 के कानून के तहत तत्कालीन मालगुजार, जमींदार, जागीरदार या महल से जो संसाधन अर्जित किए गए उन संसाधनों का पत्रक जिसमें भूमि का खसरा नम्बर, उसका रकबा, उसकी मद एवं उसके प्रयोजनों का ब्यौरा दर्ज किया गया मिसल बन्दोबस्त में ही रखा गया यह अभिलेख भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

"आवश्यक अभिलेख"

बाजिबुल अर्ज:-

जल, जंगल और जमीन के मुद्दे पर कार्य करने वालों के लिए बाजिबुल अर्ज एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, बाजिबुल अर्ज को दो पार्ट में देखने की आवश्यकता है पहला तो 1950 के पहले का बाजिबुल अर्ज एवं एक भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 242 के तहत बनाया गया बाजिबुल अर्ज।

बाजिबुल अर्ज को रिकार्ड आफ राइट्स या रूढ़ि पत्रक के नाम से भी जाना जाता है इसका अर्थ है किसी दूसरे की जमीन पर अधिकार।

1950 में मालगुजारी, जमीदारी उन्मूलन के लिए बनाए गए स्वामित्वाधिकारों (मालिकाना हकों) (महल, दुमाला, इलाके) के अन्त का कानून 1950 के तहत बाजिबुल अर्ज में दर्ज सामुदायिक निस्तारी जमीनों को ही राज्य शासन के द्वारा अपने नियंत्रण में लिया गया यह बाजिबुल अर्ज मिसल बन्दोबस्त का ही एक हिस्सा होता है जिसकी एक प्रति पटवारी के पास एवं एक प्रति जिला अभिलेखागार में होती है।

बाजिबुल अर्ज में बड़े झाड़ के जंगल, छोटे झाड़ के जंगल, पहाड़ चट्टान, जंगल जंला, जंगल खुर्द, जंगलात, घांस, चरनोई, पहाड़ चट्टान आदि मदों में जो जमीनें दर्ज रही उनका उल्लेख उनके प्रयोजनों के अनुसार दर्ज रहता है उस समय समाज के क्या–क्या अधिकार नियत रहे हैं यह भी दर्ज है। ग्राम के पानी के स्त्रोत तालाब, नदी नाले आदि पर समाज के क्या–क्या अधिकार सुरक्षित होगें इसकी भी जानकारी बाजिबुल अर्ज में दर्ज है।

किसी भी ग्राम के सामुदायिक संसाधनों की जानकारी हासिल किए जाने हेतु बाजिबुल अर्ज का अध्ययन आवश्यक है यह दस्तावेज बीस से तीस पेज का प्रत्येक ग्राम का अलग–अलग होता है।

निस्तार पत्रक:-

जल, जंगल और जमीन के मुद्दे पर काम करने वालों के लिए दूसरा महत्वपूर्ण दस्तावेज है "ग्राम का निस्तार पत्रक" जिसमें ग्राम के सामुदायिक संसाधनों की जानकारी उन पर समाज के अधिकारों की जानकारी दर्ज रहती है यह निस्तार पत्रक भी प्रत्येक ग्राम का अलग-अलग बनाया इसकी एक प्रति जिला अभिलेखागार में रहती है एक प्रति ग्राम के पटवारी के पास रहती है और अब एक प्रति ग्राम पंचायत के कार्यालय में भी रखी जाती है।

मालगुजारी, जमीदारी उन्मूलन के बाद राज्य सरकार द्वारा वाजिबुल अर्ज में दर्ज जितने भी सामुदायिक संसाधनों को अपने नियंत्रण में लिया उनकी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समाज के अधिकारों को वैधानिक दर्जा दिए जाने के लिए प्रत्येक ग्राम का निस्तार पत्रक बनाया गया भू-राजस्व संहिता की धारा 234 के तहत निस्तार पत्रक की व्यवस्था है एवं संहिता की धारा 237(1) में दिए गए प्रयोजनों के लिए जमीनें आरक्षित की जाकर समाज के अधिकार सुनिश्चित किए गए।

ग्राम के जल स्त्रोत तालाब, नदी नाले उनके पानी का उपयोग, उन पर सामुदायिक अधिकार इनका भी उल्लेख निस्तार पत्रक में दर्ज किया जाता है।

शासकीय नियंत्रण के सामुदायिक संसाधनों की जानकारी हासिल करने के लिए निस्तार पत्रक की जानकारी होना आवश्यक है यह लगभग बीस पेज का रजिस्टर नुमा दस्तावेज होता है।

अधिकार अभिलेख:-

जल, जंगल और जमीन के मुद्दे पर काम करने के लिए अधिकार अभिलेख को जानना समझना और उसका उपयोग करना आवश्यक है।

आजादी के बाद अलग-अलग समय में अलग-अलग क्षेत्रों का बन्दोबस्त किया गया चकबन्दी की गई इस दौरान पुराने बटे नम्बरों को नया नम्बर दिया गया पहले एकड़ में भूमि के माप दर्ज किए जाते थे फिर माप हेक्टयर में दर्ज किए जाने लगे किसी भी खसरा नम्बर में क्या परिवर्तन आया, किसके क्या अधिकार है सरकारी सामुदायिक जमीनों की क्या स्थिति है इसका ब्यौरा अधिकार अभिलेख में मिलता है इसकी एक प्रति ग्राम के पटवारी के पास होती है तो एक प्रति जिला अभिलेखागार में होती है।

अधिकार अभिलेख देख कर ही यह पता लगाया जा सकता है कि पहले खसरा क्रमांक क्या था उसका नया नम्बर क्या हुआ वह कितने एकड़ के रूप में दर्ज था बाद में उसे कितने हेक्टयर के रूप में दर्ज किया गया।

अधिकार अभिलेख में किसी ग्राम में किसी व्यक्ति के नाम पर कितनी भूमि है उसका ब्यौरा व्यक्ति या खातेदारों के नाम की वर्णमाला क्रम में दर्ज होता है।

अधिकार अभिलेख के अन्त में दखल रहित भूमियों का, नदी नालों का, मार्ग रास्तों का पुराना खसरा नम्बर, नया खसरा नम्बर रकबा एकड़ में रकबा हेक्टयर में प्रयोजन एवं मद, अधिकार आदि दर्ज किए जाते हैं।

अधिकार अभिलेख की नकल भी अन्य राजस्व अभिलेखों की ही तरह जिला अभिलेखागार से प्राप्त की जा सकती है।

खसरा नम्बरों की परिवर्तन सूची :-

राजस्व विभाग के द्वारा किए गए बन्दोबस्त के दौरान या चकबन्दी के दौरान पुराने खसरा नम्बरों को या जो खसरा नम्बर बटे में रहे उनसे बदला जाकर नया नम्बर दिया गया। निस्तार पत्रक में पुराने खसरा नम्बर दिए गए हैं वर्तमान अभिलेखों में नए खसरा नम्बर दिए गए हैं इन दोनों का मिलान किए जाने हेतु परिवर्तित खसरा नम्बरों की सूची प्राप्त किया जाना आवश्यक हैं।

परिवर्तित खसरा नम्बरों की सूची जिला अभिलेखागार से प्राप्त की जा सकती हैं, यह सूची संबंधित ग्राम के पटवारी के पास भी उपलब्ध रहती हैं उससे भी प्राप्त की जा सकती हैं।

गांव का मानचित्र:-

प्रत्येक ग्राम का एक मानचित्र होता है जो कि 1 इंच = 16 मील के स्केल पर बना होता है एक गांव के मानचित्र के रकबे के अनुसार अलग–अलग शीट होती है याने एक गांव में दो शीट का मानचित्र हो सकता है तो छः शीट का भी मानचित्र हो सकता है यह गांव के रकबे पर निर्भर करता है।

मानचित्र की एक संदर्भ शीट जिला अभिलेखागार में होती है जिसमें बन्दोबस्त, चकबन्दी या अधिकार अभिलेख बनाए जाते समय ही परिवर्तन होता है लेकिन उसी मानचित्र की एक प्रति ग्राम के पटवारी के पास होती है जिसमें वे खरीद बिक्री होने पर या शासकीय भूमि आवंटित होने पर बटे नम्बर करके सीमा लाईन डालते हैं ग्राम पंचायतों के कार्यालय में भी अब मानचित्र की प्रति रखी जाने लगी है।

ग्राम के मानचित्र में सामुदायिक संसाधनों ग्राम की परम्परा और रूढ़ियों को नदी नाले, रास्ते, मार्ग आदि को चिन्हों के माध्यम से भी दर्शाया जाता है यदि आपको चिन्हों का ज्ञान है तो आप मानचित्र में दर्शित चिन्ह देखकर यह पता लगा सकते हैं कि ग्रामीण निस्तार के लिए कौन–कौन सी जमीन आरक्षित है।

पटवारी मानचित्र में सीमा चिन्ह भी दर्शाए जाते हैं जिनके आधार पर ही सीमा विवाद होने पर जमीन का सीमांकन किया जाता है अन्य राजस्व अभिलेखों की ही तरह मानचित्र की भी नकल प्राप्त की जा सकती है।

जिन भूमिहीनों को शासकीय भूमि का आवंटन किया गया है उसकी जानकारी पटवारी के पास उपलब्ध मानचित्र से प्राप्त की जा सकती है, कि भूमि के किस भाग को आवंटित किया गया है उसकी सीमा रेखा क्या है।

खसरा पंजी:-

प्रत्येक ग्राम की अलग–अलग खसरा पंजी होती है जिसमें खसरा नम्बर क्रम से दिए होते है इसमें खसरा का क्रमांक उसका रकबा निजी भूमि स्वामी है तो उसका नाम शासकीय पट्टेधारी है तो उसका नाम शासकीय भूमि है तो किस विभाग की

भूमि है उस विभाग का नाम, सामुदायिक भूमि है तो उसका मद दर्ज होता है नदी नाले मार्ग रास्ते का भी खसरा क्रमांक होता है जिसे भी इस पंजी में मय रकबे के दर्शाया जाता है।

आजादी के बाद खसरा में अनेक परिवर्तन आए हैं पहले एक साल की अलग–अलग खसरा पंजी रखी जाती थी कहीं–कहीं तीन साल की एक ही खसरा पंजी रखी जाती थी अब पांच साल की खसरा पंजी रखी जाती है।

ग्राम की भूमियों की खरीद बिक्री हो या शासकीय भूमियों का आवंटन हो या शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया हो खसरा पंजी के केफियत (टिप्पणी) के लिए जो कालम होता है उसमें दर्ज किया जाता है। खसरा पंजी में किस खसरा क्रमांक के कितने भाग पर कौन सी फसल बोई गई इसका भी उल्लेख होता है।

शासन के नियमानुसार अक्टूम्बर माह में गिरवाबरी की जाती है जिसमें पटवारी को एक–एक खेत में घूम कर खेत में बोई गई फसल, और जो भी स्थल के परिवर्तन है खेत में जो वृक्ष है उसका ब्यौरा दर्ज करना होता है। वास्तविक रूप से ऐसा खेत में घूम–घूम कर नहीं किया जाता, बल्कि गांव में किसी एक स्थान पर बैठकर गिरदावरी की औपचारिकता पूरी कर ली जाती है इसी वजह से इसे ''खटिया गिरदावरी'' के रूप में व्यंगात्मक भाषा की तरह से उपयोग में लाया जाता है।

भूमि खरीद बिक्री या आवंटन के बाद होने वाले बटे नम्बर और उनका रकबा इसी पंजी में दर्ज किया जाता है।

एक निश्चित अवधि तक की खसरा पंजी तो जिला अभिलेखागार में मिल जाती है उसके बाद की खसरा पंजी तहसील अभिलेखागार में मिलती है चालू खसरा पंजी पटवारी के पास उपलब्ध रहती है इसकी एक प्रति ग्राम पंचायत में भी रखी जाती है अब तो सरकार कम्प्यूटर से भी चालू साल की खसरा पंजी की प्रति उपलब्ध करवा रही है।

भूमि संबंधी महत्वपूर्ण प्रकरणों की नस्तियां :-

कलेक्टर कार्यालय में स्थित जिला अभिलेखागार में भूमि संबंधी प्रकरणों की नस्तियां उपलब्ध हैं जिनका अवलोकन किया जा सकता है जिनकी प्रतियां प्राप्त की जा सकती है।

- मालगुजारों, जमींदारों, जागीरदारों महल एवं दुमाला से 1950 में बनाए गए कानूनों के तहत विभिन्न अधिकारों एवं सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए दर्ज जमीनों को अर्जित किया जो संबंधित अभिलेखागार में उपलब्ध हैं।
- सिलिंग एक्ट के तहत दो बार निजी कृषि भूमियां अर्जित की गई जिनके भी प्रकरण जिला अभिलेखागार में उपलब्ध हैं यदि यह प्रकरण किसी न्यायालय में लम्बित हैं तो उसकी भी जानकारी जिला अभिलेखागार में उपलब्ध हैं।
- भूमि अर्जन के प्रकरण :– देश में प्रचलित विभिन्न भूमि के अर्जन से संबंधित प्रकरण भी जिला अभिलेखागार में उपलब्ध हैं।
- भूमि आवंटन के प्रकरण :– शासन के द्वारा मालगुजार, जमींदार, जागीरदार, महल या दुमाला से अर्जित की गई भूमि या सिलिंग एक्ट के तहत अर्जित की गई भूमि का भूमिहीनों में आवंटन किया या किसी अन्य किसी संस्था को, योजना या उद्योग को आवंटन किया उसके भी प्रकरण जिला अभिलेखागार में उपलब्ध हैं।
- प्रयोजन बदले जाने के प्रकरण :– भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 237(1) के तहत आरक्षित भूमियों के

प्रयोजनों को बदला जाकर ही भूमि आवंटित की जाती हैं इस तरह के प्रकरण भी जिला अभिलेखागार में उपलब्ध हैं।

नामान्तरण पंजी:-

ग्राम की जमीनों की खरीद बिक्री हो या शासकीय भूमि का आवंटन हो या जमीनों का अर्जन हो किसी भी न्यायालय से आदेश होने के बाद, रजिस्ट्री होने के बाद राजस्व अभिलेखों में परिवर्तन के लिए सक्षम अधिकारी का आदेश होना आवश्यक है जिसके बाद ही पटवारी अभिलेख को संशोधित कर सकता है।

राजस्व अभिलेख में संशोधन का आदेश राजस्व निरीक्षण, नायब तहसीलदार या तहसीलदार दे सकते हैं पहले संशोधन के लिए अलग से पंजी नहीं रखी जाती थी बल्कि जमाबन्दी में ही संशोधन की प्रविष्टी को दर्ज कर अभिलेख संशोधन की कार्यवाही की जाती थी बाद में प्रत्येक ग्राम के लिए अलग-अलग संशोधन पंजी बनाई जाने लगी जिसे भरने के बाद नई पंजी प्रारम्भ होती थी लेकिन अब प्रत्येक वर्ष में नई संशोधन पंजी बनाई जाती है।

संशोधन पंजी अधिकांशतः तहसील के अभिलेखागार में ही मिल जाती है। इस पंजी से नामान्तरण के पूरे ब्यौरे मिल जाते हैं यदि किसी ने रजिस्ट्री करवाई है तो किस दिनांक को रजिस्ट्री हुई कितने में हुई इसका ब्यौरा संशोधन पंजी में मिल जाता है यदि किसी न्यायालय ने कोई आदेश किया है तो प्रकरण का क्रमांक आदेश दिनांक एवं आदेश का संक्षिप्त विवरण मिल जाता है यदि किसी ने संशोधन पर आपत्ति लगाई है तो उसका भी विवरण मिल जाता है।

अतिक्रमण पंजी:-

ग्राम के पटवारी के पास अतिक्रमण पंजी होती है जिसमें सरकारी जमीनों पर किए जाने वाले अतिक्रमण का ब्यौरा दर्ज होता है ग्राम की जितनी भी शासकीय भूमि याने दखल रहित भूमि, नदी नाले, मार्ग रास्ते आदि होते हैं उन पर यदि किसी भी व्यक्ति ने जबरन कब्जा किया है पटवारी इस पंजी में उसे दर्ज करता है एवं उसके बाद उसका प्रतिवेदन संबंधित नायब तहसीलदार या तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करता है जहां उसे मद अ/68 में भू राजस्व संहिता की धारा 248 के तहत दर्ज किया जाकर कार्यवाही की जाती है।

यह पंजी पटवारी के पास रहती है इसलिए इसकी नकल प्राप्त किए जाने हेतु तहसील के प्रतिलिपीकार को आवेदन देना होता है।

ग्रामीण अक्सर कहते है कि उनके ऊपर अतिक्रमण का केस चला था उन्होंने जुर्माना भरा है आदि इसकी उनके पास इसके अलावा अन्य कोई जानकारी नहीं होती ऐसी स्थिति में पटवारी की अतिक्रमण पंजी से यह पता लगाया जा सकता है कि किस खसरा क्रमांक के कितने रकबे पर किसने अतिक्रमण किया था इस जानकारी के आधार पर संबंधित नायब तहसीलदार या तहसीलदार के कार्यालय के दाखला रजिस्टर से उस अतिक्रमण के प्रकरण का ब्यौरा प्राप्त किया जा सकता है। इसकी नकल तहसील अभिलेखागार से प्राप्त की जा सकती है इसी के आधार पर जिला अभिलेखागार की मौजावार पंजी का भी अवलोकन किया जाकर उसकी नकल जिला प्रतिलिपीकार से प्राप्त की जा सकती है।

जमाबन्दी:-

राजस्व वसूली, याने लगान की वसूली एवं उसका हिसाब रखे जाने हेतु जमाबन्दी बनाई जाती थी इस जमा बन्दी में

ही क्रय विक्रय या अन्य अन्तरण को लेकर नामान्तरण की कार्यवाहियां की जाती थी, जमाबन्दी बनाया जाना सरकार के द्वारा बन्द किया जाकर किस्तबन्दी बनाए जाने की व्यवस्था के लागू किया गया, जमाबन्दी जिला अभिलेखागार में उपलब्ध है इनका उपयोग राजस्व विभाग की कार्यवाहियों नामान्तरण आदि के लिए किया जा सकता है।

किस्तबन्दी:-

किस्तबन्दी लगान का हिसाब किताब रखे जाने हेतु बनाई जाती है, किस्तबन्दी में जानकारी खातेवार रखी जाती है, याने किस ग्राम में किस व्यक्ति के नाम पर या संयुक्त परिवार के नाम पर किस खसरा क्रमांक का कितना रकबा दर्ज है, उसका कितना लगान है यह एक साथ दर्ज रहता है। किस्तबन्दी के अन्त में ग्राम की समस्त दखल रहित जमीनों के खसरा नम्बर एवं रकबा का भी उल्लेख रहता है। नियमानुसार तो प्रत्येक वर्ष की अलग-अलग किस्तबन्दी बननी चाहिए, लेकिन अनेक जिलों में तीन-तीन, चार-चार साल की एक ही किस्तबन्दी चल रही है किस्तबन्दी तहसील अभिलेखागार में जमा कर दी जाती है, जहां से उसकी नकल प्राप्त की जा सकती है, उसका निरीक्षण किया जा सकता है।

पटवारी मानचित्र में चिन्ह और उनका अर्थ:-

हर ग्राम का पटवारी मानचित्र होता है जो कि 1 इंच = 16 मील के स्केल पर बना होता है इस मानचित्र में ग्राम की समस्त जमीन, रास्ते, नदी नाले आदि दर्शाए जाते हैं इसी मानचित्र में ग्राम की दखल रहित जमीनों और उन पर जो भी सामुदायिक व्यवस्था निस्तार पत्रक में होती है उसे भी चिन्हों के माध्यम से दर्शाया जाता है दखल रहित जमीनों की क्या मद है इसे भी चिन्हों के माध्यम से दर्शाया जाता है।

पटवारी मानचित्र में दर्शाए जाने वाले चिन्ह एवं उनका अर्थ बन्दोबस्त नियमावली में बताया गया जिसे हम यहां जानकारी के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं।

प्रकरणों की मद:-

विभिन्न राजस्व न्यायालयों में, कार्यालयों में जो भी राजस्व प्रकरण चलते हैं या अन्य तरह के प्रकरण चलते हैं उनकी शासन ने मद निश्चित कर रखी है कोई भी प्रकरण इन्हीं मदों में पंजीबद्ध किया जाता है इन मदों की जानकारी यदि आपको है तो प्रकरण की मद देख कर ही आप यह जान सकते हैं कि प्रकरण किस धारा के तहत पंजीबद्ध किया गया था।

नायब तहसीलदार, तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी, नजूल अधिकारी, भूअर्जन अधिकारी, कलेक्टर आदि सभी राजस्व न्यायालयों एवं कार्यालयों में इन्हीं मदों में प्रकरण दाखला रजिस्टर में दर्ज किए जाते हैं जिसका उल्लेख फाईल के प्रथम पृष्ट पर किया जाता है।

ग्राम नोट बुक :-

ग्राम नोट बुक एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसे लगातार अद्यतन किया जाकर परिवर्तन की प्रविष्टि दर्ज की जाती है। ग्राम नोट बुक के संबंध में आर.बी.सी. के खण्ड दो क्रमांक 13 में दिए गए निर्देश एवं प्रारूप यथावत संलग्न है।

वन अभिलेख, अधिसूचना, कानून और नियम

वन विभाग की स्थापना 1862 में किया जाना वन विभाग बताता है, 1864–65 में पहला वन कानून बनाया 1878 में दूसरा वन कानून लाया, 1927 में तीसरा वन कानून लाया गया। वन विभाग ने फॉरेस्ट मैनुअल बनाया, वर्किंग प्लान बनाए जाने के संबंध में वर्किंग प्लान कोड बनाए गए, वन कानून के दायरे में अन्य अधिनियम एवं नियम भी बनाए गए।

वन विभाग ने पहला वर्किंग प्लान 1886 में बनाया जिसे 1896 में लागू किया गया इसके बाद वन विभाग अलग–अलग समय में अलग–अलग अवधि के वर्किंग प्लान बनाते आया है जिन्हें 1980 के बाद भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय अनुमोदित कर स्वीकृति प्रदान करते आए है।

वन विभाग वन भूमि से संबंधित राजपत्र में धारा 29 धारा 4(1) धारा 20 धारा 27 एवं धारा 34अ के अनुसार अधिसूचनाओं का प्रकाशन करता है।

वन विभाग ने विभागीय अभिलेख, दस्तावेज एवं मानचित्र की प्रतियां उपलब्ध करवाए जाने का कोई नियम नही बनाया, इस बाबत् कोई प्रक्रिया का भी निर्धारण नही किया बल्कि विभागीय अभिलेखों को अत्यन्त ही गोपनीय बनाकर समाज को उनसे दूर रखा।

सूचना का अधिकार कानून 2005 लागू होने के बाद भी धारा 4 के अनुसार वन विभाग ने विभागीय अभिलेख, दस्तावेज एवं उनमें दर्ज ब्यौरों को सार्वजनिक किए जाने की कोई प्रक्रिया नही अपनाई, विभागीय अभिलेख, दस्तावेज आदि को सूचीबद्ध किया जाकर उनकी उपलब्धता को आज तक सार्वजनिक नही किया।

भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधान

- धारा 3 – वनों को आरक्षित करने की शक्ति
- धारा 4 – राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना
- धारा 5 – अधिकारों को प्रोद्भूत होने का वर्जन
- धारा 6 – वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा उद्घोषणा
- धारा 7 – वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा जाँच
- धारा 8 – वन व्यवस्थापन अधिकारी की शक्तियां
- धारा 9 – अधिकारों का निर्वापन
- धारा 10 – खेती का स्थान बदलने की प्रथा से सम्बन्धित दावों का निराकरण (Treatment)
- धारा 11 – ऐसी भूमि को अर्जित करने की शक्ति जिस पर अधिकार का दावा किया गया है

- धारा 12 – चराई या वन उपज पर के दावों के अधिकारों के सम्बन्ध में आदेश
- धारा 13 – वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा तैयार किये जाने वाले अभिलेख
- धारा 14 – अभिलेख (Record), जहाँ वह दावा विचार हेतु ग्रहण करता है
- धारा 15 – स्वीकृत अधिकारों का प्रयोग (Exercise of rights admitted)
- धारा 16 – अधिकारों का लघुकरण (Communication of rights)
- धारा 17 – धारा 11, धारा 12, धारा 15 एवं धारा 16 के अधीन पारित आदेशों के विरूद्ध अपील
- धारा 18 – धारा 17 के अधीन अपील
- धारा 19 – अधिवक्ता (Pleaders)
- धारा 20 – प्रस्तावित वन आरक्षित होने के लिए विचारार्थ प्रस्तावित किया जाना
- धारा 20(अ) – वन भूमि या पड़त भूमि आरक्षित वन माने जावेगें
- धारा 21 – ऐसी अधिसूचना के अनुवाद का वन के आसपास ग्रामों में प्रकाशन
- धारा 22 – धारा 15 या 18 के अधीन किये गये प्रबन्ध का पुनरीक्षण करने की शक्ति
- धारा 23 – आरक्षित वन में कोई अधिकार इसमें उपबंधित रीति के अनुसार अर्जित होने के सिवाय – अर्जित नहीं होगा
- धारा 24 – बिना स्वीकृति, अधिकारों का (हस्तानान्तरण) अन्य संक्रामण नहीं किया जावेगा
- धारा 25 – आरक्षित वनों में के पथों एवं जल मार्गो को रोकने (बन्द करने) की शक्ति
- धारा 26 – ऐसे वनों में प्रतिषिद्ध कार्य
- धारा 27 – यह घोषित करने की शक्ति कि वन, आरक्षित वन, नहीं रहा है
- धारा 28 – ग्राम वनों का निर्माण (प्ररूपण) (Formation of village forest)
- धारा 29 – संरक्षित वन
- धारा 30 – वृक्ष आदि को आरक्षित करने की अधिसूचना जारी करने की शक्ति
- धारा 31 – ऐसी अधिसूचना के अनुवाद का आसपास में प्रकाशन
- धारा 32 – संरक्षित वनों के लिए नियमों को बनाने की शक्ति
- धारा 33 – धारा 30 के अधीन या धारा 32 के अधीन–नियमों के उल्लंघन में किये गये कार्यों के लिये शास्तियां
- धारा 34अ – संरक्षित वन नहीं होने की घोषणा शक्ति

वन विभाग के महत्वपूर्ण आवश्यक अभिलेख, अधिसूचना

- राजपत्र में अधिसूचना –
  - संरक्षित वन से संबंधित अधिसूचना धारा 29
  - संरक्षित वनखण्डों से संबंधित अधिसूचना धारा 4(1)
  - संरक्षित वनों को आरक्षित वन अधिसूचित करने की अधिसूचनाऐं धारा 20
  - संरक्षित वनों के निर्वनीकरण से संबंधित अधिसूचनाऐं धारा 34अ
  - आरक्षित वनों के निर्वनीकरण की अधिसूचना धारा 27
- वन विभाग के अभिलेख –
  - संरक्षित वन सर्वे डिमारकेशन रिपोर्ट
  - संरक्षित वन सर्वे कम्पलीशन रिपोर्ट
  - संरक्षित वन क्षेत्रफल पंजी
  - संरक्षित वन ब्लॉक हिस्ट्री
  - संरक्षित वन भूमि के अन्तरण की सूची
  - संरक्षित वन को आरक्षित वन बनाए जाने की नस्ती
  - संरक्षित वन के प्रबन्धन हेतु बनाई गई वर्किंग स्कीम
  - संरक्षित वन को वर्किंग प्लान में शामिल किया जाना
  - संरक्षित वन के पी.एफ. एरिया रजिस्टर एवं अधिकारों का प्रारूप
  - संरक्षित वन कक्ष इतिहास
  - संरक्षित वन कक्ष मानचित्र
  - संरक्षित वन क्षेत्र में 31.12.1976 तक के काश्तकारों की जानकारी
  - संरक्षित वन क्षेत्र में 24.10.1980 तक के काश्तकारों की जानकारी
  - संरक्षित वन क्षेत्रों को नारंगी भूमि माने जाने की जानकारी
  - संरक्षित वन क्षेत्रों को न्यायालय द्वारा परिभाषित भूमि माने जाने की जानकारी
  - संरक्षित वन एवं राजस्व भूमि के 2004 में किए संयुक्त सीमांकन की रिपोर्ट
  - वन अपराध पंजी
  - संरक्षित वन क्षेत्रों से संबंधित आदेश, निर्देश, दिशा निर्देश एवं परीपत्र

भूमि और अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण न्यायालीन आदेश

- सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में 12 दिसम्बर 1996 को जारी आदेश
- आई.ए. क्रमांक 791–792 में दिनांक 01 अगस्त 2003 को जारी आदेश
- ग्वालियर पीठ याचिका क्रमांक 1413/2002 में दिनांक 08 सितम्बर 2006 को जारी आदेश
- अपील क्रमांक 19869/2010 में दिनांक 28 जनवरी 2011 को जारी आदेश
- आई.ए.क्रमांक 2619–2621/2009 दिनांक 02 सितम्बर 2013 को जारी आदेश

''वन विभाग की 1994 में बनाई गई संक्षेपिका''

मध्य प्रदेश शासन वन विभाग वल्लभ भवन भोपाल में पदस्थ विभाग के ज्वाईंट सेक्रेटरी श्री अशोक मसीह ने दिनांक 24 जनवरी 1994 को विभाग की ओर से संक्षेपिका तैयार की जो वन विभाग का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

वन विभाग की कार्यवाहियों, वन विभाग के अभिलेखों, दस्तावेजों, वन विभाग की अधिसूचनाओं और वन विभाग के प्रचलित कानूनों का इस संक्षेपिका में आधा अधूरा उल्लेख किया गया इन सबके बाद भी यह संक्षेपिका का वन विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज रहा है।

वन विभाग वल्लभ भवन भोपाल ने इस संक्षेपिका के आधार पर नारंगी भूमि से संबंधित कार्यवाहियों का निर्धारण किए जाने की बजाय 14 मई 1996 को नारंगी भूमि से संबंधित आदेश जारी कर एक विवादित स्थिति का निर्माण किया।

देश की सर्वोच्च अदालत ने सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में 12 दिसम्बर 1996 को वन और वन भूमि की व्याख्या एवं परिभाषा कर आदेश दिया जिसके बाद वन विभाग ने 24 जनवरी 1994 को तैयार की गई संक्षेपिका एवं उनमें उल्लेखित ब्यौरों को संज्ञान में रखा जाकर कार्यवाही किए जाने की बजाय समस्त तथ्यों, अभिलेखों, दस्तावेजों और कार्यवाहियों को लगातार अभी तक न्यायपालिका से ही छुपा लिया गया।

वन विभाग के अभिलेख एवं अधिसूचनाऐं

वन विभाग ने राजपत्र में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29, धारा 4(1), धारा 20, धारा 27 एवं धारा 34अ के अनुसार अधिसूचना का प्रकाशन किया, वन विभाग ने संरक्षित वन भूमि से संबंधित महत्वपूर्ण अभिलेख एवं दस्तावेज बनाए।

वन विभाग ने स्वयं की कार्यवाहियों और उनसे संबंधित अधिसूचनाओं, अभिलेखों और उनमें दर्ज ब्यौरों को लेकर किसी भी स्तर पर किसी भी तरह की गंभीरता नही दिखाई। वन विभाग ने स्वयं की अधिसूचना, अभिलेख एवं उनमें दर्ज ब्यौरों को आज तक सार्वजनिक भी नही किया याने सूचना के अधिकार कानून 2005 का भी आज तक पालन नही किया।

क्षेत्रीय वनवृतों का पुनर्गठन किया, सामान्य वनमण्डलों का पुनर्गठन किया लेकिन इन पुनर्गठित वनवृतों एवं वनमण्डलों से संबंधित अभिलेख एवं अधिसूचनाओं की प्रतियां या जानकारियों नव गठित वनवृत एवं वनमण्डलों को उपलब्ध करवाए जाने से संबंधित कार्यवाहियां भी वन विभाग नही कर पाया।

वन विभाग की इन लापरवाहियों एवं उदासीनता के कारण कार्यपालिका, विधायका एवं न्यायपालिका अपना–अपना प्रजातांत्रिक दायित्व नही निभा पाए, संविधान और प्रजातंत्र के प्रति अपनी जबाबदेही और जिम्मेदारी भी नही निभा पाए। वन विभाग ने अपनी लापरवाही और उदासीनता को दूर किए जाने का स्वयं भी कोई प्रयास नही किया। यहां तक की वन विभाग ने विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अधिसूचनाओं और अभिलेखों की जानकारी उपलब्ध करवाए जाने या उनका महत्व बताए जाने का भी प्रयास नही किया।

मौजूदा छत्तीसगढ़ राज्य में शामिल किए गए क्षेत्रों के लिए 1960 में तीन भू–प्रबन्धन इकाईयों का गठन किया जाकर संरक्षित वन भूमि से संबंधित कार्यवाही की गई। रायपुर में तीन जिलों के लिए, बिलासपुर में तीन जिलों के लिए एवं बस्तर में बनाई गई भू–प्रबन्धन इकाईयों को बन्द किया जाकर उनके अभिलेख एवं दस्तावेज संबंधित मुख्यालय के वनवृत या वनमण्डल कार्यालय के सुपुर्द किए गए। रीवा में भू–प्रबन्धन इकाईयों का मुख्यालय रहा जिसे भी बन्द कर वहां के अभिलेख, दस्तावेज वनवृत कार्यालय को सौपें गए।

राजपत्र संबंधित वनमण्डल कार्यालय वनवृत कार्यालय, वन विद्यालय, कलेक्टर कार्यालय की प्रपत्र शाखा, जिला न्यायालय में नियमित रूप से भेजे जाते रहे है इसके अलावा राज्य मंत्रालय में, राज्य की विधानसभा में, आयुक्त भू–अभिलेख एवं बन्दोबस्त मुख्यालय में, वन विभाग के मुख्यालय में भी नियमित रूप से संधारित किए जाते रहे है।

राजपत्र में प्रकाशित की गई अधिसूचनाऐं

- धारा 29 के अनुसार राजपत्र में अधिसूचनाओं का प्रकाशन किया गया, रीवा राज दरबार के द्वारा आदेश किया जाकर संरक्षित वन घोषित किया गया, ग्वालियर रियासत के कानून जंगलात में भी संरक्षित वन से संबंधित प्रावधान किए गए।

- धारा 4(1) के अनुसार आरक्षित वन बनाए जाने के लिए प्रस्तावित वनखण्ड की अधिसूचना का प्रकाशन किया, वन व्यवस्थापन अधिकारी के परिवर्तन की अधिसूचना का प्रकाशन किया, अनुविभागीय अधिकारी को वन व्यवस्थापन अधिकारी बनाए जाने की अधिसूचना का प्रकाशन किया।
- धारा 20 के अनुसार वन व्यवस्थापन अधिकारी की जांच एवं आदेश के बाद राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन किया गया।
- धारा 34अ के अनुसार संरक्षित वन से संबंधित निर्वनीकरण की राजपत्र में अधिसूचनाओं का प्रकाशन किया गया इन अधिसूचनाओं में अलग–अलग तरह से निर्वनीकृत भूमियों के ब्यौरें दिए गए।
- धारा 27 के अनुसार आरक्षित वनों को निर्वनीकृत किए जाने के संबंध में राजपत्र में अधिसूचनाओं का प्रकाशन किया गया।

संरक्षित वन भूमि के संबंधित अभिलेख

- संरक्षित वन सर्वे डिमारकेशन रिपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें संरक्षित वन सर्वे में शामिल ग्रामवार, खसरावार, रकबावार भूमि के ब्यौरें दिए गए हैं वनखण्ड में शामिल जमीन या वनखण्ड के बाहर चार कारण बताकर छोड़ी गई जमीनों के रकबवार ब्यौरें इस रिपोर्ट में दिए गए है।
- संरक्षित वन सर्वे कम्पलीशन रिपोर्ट में हस्तानान्तरित भूमि उनमें से वनखण्ड में शामिल की गई भूमि अहस्तानान्तरित लेकिन वनखण्ड में शामिल की गई भूमि वनखण्ड के बाहर छोड़ी गई भूमि के ग्रामवार, खसरावार, रकबावार ब्यौरें दिए गए है।
- संरक्षित वन क्षेत्रफल पंजी में वनखण्ड में शामिल की गई भूमि के अलावा अतिक्रमणकारियों एवं पट्टाधारियों से संबंधित ग्रामवार, खसरावार, रकबावार, नामवार, दिनांकवार ब्यौरें दिए गए है।
- संरक्षित वन ब्लॉक हिस्ट्री वनखण्डवार बनाई जाकर उसमें चार–अलग–अलग प्रारूपों में ग्रामवार, खसरावार, रकबावार जानकरियों को दर्ज किया गया। ब्लॉक हिस्ट्री में ही वनखण्ड में शामिल कर ली गई निजी भूमि से संबंधित ब्यौरें भी दर्ज किए गए।

अन्तरित एवं अतिक्रमण से संबंधित ब्यौरें

- वन विभाग ने अधिक अन्न उपजाओं योजना के अनुसार अपने पत्र क्रमांक डी.ओ.नं./7036/एक्स/66 दिनांक 14 जुलाई 1966 के अनुसार राजस्व विभाग को जमीनों का अन्तरण किया जिसकी सूची में ग्रामवार, खसरावार रकबावार आवश्यक ब्यौरें दर्ज किए गए।
- वन विभाग ने राज्य मंत्री मण्डल के निर्णय के अनुसार पत्र क्रमांक 4325/2963/10/2/75 भोपाल दिनांक 18 सितम्बर 1975 के अनुसार संरक्षित वन भूमि राजस्व विभाग को अन्तरित की जिसकी सूची में भी ग्रामवार,

खसरावार, रकबावार ब्यौरों को दर्ज किया गया।

- वन विभाग ने 1980 में 31.12.1976 तक के वन भूमि पर अतिक्रमण करने वालों का सर्वे कर पात्रता की सूची बनाई जिसके आधार पर भारत सरकार से 1990 में अनुमति मिलने के बाद निर्वनीकरण किया, पात्र काबिजों को पट्टें का वितरण किया जिसकी सूची संबधित वनमण्डल के वर्किंग प्लान में उपलब्ध है।
- वन विभाग ने 1995 में 24.10.1980 तक वनभूमि पर अतिक्रमण करने वालों की पात्रता एवं अपात्रता का निर्धारण किया, भारत सरकार के समक्ष प्रस्ताव भी प्रेषित किए गए यह सूची भी वनमण्डल के वर्किंग प्लान में उपलब्ध है।

आरक्षित एवं संरक्षित वन क्षेत्रों में अधिकार

- आरक्षित वन क्षेत्रों में समाज के अधिकार आजादी के पहले से ही रहे है जिन्हें आजादी के पहले विभिन्न अभिलेखों में दर्ज किया जाता रहा। आजादी के बाद आरक्षित वन एरिया रजिस्टर में समाज के अधिकारों से संबंधित प्रारूप तो संलग्न किया लेकिन उसमें अधिकारों के ब्यौरें दर्ज नही किए गए, यहां तक की आजादी के बाद वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा मान्य एवं स्वीकृत अधिकारों से संबंधित ब्यौरों को भी दर्ज नही किया गया।
- संरक्षित वन क्षेत्रों पर समाज के अधिकार एवं प्रयोजनों के ब्यौरें तत्कालीन राजस्व अभिलेखों में दर्ज रहे है। वन विभाग ने धारा 4(1) में अधिसूचित वनखण्डों को एरिया रजिस्टर में शामिल कर लिया जिसमें वनखण्ड से संबंधित ब्यौरें दर्ज कर ग्राम एवं भूमि से संबंधित खसरा नम्बर, उसके रकबे की पहचान का उल्लेख नही किया, एरिया रजिस्टर में समाज के अधिकारों से संबंधित दिए गए प्रारूप में अधिकारों के उपलब्ध ब्यौरों को भी दर्ज नही किया।

संरक्षित वन से संबंधित संक्षेपिका

- संरक्षित वन भूमि से संबंधित विषय को लेकर वन विभाग के ज्वाईंट सेक्रेटरी श्री अशोक मसीह से राज्य शासन के लिए 24 जनवरी 1994 को संक्षेपिका बनाई इस संक्षेपिका में अनेक महत्वपूर्ण जानकारियों को छोड़ दिया गया, लेकिन उसके बाद भी यह संक्षेपिका एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसका भी वन विभाग ने 1996 और उसके बाद उपयोग नही किया, संक्षेपिका को भी महत्व नही दिया।

वन विभाग के अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख, दस्तावेज

- वनखण्डों की नस्तियां – वन विभाग ने 1988 में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4(1) के अनुसार संशोधित अधिसूचना प्रकाशित कर अनुविभागीय अधिकारियों को वन व्यवस्थापन अधिकारी बनाया।

अनुविभागीय अधिकारियों के कार्यालय में वन व्यवस्थापन की नस्ती में वन विभाग के अभिलेखों में दर्ज ब्यौरों एवं राजस्व अभिलेखों में दर्ज ब्यौरें उपलब्ध हैं इन्हीं ब्यौरों के आधार पर सामुदायिक वन अधिकारों से संबंधित कार्यवाही की जा सकती है, इन्हीं ब्यौरों के आधार पर वनखण्ड में शामिल निजी भूमि से संबंधित कार्यवाही भी की जा

सकती है।

- वर्किंग स्कीम – संरक्षित वन सर्वे डिमारकेशन में शामिल जमीनों के नियंत्रण एवं प्रबन्धन के लिए वन विभाग ने ही वनमण्डलवार वर्किंग स्कीम बनाई इस वर्किंग स्कीम में वनखण्ड में शामिल जमीनों के संबंध में प्रावधान किए गए। वहीं वर्किंग स्कीम में वनखण्ड के बाहर छोड़ी गई जमीनों पर व्यवसायिक वनोपज के पूर्ण विदोहन के लिए भी प्रावधान किए जाकर विदोहन की कार्यवाहियां व्यापक पैमानें पर की गई।

  वर्किंग स्कीम में वनखण्डों और उनमें अधिसूचित की गई भूमियों को वन विभाग ने 1980 के बाद वर्किंग प्लान में सम्मिलित कर लिया ऐसा क्यों किया गया, किन प्रावधानों के अनुसार किया गया यह आज तक वन विभाग स्पष्ट भी नहीं कर पाया।

- वर्किंग प्लान – यह अभिलेख वन विभाग का सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख तो है ही यही अभिलेख प्रजातांत्रिक व्यवस्था और उसके प्रयासों को अमान्य किए जाने वाला प्रमाणित दस्तावेज भी है।

  वन कक्ष इतिहास वर्किंग प्लान का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जिसमें वनखण्ड से संबंधित आवश्यक ब्यौरें दर्ज किए जाते हैं वनखण्ड में किए जाने वाले विकास कार्य, प्रबन्धन के कार्य, विदोहन के कार्य आदि भी सतत् दर्ज किए जाते है। एरिया रजिस्टर भी वर्किंग प्लान का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है इस एरिया रजिस्टर में वनखण्ड की अधिसूचना, उसमें शामिल एरिया एवं ब्लॉक का मानचित्र होता है।

- वन अपराध पंजी :– वन विभाग के द्वारा पंजीबद्ध किए जाने वाले सभी वन अपराधों के लिए 57 कॉलम में पंजी बनाई जाती है जो वन परीक्षेत्र कार्यालय में संधारित की जाती है। एस.डी.ओ. कार्यालय में भी पंजी का संसाधरण किया जाता है, वनमण्डल कार्यालय नें भी पंजी का संधारण किया जाता है।

वन भूमि एवं समाज के अधिकारों से संबंधित न्यायालीन आदेश

- देश की सर्वोच्च अदालत ने टी.एन. गोदाबर्मन की सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में 12 दिसम्बर 1996 को वन और वन भूमि की व्याख्या एवं परिभाषा कर आदेश दिया। इस आदेश का पालन किए जाने के संबंध में राज्य शासन के राजस्व विभाग ने 13 जनवरी 1997 को आदेश जारी किया।

- राजस्व अभिलेखों में दर्ज बड़े झाड़ के जंगल, छोटे झाड़ के जंगल नद की जमीनों को इजमेन्ट राइट्स की जमीन मानकर मध्य प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च अदालत में पुनर्विचार याचिका दायर की। सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी के सहयोग से रिपोर्ट तैयार की गई इस रिपोर्ट पर अदालत ने आई.ए. क्रमांक 791–792 में दिनांक 01 अगस्त 2003 को आदेश दिया।

- सर्वोच्च अदालत के आदेशों के बाद भी उच्च न्यायालय ग्वालियर पीठ के समक्ष कमल किशोर ने रियासत ग्वालियर

के कानून जंगलात पर हवाला देते हुए याचिका दायर की जिस पर न्यायालय ने 01 अगस्त 2003 के आदेश का हवाला देते हुए वन संरक्षण कानून के दायरे में और दायरे के बाहर की भूमि से संबंधित आदेश 8 सितम्बर 2006 को दिया।

- सर्वोच्च अदालत ने सिविल अपील प्रकरण क्रमांक 19869/2010 में दिनांक 28 जनवरी 2011 को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए निर्धारित जमीनों और उन पर समाज के अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण आदेश दिया। इस आदेश की कंडिका 3 में प्रयोजनों का उल्लेख कर कंडिका 22 में राज्यों को स्पष्ट आदेश दिए गए।

राजपत्र

राजपत्र क्या है

राजपत्र एक अखबार मात्र है जो कि सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाता है यह अखबार हर राज्य एवं भारत सरकार का अधिकृत दस्तावेज होता है जो कि नियमित समय पर प्रकाशित होता है, विशेष अवसरों के लिए असाधारण राजपत्र भी प्रकाशित होता है ।

राजपत्र का महत्व क्या है

राजपत्र के महत्व को इस बात से लिया जा सकता है कि सरकार का कोई भी कानून अधिनियम विधानसभा मे पारित हो जाए, राज्यपाल महोदय उसे स्वीकृति प्रदान कर दें तब भी वह उस समय तक लागू नही होता जब तक की राजपत्र में प्रकशित न हो जाए, सीधा सा अर्थ है कि राजपत्र वह प्रमाणित दस्तावेज है जिसमें प्रकाशन के बाद ही सरकार के कानून, नियम, अधिसूचनाऐं वैधानिक स्वरूप प्राप्त कर लागू मानी जाती है ।

राजपत्र कितने भाग में आता है

राजपत्र चार भागों में आता है

पहले भाग में राज्य के विभिन्न विभागों की अधिसूचनाऐं होती है

दूसरें भाग में स्थानीय संस्थाओं की अधिसूचनाऐं प्रकाशित होती है

तीसरे भाग राज्य के विभिन्न इलाकों की जिन्स की दरें, विज्ञपन आदि,

चौथे भाग में राज्य व भारत सरकार के कानून, अधिनियम, संशोधन आदि होते हैं

असाधारण राजपत्र कभी भी किसी भी विषय में प्रकाशित होता है।

राजपत्र के प्रथम पृष्ठ पर विषय सूची के अनुसार राजपत्र देखा जा सकता है।

चारों भागों एवं असाधारण राजपत्र के नमूने परिशिष्ट पर देखें जा सकते हैं।

राजपत्र का उपयोग

राजपत्र का सरकारी विभागों के द्वारा राज्य की नीति के संबंध में उपयोग किया जाकर प्रकाशित नियम, अधिसूचना के अनुसार काम करना आवश्यक है ।

राजपत्र आम आदमियों के लिए भी प्रकाशित नीति, नियम, कानून के अनुसार कार्य किए जाने के संबंध में आवश्यक है ।

न्यायालयीन कार्यवाहियों में भी राजपत्र में प्रकाशित कानून, नियम आदि का पालन किस वर्ग के द्वारा याने सरकार या

सरकार से अलग वर्ग के द्वारा किया गया है या नही इसकी ही व्याख्या और समीक्षा की जाती है ।

लेकिन उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय राजपत्र में प्रकाशित कानून, नियम नीति की व्यापक व्याख्या कर उनकी वैधानिकता की भी व्याख्या एवं समीक्षा कर सकते हैं। याने राजपत्र में प्रकाशित सामग्री को चुनौति भी दी जा सकती है ।

राजपत्र तक आम व खास आदमियों की पहुंच

यह माना जाता है कि राजपत्र में प्रकाशित कानून, नियम, विधी सभी को मालूम हो गए, सभी पर लागू हो गए, और अगर किसी को उसकी जानकारी नही है तो वह यह नही कह सकता कि उसे नही मालूम उसकी जानकारी में यह बात नियम कानून नही आया, समाज का 99 प्रतिशत से बड़ा हिस्सा राजपत्र की पहुंच से दूर है ।

सब मिलाकर राजपत्र आम आदमी क्या खास आदमियों की पहूंच से भी बहुत–बहुत दूर ब्रिटिश हुकुमत ने रखा आजादी के बाद भी इस व्यवस्था में सुधार नही हुआ । राजपत्र के निरीक्षण की इन स्थितियों से ही यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अगर राजपत्र में प्रकाशित किसी अधिसूचना की प्रति प्राप्त करनी हो तो यह उपलब्ध हो सकती है या नही इसका एक ही उत्तर है ऐसी कोई विधी या नियम नही बनाया गया और अगर है भी तो उसे लागू नही किया जा सका है जिसके तहत आम या खास आदमी राजपत्र की प्रति प्राप्त कर सकता हो।

सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 के लागू होने के बाद राजपत्र एवं उसमें प्रकाशित अधिसूचनाओं की प्रतियां प्राप्त की जा सकती है।

राजपत्र का कहां निरीक्षण कर सकते है

अगर आपके मधुर संबंध है, राजपत्र को संधारित करने वाले महोदय की इच्छा हो तो राजपत्र का निरीक्षण एवं उसकी प्रति आप प्राप्त कर सकते है ।

हर शासकीय कार्यालय में कम से कम जिला स्तर के कार्यालय में राजपत्र आता है हर स्थानीय संस्थाओं में याने नगर पालिका, नगर पंचायत, विशेष क्षेत्र में भी राजपत्र आता है,

हर न्यायालय में याने जिला स्तर पर भी राजपत्र आता है ।

इन सभी जगहों में से किसी किसी कार्यालय में राजपत्र को रखा जाता है कहीं कहीं राजपत्र को रखे जाने की भी व्यवस्था नही है ।

प्रदेश के विधायक, सांसद के पास भी राजपत्र पहुंचता है ।

वर्तमान में राजपत्र सरकार की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

राजपत्रों की स्थितियों का पूर्ण आंकलन किए जाने से उत्पन्न स्थितियों पर विचार किए जाने से समाज के लिए, समाज के हित में, समाज पर लागू सरकार की नीतियों, निर्देशों, योजनाओं को लेकर सहज ही आंकलन किया जा सकता है कि कितनी और कैसी दूरी कायम रखी गई है ।

सरकार समाज के किस वर्ग के लिए क्या कर रही है इस बात की कोई जानकारी समाज के किसी वर्ग को नही होती, सरकार की नीति पूरी तरह से सरकारी अमले पर आश्रित होकर रह गई है। इसकी भी अगर व्यापक परीपक्ष, आंकलन किया जाए तो आज समाज के सामने अधिकांश समस्याएँ, विवाद मात्र इसलिए है क्योंकि सरकारी नीति, नियम का पालन नही किया जा रहा जिनके पालन किए जाने के लिए समाज के विभिन्न वर्ग आन्दोलन करते है, आवेदन देते है, न्यायालय में जाते है, और यहाँ तक विधानसभा के माननीय सदस्यगण अनेक प्रश्न भी पूछ कर सरकार का ध्यान आकर्षित करते है ।

इसे अगर और भी गहरे संदर्भ में देखें तो जिस सरकारी अमले को सरकार की नीति, योजनाओं के अनुसार क्रियान्वयन करना है उसे ही शासन के परीपत्रों की जानकारी नही होती, समाज से दूर होने की वजह से उन्हे प्रस्तुत किया जाकर उनके क्रियान्वयन का निवेदन भी नही किया जा सकता ।

''स्थाई और विवाद रहित विकल्प ग्राम संसाधन पंजी''

ग्रामों की संसाधन आधारित व्यवस्था और जीवनशैली को अनेक कारणों से विवादित बनाया गया। ग्राम स्वराज, ग्रामों की स्वायत्ता एवं ग्रामों के सामुदायिक चरित्र को नकार कर केन्द्रीयकरण को विकल्प मान लिया गया। संसाधनों के उपयोग उनके प्रबन्धन और नियंत्रण के ग्रामीण कौशल को भी नकार दिया गया।

प्रशासकीय क्षमता, प्रशासकीय योग्यता एवं प्रशासकीय मूल्यों की गिरावट ने जिम्मेदारी और जबाबदेही का गंभीर संकट निर्मित किया, कार्यपालिका, विधायका एवं न्यायपालिका निगरानी और नियंत्रण की लगातार उपेक्षा करती आई।

अध्ययन एवं शोध केन्द्र, बुद्धीजीवी, विशेषज्ञ, सामाजिक संगठन एवं कार्यकर्ता, स्वयं सेवी संगठन और संस्थाऐं दुष्प्रचारों से प्रभावित होकर अपनी सशक्त भूमिका निभाने की बजाय प्रशासकीय तंत्र की पिछलग्गू बन कर अपनी–अपनी भागीदारी को ही अपनी सफलता माने जाने की गलतियां करते आई।

आजादी के बाद लिखा गया इतिहास उपलब्ध है, आजादी के बाद की गई कार्यवाहियों से संबंधित अभिलेख एवं दस्तावेज उपलब्ध है, आजादी के बाद निभाई गई भूमिका एवं भागीदारी के प्रमाण भी उपलब्ध है।

इतिहास में दर्ज भूमिका एवं भागीदारी को स्वीकारने का साहस दिखाया जाकर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेज के आधार पर ग्रामों की संसाधन आधारित ठोस एवं विवाद रहित व्यवस्था का विकल्प **''ग्राम संसाधन पंजी''** बनाई जाकर प्रस्तुत किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है।

ग्राम स्वराज, ग्रामों की स्वायत्ता, ग्रामों के सामुदायिक चरित्र का पुननिर्माण हो या संसाधनों के औचित्यपूर्ण उपयोग और संरक्षण की आवश्यकता हो, उन सभी के लिए यह आवश्यक है कि संसाधनों के वास्तविक ब्यौरें कार्यपालिका, विधायका एवं न्यायपालिका की जानकारी में लाए जाए। उन्हें सार्वजनिक किया जाए एवं भविष्य के लिए ब्यौरों का उपयोग सुनिश्चित कर उन्हें अद्यतन किए जाने की व्यवस्था को स्थाई रूप दिया जाए।

ग्राम संसाधन पंजी

ग्राम का नाम : .....

ग्राम की श्रेणी : .....

(मालगुजारी/जमीदारी/रैय्यतवारी/मसाहती) ग्राम पंचायत : .....

विकासखंड : .....

राजस्व निरीक्षक वृत : .....

वन परीक्षेत्र : .....

	1950	1960	1980	2000	2011
पह.नंबर					
बन्दोबस्त नंबर					
खाते का रकबा					
गैर खाते का रकबा					
वनखण्ड का रकबा					
आरक्षित वन का रकबा					
पट्टे पर दिया रकबा					
अभिलेख से पृथक रकबा					

बन्दोबस्त या चकबन्दी का वर्ष : .....

अधिकार अभिलेख बनाए जाने का वर्ष : .....

वन भूमि का सर्वे डिमारकेशन का वर्ष : .....

वनखण्ड में अधिसूचना का दिनांक : .....

आरक्षित वन की अधिसूचना का दिनांक : .....

तहसीलदार

वनपरीक्षेत्राधिकारी

प्रारूप क्रमांक - 1 (वन विभाग)

सर्वे डिमारकेशन में शामिल भूमि का विवरण

सर्वे डिमारकेशन में शामिल भूमि		काइनक्लूडिंग इन ब्लॉक का रकबा	लेफ्ट आउट बताया गया रकबा					अन्य कोई विवरण
ख.क्र.	रकबा		स्टेटरिंग	आईसोलेटेड	मिस पेचेज	इनक्रोच	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्रारूप क्रमांक - 2 (वन विभाग)

वनखण्ड में शामिल भूमि का विवरण

वनखण्ड का नाम ..... अधिसूचना दिनांक ..... वनखण्ड का कुल रकबा ..... वनखण्ड में शामिल ग्राम का रकबा

वनखण्ड में शामिल हस्तानान्तरित भूमि				वनखण्ड में शामिल अहस्तानान्तरित भूमि				वनखण्ड मे शामिल निजी भूमि			अन्य कोई विवरण
ख.क्र.	रकबा	मद	प्रयोजन	ख.क्र.	रकबा	मद	प्रयोजन	ख.क्र.	रकबा	किसान का नाम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

प्रारूप क्रमांक - 3 (वन विभाग)

वनखण्ड के बाहर छोड़ी गई भूमि का विवरण

सर्वे डिमारकेशन रिपोर्ट में वनखण्ड के बाहर छोड़ी गई भूमि का		ब्लॉक हिस्ट्री के अनुसार वनखण्ड के बाहर छोड़ी गई भूमि				वनखण्ड के बाहर छोड़ी गई भूमि में से					
ख.क्र.	रकबा	हस्तानान्तरित		अहस्तानान्तरित		अन्तरित		डीनोटीफाईड		आवंटित	
		ख.क्र.	रकबा	ख.क्र.	रकबा	रकबा	दिनांक	रकबा	अधिसूचना दि.	रकबा	दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

प्रारूप क्रमांक - 4 (वन विभाग)

वनखण्ड में शामिल भूमि में से आरक्षित वन घोषित एवं आवंटित भूमि का विवरण

आरक्षित वन घोषित किए जाने की			आवंटित की गई भूमि एवं डीनोटीफाईड की भूमि				
अधिसूचना दि.	ख.क्र.	रकबा	दिनांक	ख.क्र.	रकबा	किसे आवंटित किया गया नाम	डीनोटीफाईड किया गया हो तो दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रारूप क्रमांक – 5 (वन विभाग)

नारंगी भूमि मानकर की गई कार्यवाही की जानकारी का विवरण

प्रारम्भिक सर्वे में शामिल भूमि की राजस्व अभिलेख के अनुसार जानकारी				प्रारम्भिक सर्वे में शामिल भूमि में से 1980 के पूर्व धारा 27 या 34अ के तहत डीनोटीफाईड भूमि का विवरण	
खसरा नंबर	रकबा	भूमि की मद	भूमि का प्रयोजन	रकबा	अधिसूचना दिनांक
1	2	3	4	5	6

प्रारूप क्रमांक – 6 (वन विभाग)

नारंगी भूमि में से वर्किंग प्लान में शामिल भूमि का विवरण

प्रारम्भिक सर्वे में शामिल भूमि में से					वर्किंग प्लान में शामिल की गई भूमि का विवरण		
उपयुक्त पाई भूमि का		अनुपयुक्त पाई भूमि का					
खसरा क्रमांक	रकबा	ख.क्र.	रकबा	कारण	खसरा क्रमांक	रकबा	धारा 4(1) की अधिसूचना दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रारूप क्रमांक – 7 (वन विभाग)

24 अक्टूम्बर 1980 के बाद वैकल्पिक भूमि के रूप में वन विभाग द्वारा प्राप्त भूमि का विवरण

वैकल्पिक भूमि के रूप में प्राप्त भूमि का			राजस्व अभिलेखों में प्राप्त भूमि की		वैकल्पिक भूमि के रूप में प्राप्त भूमि में से				
खसरा क्रमांक		रकबा			सर्वे डिमारकेशन में शामिल भूमि का रकबा	अन्तरित/ डीनोटीफाईड की गई भूमि का रकबा	नारंगी भूमि के सर्वे में शामिल भूमि का रकबा	धारा 29 या 4(1) में अधिसूचित किया	
पुराना	नया		मद	प्रयोजन				रकबा	अधिसूचना दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्रारूप क्रमांक – 1 (राजस्व विभाग)

गैर कृषि भूमियों की जानकारी का विवरण

1950 में दर्ज भूमि का विवरण				1959 में दर्ज भूमि का विवरण				वर्तमान में दर्ज भूमि का विवरण				
ख.क्र.	रकबा	मद	प्रयोजन	ख.क्र.	रकबा	मद	प्रयोजन	खसरा क्रमांक		रकबा	मद	प्रयोजन
								नया	पुराना			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

प्रारूप क्रमांक - 2 (राजस्व विभाग)

गैर कृषि भूमि आवंटन की जानकारी का विवरण

खसरा क्र.	रकबा	मद	प्रयोजन	आवंटन आदेश	रकबा	आवंटन से लाभान्वित का नाम
1	2	3	4	5	6	7

प्रारूप क्रमांक - 3 (राजस्व विभाग)

गैर कृषि भूमि पर बिना आवंटन कब्जें की जानकारी का विवरण

खसरा क्र.	रकबा	मद	प्रयोजन	कब्जें का स्वरूप	रकबा	कब्जें का वर्ष
1	2	3	4	5	6	7

प्रारूप क्रमांक - 4 (राजस्व विभाग)

गैर कृषि भूमि पर वन विभाग के नियंत्रण की जानकारी का विवरण

खसरा क्र.	रकबा	मद	प्रयोजन	वन विभाग के कब्जें का रकबा	कब्जें के रकबे से सम्बन्धित विवरण
1	2	3	4	5	6

प्रारूप क्रमांक - 5 (राजस्व विभाग)

निजी भूमि के अर्जन से संबंधित जानकारी का विवरण

प्रकरण का क्रमांक	आदेश दिनांक	किसान का नाम	खसरा नम्बर	अर्जित रकबा	खसरा पंजी में दर्ज विवरण
1	2	3	4	5	6

प्रारूप क्रमांक - 6 (राजस्व विभाग)

बिना अर्जन के निजी भूमि पर कब्जें की जानकारी का विवरण

खसरा क्र.	रकबा	किसान का नाम	कब्जें का स्वरूप	रकबा	काबिज विभाग का नाम
1	2	3	4	5	6

प्रारूप क्रमांक - 7 (राजस्व विभाग)

भूदान यज्ञ या सिलिंग एक्ट की भूमि के वितरण की जानकारी का विवरण

खसरा क्र.	रकबा	पूर्व भूस्वामी का नाम	पट्टेधारी का नाम	आवंटित भूमि	आवंटन आदेश	विवाद हो तो कारण	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रारूप क्रमांक - 1 (वन एवं राजस्व विभाग)

वन विभाग द्वारा सर्वे में शामिल वनखण्ड में अधिसूचित भूमि की राजस्व अभिलेखों में दर्ज मद एवं प्रयोजन

सर्वे डिमारकेशन में शामिल भूमि में से				वनखण्ड मे शामिल की गई भूमि						राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमि की		
उपयुक्त पाई भूमि का		अनुपयुक्त पाई भूमि का		हस्तान्तरित		अहस्तान्तरित		निजि भूमि		मद	प्रयोजन	निजि भूमिधारी का नाम
ख क्र.	रकबा	ख क्र.	रकबा	ख क्र.	रकबा	ख क्र.	रकबा	ख क्र.	रकबा			
1	2	31	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

प्रारूप क्रमांक - 2 (वन एवं राजस्व विभाग)

वन विभाग द्वारा अन्तरित/डीनोटीफाईड भूमि की राजस्व अभिलेखों में दर्ज विवरण

वन विभाग की जानकारी						राजस्व विभाग की जानकारी				
सर्वे में शामिल किया		राजस्व विभाग को अन्तरित किया		धारा 34अ के तहत डीनोटीफाईड किया		राजस्व अभिलेखों में दर्ज			भूमि यदि आवंटित की गई हो तो	
ख क्र.	रकबा	रकबा	दिनांक	रकबा	अधिसूचना दिनांक	रकबा	मद	प्रयोजन	रकबा	नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

प्रारूप क्रमांक -3 (वन एवं राजस्व विभाग)

भूमि बंटन हेतु उपलब्ध भूमि का अंतिम पत्रक

1959 के अभिलेख में दर्ज शासकीय भूमि				खसरा क्रमांक बदला हो		वनखण्ड में रकबा	आवंटित किया रकबा	कालम 7 एवं 8 का योग रकबा	अधो संरचना हेतु बिना आवंटन कब्जा का रकबा	कालम 9 एवं 10 के योग पश्चात् कुल रकबे का 2 प्रतिशत रकबा	आवंटन हेतु उपलब्ध रकबा	आवंटन हेतु उपलब्ध रकबे में से दर्ज रकबा	आवंटन हेतु उपलब्ध रकबे में से विलोपित रकबा
ख. क्र.	रकबा	मद	प्रयोजन	ख. क्र.	रकबा								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

बाजिब–उल–अर्ज

मौजा .....

बंदोबस्त नम्बर .....

पटवारी हल्का नम्बर .....

तहसील .....

जिला .....

सन् 1951–52

बाजिब–उल–अर्ज

बाब 1 – गांव के कोटवार और उनका मेहनताना

नंबर शुमार	नाम कोटवार बाप का नाम और सकूनत	तहसील जमीन खिदमती			मालिक मकबूजा और काश्तकारों से					कैफियत
		खसरा नंबर	रकबा	लगान	शहर	तादाद गल्ला	कीमत	काश्तकारों से		
								गैर	मीजान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

बाब. 2–गांव के दीगर चाकरान

टीप. (1) विरत चाकरान जो ऊपर दर्ज की गयी हैं वह अब्बाब मौजा नही समझी जावेगी और न सरकार से उसकी वसूली की जावेगी, उसका देना या न देना काश्तकार के खुशी पर है.

(2) यदि गांव के चाकरान गांववालों की तरफ से नौकरी की ऐवज लगान माफ जोत हो तो उसकी तफसील दर्ज की जावे.

बाब 3– रिवाज बाबत्

1. **आबादी –**

समय समय पर इसके निस्वज जो कायदे जारी होंगे उसके अनुसार आबादी की जगह बाशिन्दगान देह पाने के हकदार होंगे.

नीचे लिखे खसरा नम्बर और रकबा आबादी के लिये मुकर्रर है :–

खसरा नम्बर ..... रकबा .....

2. **कब्रस्तान और मरघट –**

खसरा नम्बर ..... रकबा ..... तफसील .....

3. **गोठान –**

खसरा नम्बर ..... रकबा .....

4. **पड़ाव –**

खसरा नम्बर..... रकबा .....

5. **खलियान –** अपने अपने खेतो में बनाये है कोई खास जगह मुकर्रर नही है –

खसरा नम्बर ..... रकबा..... खलियान के लिए मुकर्रर है

6. **बाजार–** नही है –

खसरा नम्बर ..... रकबा ..... में ..... दिन भरता है

7. **मुर्दा मवेशी चीरने और लाश दफनाने की जगह –**

खसरा नम्बर ..... रकबा .....

टीप – जो आदमी जगह को काम मे लावेगा वह इस जगह को साफ रखने का जिम्मेदार होगा.

बाब. 4 – बंजर भूमि के हुकूक

1. **चराई–** नीचे लिखे हुए खसरा नम्बर चराई के लिए मुकर्रर है, उन पर देह हाजा के बाशिन्दा काश्तकार अपनी काश्तकारी मवेशी और पाही काश्तकारों के सिर्फ नागर के मवेशी मुफ्त चराते है —

खसरा नम्बर ..... रकबा .....

टीप– (1) शब्द काश्तकार में वे ही मवेशी शामिल हैं जिनकी जीविका का मुख्य जरिया काश्तकारी या काश्तकारी मजदूरी से है।

(2) काश्तकारी मवेशी में सिर्फ वे ही मवेशी है जो काश्तकार की जमीन के रकबे के लिहाज से खेती या खेती से ताल्लुक रखनेवाले कार्यो पर उसके घरू जरूरियात के लिए दरकार है या काम में लाये जाते हों इसमें कुल ऐसे बैल, मैंस व दीगर मवेशी शामिल है जो नीचे कामों के लिए जरूरी है ।

(क) खेती

(ख) दूध, दही, घी वास्ते निजी खर्च,

(ग) काश्तकार और उसके कुटम्ब की सवारी के लिए ।

(घ) वास्ते पैदा करने मवेशी निजी जरूरियात,

2. **जलाऊ लकड़ी, घास, बेंले, जड़ और पत्तियों का जमा करना –** गांव के चालू रिवाज के अनुसार

3. **बाड़ी घेरने के लिए कांटे और लकड़ी का जमा करना** – (ऐजन)

4. **बांस का जमा करना** – (ऐजन)

5. **इमारती लकड़ी** – (ऐजन)

6. **फल और खरीफ पैदावार** – (ऐजन)

टीप – इस बाब के बंजर में बड़े झाड़ का जंगल भी शामिल है ।

बाब. 5 – दरख्तों के हुकूक

1. **फलवाले दरख्त** – जो झाड़ कब्जे में हैं वे खसरा के खाना कैफियत में दर्ज है और उसकी पैदावार वही लेता है, काश्तकारों के खाते की जमीन के भीतर उसके खुद के लगाये हुए झाड़ उसके कब्जे में रहते है और वे ही उनके फल फूल खाते है, झाड़ सूखने पर लकड़ी भी उन्ही की होती है झाड़ों की छाया से फसल की जो नुकसान होता है उसका मावजा देने का कोई रिवाज नही है।

बाब. 6 – गांव की सड़के, पैदल रास्ते और आमद रफ्त के हुकूक

हर एक काश्तकार या उसका नौकर खेतो की मेड़ों पर से या गांव के किसी भी गैर–मकबूजा जमीन पर वे उन जमीनों को छोड़कर जो किसी खास काम के लिए मुकर्रर है उपने काश्तकारी औजार, मवेशी, सिर–बोझा, कांवड, वगैरह लेकर किसी भी मौसम में अपने खेत, खलियान, ढोर चराने या पानी पिलाने को ले जाते है, देह हाजा के आम रास्ते नीचे लिखे है, उनकी मरम्मत वाशिन्दगान देह करते है :–

नम्बर शुमार	तफसील रास्ता	खसरा नं.	रकबा	कहां से कहां को जाता है, मय तफसील खसरा नंबर जिनमें से होता हुआ जाता है	कैफियत
1	2	3	4	5	6

बाब. 7 – खात और कचरा कूड़ा

गांव के चालू रिवाज के अनुसार.

बाब. 8 – आबपाशी

नाम जरिया आबपाशी	खसरा नम्बर	रकबा	कौन मरम्मत करना है	तफसील खेत जिन्हें आबपाशी होता है					कैफियत
				खसरा नं.	रकबा	आबपाशी की तफसील			
						अ.....	ब.....	स.....	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

नोट– 1. तालाब फोड़ने और उसके मरम्मत करने का रिवाज दर्ज करें.

2. कौन खेतो को पहिले पानी मिलता है उसका रिवाज दर्ज करें,

3. तालाब के अन्दर और उसकी पार पर काश्त करने का रिवाज लिखो.

4. जरूरत से ज्यादा पानी निकालने का रिवाज लिखो.

बाब. 9 – पानी के दीगर हुकूक

1. गांव के वाशिंदगान अपना निस्तार कुआं/तालाब/नदी/नाला, खसरा नंबर .....के बिना रोकटोक मुफ्त करते है.

2. गांव के मवेशी कुआं/तालाब/नदी/नाला, खसरा नंबर ..... में मुफ्त पानी पीते और नहलाये–धुलायें जाते है।

3. सन तालाब/नदी/नाला, खसरा नंबर ..... के ..... रकबे में खसरा नम्बर ..... से लगे हुए हिस्से में मुफ्त सड़ाते है ।

बाब 10 – दूसरे की जमीन पर के हुकूक

1. फसल कटने के बाद एक दूसरे के मवेशी आम तौर पर एक दूसरे के खेतो में रूंधी हुई बाड़ियों को छोड़कर बिना रोकटोक मुफ्त चरते हैं.

2. धनहा और आबपाशी की डोलियों का जरूरत से ज्यादा पानी एक दूसरे की खेती मं से बहाव के अनुसार बिना रोकटोक बहा देते है ।

3. खेतों की फसल ढोने के लिये, खात ढोने के लिए गाड़ी के लिए रास्ता एक दूसरे की मेंड बिना रोकटोक फोड़कर बना लेते है ।

बाब 11 – दूसरे मौजो के हुकूक मौजे की जमीन पर

चालू रिवाज अगर कोई हो ता दर्ज करें

बाब 12 – इस गांव के दूसरे गांव की जमीन पर के हुकूक

चालू रिवाज अगर कोई हो तो दर्ज करें

बाब 13 – मौजा देह को सरहद और चांदे, मुनारों का कायम रखना ।

सरहद से लगे हुए मौजो के नाम	खसरा नम्बर	तफसील			मरम्मत करने वाले का नाम
		चबूतरा	चांदा	मुनारा	
1	2	3	4	5	6

नोट – ऊपर लिखे हुए सर्वे निशानों की मरम्मत करने का जिम्मेदार मुकद्दम देह है और उनकी मरम्मत उसकी निगरानी में लैंड रेव्हेन्यू एक्ट, सन् 1917, की दफा 52 के अनुसार खाना (6) में बतलाये हुएकरते है.

बाब. 14 – मुआफी, खैराती और दीगर मुआफी

नम्बर शुमार	माफीदार का नाम, बाप का नाम और सकूनत	खसरा नं.	रकबा	लगान	सबब मुआफी
1	2	3	4	5	6

बाब. 15 – अबाब मौजा

नही है

बाब 16 – दीगर मुतफर्रिक रिवाज

1. मुर्दा मवेशी का चमड़ा मालिक मवेशी का होता है वह उसके दफनाने वगैरह का इन्तजाम और दफनाने के बाद दफनाने की जगह को साफ करने का जिम्मेदार है.
2. गांव की गुढी की मरम्मत वाशिन्दगान देह मिलकर करते है.
3. जिन काश्तकारों के खेतो से गांव की सड़के लगी हुई है वे अपने खेत और सड़क के दरम्यान के सरहदी निशानात मुताबिक दफा 52–अ लैंड रेव्हेन्यू एक्ट, सन् 1917 के अनुसार कायम रखने के जिम्मेदार है और समय समय पर जरूरी मरम्मत उस निशान की करते है.
4. जहां सरकारी जंगल गांव की सरहद से लगा हुआ है वहाँ सरकारी जंगल और गांव की सरहद के दरम्यान की सरहद साफ करते है.
5. शमलाती बरछा –

....

डिप्टी कमिश्नर

स्त्रोत : म.प्र. लैण्ड रिकार्ड मैनुअल 1956 का पृष्ठ क्र. 222 से 226

१०८

नमूना क (ख)

[illegible]
(१ जनू १९५१) के अनुसार कार्य

ग्राम — कुम्हारा — [illegible] — ३४१ — [illegible] — ५१

तहसील — बैतूल — जिला — बैतूल

[illegible] (१)	[illegible] (२)	रकबा (३)	[illegible] (४)	[illegible] (५)	[illegible] (६)	कैफियत (७)
	कोठा स्थान	१५०	रु. आ. पा.			
१	३/१	११३.८०			मिलदार	
२	९/१	२२२.९८				
३	१२	५०.९७				
४	२०/१	८२.४६			"	
	२०/२	०.२६				
		८२.७०				
५	२६/१	४०६.३३			"	
६	२७/१	४०.३४			"	
७	२८/१	४६.२८			"	
८	२८/२	५.००			"	
९	३२/१	१०.००			"	
१०	३६/१	१.०४			"	
११	३९/१	८८.४२			"	
१२	४२/१	१११.३८			"	
१३	४४/१	५६.१२			"	
१४	४५/१	५.८८			"	
१५	५१/१	४८.१६				
	५१/१२	०.६०				
		४८.७६				
१६	६५/१	१.१०			"	
१७	८३/१	२२.६८			"	
१८	८४/१	८.६८			"	
१९	८४/२	२.०२			"	
२०	१०३/१	३४.३३			"	
२१	१०४/१	३.२१			"	
२२	११२/१	१०८.४७			"	
२३	१६५/१	८.९२			"	
२४	२०१	१५३.२८			"	
२५	१८७/१	४८.३४			[illegible]	
२६	१८८/२	७.४८			[illegible]	
२७	१८८/३	०.३४			[illegible]	
योग						

तारीख ....१९६ .

तहसीलदार, बैतूल

प्रमाणित नकल [illegible] मौजा कुम्हारा प.ह.नं. ३४१ तहसील बैतूल वर्ष १९७६-७७ के संलग्न नमूना का (ख) के क्र. १ से ५१ [illegible]

म.प्र. एवं छ.ग. भू–राजस्व संहिता 1959 के अध्याय 18 की धारा 234

धारा – 234 : निस्तार पत्रक तैयार किया जाना –

(1) (उपखंडीय पदाधिकारी) इस संहिता के उपबंधों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत, एक निस्तार पत्रक तैयार करेगा, जिसमें गांव की समस्त दखल रहित भूमि के प्रबंध की योजना और उसके प्रासंगिक समस्त विषय और विशेष रूप से धारा 235 के उल्लेखित विषय दिए जायेंगे।

(2) निस्तार पत्रक का प्रारूप गांव में प्रकाशित किया जाएगा और विहित रीति में गांव के निवासियों की इच्छा सुनिश्चित करने के पश्चात् उसे (उपखंडीय पदाधिकारी) द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।

(3) ग्राम सभा द्वारा की गई प्रार्थना और जहां ग्राम–सभा न हो वहां ग्राम के कम से कम तीन–चौथाई वयस्क निवासियों से आवेदन–पत्र पर या (उपखंडीय पदाधिकारी) स्वत: की प्रेरणा से किसी भी समय, ऐसी जांच के पश्चायत् जैसी वह उचित समझे, निस्तार पत्रक की किसी भी प्रविष्टि में परिवर्तन कर सकेगा।

प्रारूप 'क' (नियम 2 देखिए)

निस्तार–पत्रक

धारा 237 की उपधारा (1) के अधीन निम्नांकित विभिन्न प्रयोजनों के लिए पृथक की गई

दखल (अधिपत्य) रहित भूमि –

(क) इमारती लकड़ी अथवा ईंधन के हेतु सुरक्षित

परिमाप अंक/भू–खंडांक	एकड़ों में क्षेत्रफल	*विशेष
1	2	3

* टिप्पणी : विशेष स्तंभ में जिन निबंधनों तथा प्रतिबन्धों के साथ तथा जिस परिमाण में लकड़ी, इमारती लकड़ी, ईंधन, बेंलें, कंद, पत्ती, कांटे, झांकड़, बागड़ के बांस, फल तथा साधारण उपज प्राप्त कर सकता है, उनके संबंध में टिप्पणी दी जाए।

(ख) चरोखर, धासबीड अथवा चारे के लिए सुरक्षित

परिमाप अंक/भू–खंडांक	एकड़ों में क्षेत्रफल	*विशेष
1	2	3

* टिप्पणी : विशेष स्तंभ में जिन निबंधनों तथा प्रतिबन्धों के साथ ग्राम के पशुओं को चराने की अनुमति है, उनके तथा पशुओं के नि:शुल्क चराए जाने के संबंध में टिप्पणी दी जाए।

(ग) कब्रस्तान तथा श्मशान

परिमाप अंक/भू-खंडांक	एकड़ों में क्षेत्रफल	*विशेष
1	2	3

* टिप्पणी : यदि कोई परिमाप- अंक किसी समुदाय हेतु कब्रस्तान अथवा श्मशान की भांति काम में आता है तो विशेष स्तंभ में टिप्पणी दी जाए।

(घ)पड़ाव डालने के लिए भूमि

परिमाप अंक/भू-खंडांक	एकड़ों में क्षेत्रफल	*विशेष
1	2	3

(ड़) खलियान

परिमाप अंक/भू-खंडांक	एकड़ों में क्षेत्रफल	*विशेष
1	2	3

(च) बाजार

परिमाप अंक/भू-खंडांक	एकड़ों में क्षेत्रफल	*विशेष
1	2	3

* टिप्पणी : बाजार शुल्क लगाने के संबंध में शासन की विशेष अनुमति के बिना कोई प्रविष्टि न की जाए।

(छ) खाल (चमड़ा) निकालने के लिए स्थान

परिमाप अंक/भू-खंडांक	एकड़ों में क्षेत्रफल	*विशेष
1	2	3

* टिप्पणी : यदि इन प्रयोजनों के लिए पृथक् की गई भूमि के उपयोग को नियंत्रित करने वाली कोई विशेष रूढ़ि हो तो उसकी टिप्पणी विशेष स्तंभ में दी जाए।

(ज) खाद के गड्ढे

परिमाप अंक/भू-खंडांक	एकड़ों में क्षेत्रफल	*विशेष
1	2	3

* टिप्पणी : विशेष स्तंभ में निवासियों के अपने स्वयं के खाद अथवा कचरे पर, या उसको किसी ग्राम विशेष या प्रत्येक भाग में एकत्र करने के यदि कोई अधिकार हो तो उनके खाद के गड्ढे की भूमि के उपयोग को नियंत्रित करने वाली रूढ़ियों के संबंध में टिप्पणी की जाए।

(झ)– (एक) सार्वजनिक प्रयोजन, जैसे पाठशाला, खेल के मैदान बगीचे, जल–निकास तथा तत्सदृश अन्य

परिमाप अंक/भू–खंडांक	एकड़ों में क्षेत्रफल	*विशेष
1	2	3

* टिप्पणी : जिस प्रयोजन के लिए कोई परिमाप अंक भू–खंडांक सुरक्षित है वह विशेष स्तंभ में लेख्यांकित किया जाए।

(झ) – (दो) सड़के मार्ग तथा गलियां

अनु. क्र.	सड़कों तथा मार्गों का विवरण	सड़क, मार्ग या पशुओं के गोठान का परिमाप–अंक	क्षेत्रफल	सड़कों, मार्गों तथा गोठान की दशा	विशेष
1	2	3	4	5	6

(ट) – (एक) निस्तार अधिकारों के निर्वाह के लिए मुरम, कंकड़, रेत, मिट्टी पत्थर

परिमाप अंक/भू–खंडांक	एकड़ों में क्षेत्रफल	*विशेष
1	2	3

* टिप्पणी : जिन निबंधनों तथा प्रतिबंधों पर तथा जिस परिणाम में कोई निवासी यह वस्तुऐं प्राप्त कर सकता है, उन्हें विशेष स्तंभ में अंकित किया जाए।

(ट) – (दो) सिंचन तथा अन्य जल के अधिकार

(क) सिंचन के उपयोग में लाए जाने वाले तालाब

तालाब का परिमाप अंक	एकड़ों में क्षेत्रफल	तालाब से सिंचित परिमाप अंक	खेतों की सूची क्षेत्रफल	निःशुल्क सिंचित फसलें	विशेष
1	2	3	4	5	6

(ख) सिंचन के अतिरिक्त अन्य निस्तारों के प्रयोजन में लाए जाने वाला तालाब

तालाब का परिमाप अंक	एकड़ों में क्षेत्रफल	जिन प्रयोजनों के काम में लिया जाता है	*विशेष
1	2	3	4

* टिप्पणी : केवल उन्हीं तालाबों का उल्लेख किया जाना चाहिए जो मध्यस्थों के अधिकारों की समाप्ति के पश्चात् राज्य में निहित हो गए।

(ट) – (तीन) दखल (आधिपत्य) रहित भूमि में रोपित फलदार वृक्षों में अधिकार

परिमाप–अंक/भू–खंडांक जिनमें फलदार वृक्ष खड़े हैं	फलदार वृक्षों की संख्या	वृक्ष या वृक्षों के अधिपत्य वाला व्यक्ति	विशेष
1	2	3	4

(ट) – (चार) कोई अन्य प्रयोजन जो विहित किया जाए

परिमाप अंक/ भू–खंडांक	एकड़ों में क्षेत्रफल	प्रयोजन	विशेष
1	2	3	4

2.5 मबाजिआत का गैर मजरूसा रक्बा जो किसी रिजर्व ब्लाक की हद से 3 मील के अंदर वर्क हो "प्रोटेक्टेड जंगल कहलायेगा"

—00—

रीवा राज दरबार द्वारा जारी किए गए आदेश में संरक्षित वनों को लेकर प्रावधान दिया गया

Appendix-X

Rewa Darbar order dated 06-02-1937, declaring all forested lands within the princelv-State of Rewa a as Protected Forests.

The Darbar is here by pleased to declared under section 29 of the Rewa Forest Act the provisions of chapter IV of the aforesaid Act, Applicable to all forest land, and wast which is not included in a R.F., Land holding (includig air or Gram) or badi or tank or municipal, compound or Bazar area.

--00 --

भोपाल शासन की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक 14/6/1954

REVENUE DEPARTMENT
NOTIFICATION

No. 21, Dated the 14th June, 1954

In excercise of the paras conferred under Scetion 29 of the IndianForest act, 1927 as declarated by the Central Government under Notification No. 104-J dated the 24th August 1950, the chief commissioner of Bhopal has been pleased to declare the Chhota and Bara Jungles of the following Jagir village which have been resumed by government and transferred to the forest department as "Protected Forests"

The residence of the respective village will continue to enjoy the rights as entered in the village Wajib-ul-arg.

Rules regarding Fire Protection, Grazing, Shooting and catting, Felling and Removal of tress or other Produce, published under notification No. 2 dated the 6th March, 1954 in the State Gazzette dated 9th March, 1954 will apply to these areas with immediare effect.

M.S. DAS,
Commissioner.

DETAILS OF AREA
WESTERN DIVISION

S. No.	Name of Forest	Name of Tahsil	Name of village	Bara Jungle	Chhota Jungle	Total	Survey Numbers
1	2	3	4	5	6	7	8

भोपाल शासन की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक 14/6/1954

माल विभाग

विज्ञप्ति

क्रमांक. 21 दिनांक 14.06.1954

ई0

इण्डियन फॉरेस्ट एक्ट की धारा 29 के अन्तर्गत जैसा कि भारत सरकार ने विज्ञप्ति नं. 104–जे, दिनांक 24.08.1950 के अन्तर्गत अधिकार दिया है, चीफ कमिश्नर महोदय भोपाल, निम्नलिखित जागीर के गाँवों के छोटे और बड़े जंगलों को जो कि सरकार के आधीन आ चुके है और वन विभाग में सुपुर्द किए जा चुके हैं प्रोटेक्टेड वन (Protected Forest) घोषित करते है।

2. सम्बन्धित ग्रामों के निवासी रजिस्टर बाजिब–उल–अर्ज में बताए गए अधिकारों के अनुसार उपयोग करते रहेंगे।

3. विज्ञप्ति नं. 2 दिनांक 06.03.1954 (जो भोपाल राज्य के असाधारण गजट दिनांक 06.03.1954 द्वारा प्रकाशित हुई है) द्वारा जो (1) आग लगने से बचाव के नियम (2) चरी के नियम (3) शिकार के नियम और (4) वृक्षों व अन्य पैदावार के काटने, गिराने और निकास के नियम घोषित किए गए है, वह इन क्षेत्रों पर भी लागू रहेंगे।

म.स.दास,
आयुक्त।

–00 –

FOREST AND TRIBAL WELFARE DEPARTMENT GWALIOR

Notification

No. 1101/XF/203(54), Gwalior, dated the 1st March, 1955

In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Madhya Bharat Forest Act, Samvat 2007, the Government as pleased hereby to declare such lands in the ex-jagirdari and ex- Zamindari areas of Madhya Bharat, resumed under the Madhya Bharat Abolition of Jagirs Act, Samvat 2008 and the Madhya Bharat Zamindari Abolition Act, Samvat 2008, respectively as have been recorded as forests in the last settlement in the area concerned and as are not included in the reserved forests, to be protected forests, provided that any existingt rights of individuals or communities is such lands shall not be abridged or affected pending the enquiry and record in accordance with the provisions of sub-section 3 of the said section.

मध्य भारत वन विधान, संवत् 2007 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए शासन इस विज्ञप्ति द्वारा, मध्य भारत जागीर समाप्ति विधान, संवत् 2008 तथा मध्य भारत जमींदारी समाप्ति विधान, संवत् 2008 के अधीन पुनर्संमूदीन गत जागीरदारी तथा जमींदारी क्षेत्रों की ऐसी भूमियों जो कि सम्बन्धित क्षेत्र के विगत अन्तिम व्यवस्थापन में वन के रूप में लिखी गई हों और जोकि सुरक्षित वनों में सम्मिलित न हो, रक्षित वन घोषित करना है, किन्तु व्यक्तियों या जातियों के ऐसी भूमियों में विद्यमान स्वत्व, उक्त धारा की उपधारा धारा (3) के आदेशों के अनुसरण में की जाने वाली जांच तथा लेखा के अपूर्ण रहने तक कम या प्रभावित न होगें.

आज्ञा से,
एस.पी. मिश्रा सेक्रेटरी

म. प्र. शासन की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक 1 अगस्त 1958

No. 9-X-58- Whereas the State Government consider it necessary to make the provisions of Chapter IV of the Indian Forest Act, 1927, (XVI of 1927, herein after referred as the said Act,) as applicable to forest land specified in the Schedule below;

AND WHEREAS the State Government think that an enquiry and record as required by sub-section(3) of section 29 for the said Act are necessary, but that they will occupy such length of time as in the mean time to endanger to rights of Government;

Now, THEREFOR, In exercised of the powers conferred by section 29 of the said Act, The State Government hereby declare the provisions of Chapter IV of the said act applicable to the aforesaid land] pending such inquiry and record, subject to the condition that existing rights of individuals or communityes in such land shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government Government from time to time:-

Schedule

All such forest land which has vested in the State by virtue of the provisions contained in that behalf in Madhya Pradesh Abilition of Proprietary Rights (Estates, mahals, Alienated lands) Act, 1950 (I of 1951) and has been transferred to the Forest Department for Management but has not so fer been declared as Reserved forest or Protected Forest.

–00 –

संरक्षित वन सर्वे डिमारकेशन रिपोर्ट का प्रारूप

Sr. No.	Range	Name of Block	Name of Village	P.C. No.	Transferred Area			Area Left out of Demarcate-ion (Orange Area)	Reason for living out the area of col. 9			
					Kh. No. (Old)	Total Area (in Acrice)	Area Included in the demarketed Block		Strighte-ning	Isolated	Patches	Encrochach-ments
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

सर्वे डिमारकेशन कम्पलीशन रिपोर्ट का प्रपत्र

Name of the Village & P.C. No.	Khas-ra No.	Transferred Area								Untransferred Area			
		Total Area Transferred	Parti-cular	Area Included in block	Ared Left Out					Kh. No	Parti-cular	Area Included	Remark
					Straing-htening	Isolated	Encroac-hment	Other	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

संरक्षित वन क्षेत्रफल पंजी का प्रारूप

Range	Demarcated Protected Forest Blocks						Description of Boundaries	Map of Block	List of Individual Patta Land and Enchrochments			
	Sr. No.	Name of Block	Area as per survey and demarcation Record						Extent in Area	Name of Person	Patta or Encrochment	Date
			Name of Village	Khasra No.	Total Area	Total Area included in the block						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

संरक्षित वन ब्लॉक हिस्ट्री का प्रारूप

Statement Showing the Un-Transferred Kh. No. and area included in the Block (each village)

S. No.	Name of Village	Untransferred Khasra No.	Area	Area included in Block	Area Left Out	Remarks
1	2	3	4	5	6	7

Statement Showing the Transferred Kh. Nos. and area included in the Block (Each Village)

S. No.	Name of Village	Transferred Khasra No.	Area	Area included in the Block
1	2	3	4	5

Statement Showing the area left-out of the Demarcation

(Each Village), which have been given orange wash on 4"= 1 mile map.

S. No.	Name of Village	Khasra No.	Area	Area left out	Straightening	Isolated	Encroachment	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Statement Showing the Private land Kh. No. and area included in the Block (Each Village)

S. No.	Name of Village	Private land Khasra No.	Area	Area included in the Block	Name of Owner	Remarks
1	2	3	4	5	6	7

1966 में अन्तरित भूमियों की सूची का प्रारूप

राजस्व निरीक्षक सर्कल	वन परीक्षेत्र	पटवारी हल्का क्र.	गांव का नाम	खसरा क्र.	खसरा का कुल रकबा (एकड़ में)	रकबा (एकड़ में जो राजस्व विभाग द्वारा कब्जें में लिया गया
1	2	3	4	5	6	7

1975 में अन्तरित भूमियों की सूची का प्रारूप

प.ह.नं.	ग्राम का नाम	सर्वे नम्बर		कुल क्षेत्रफल एकड़ में	राजस्व विभाग को हस्तांतरित क्षेत्रफल एकड़ में	वन विभाग के पास बचा हुआ क्षेत्रफल		फैफियत
		पुराना	नया			आरक्षित वन हेतु	ग्राम हेतु	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

''आर.एफ. एवं पी.एफ. रजिस्टर में अधिकारों को लेखबद्ध किए जाने वाला प्रारूप''

Statement of Rights

At the settlement made and declared in Notification

In 18 rights were allowed already cited of .....II ..... the following

No.	Name of Right holders	Nature and extent of rights	Remarks
1	2	3	4

सत्यापित प्रति

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी, 1994

-: संक्षेपिका :-

विषय : राजस्व विभाग एवं वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिलेवार वनक्षेत्र के आंकड़ों में अन्तर।

—00—

मध्य प्रदेश देश का वह प्रदेश है जहाँ कि क्षेत्रफलवार सर्वाधिक वन क्षेत्र है। वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में कुल 154505.09 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है जो कि कुल भू–भाग का लगभग 35 प्रतिशत है। राजस्व विभाग अथवा आयुक्त भू–अभिलेख के अनुसार राज्य में वन क्षेत्र 142110.32 वर्ग किलोमीटर है। इसका अर्थ यह है कि 12394.77 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, जिसे वन विभाग व राजस्व विभाग दोनों अपना–अपना बताते है।

2. मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबन्ध) का जब पद सृजित किया गया था, तब यह धारणा थी कि यह पद आयुक्त भू–अभिलेख के समकक्ष रहेगा और मु.व.सं. (भू–प्रबन्ध) राज्य के पूरे वनक्षेत्र के आंकड़ों की जानकारी सीमा रेखा व सीमा स्तम्भों के रखरखाव आदि का कार्य देखेंगे। परन्तु उन्हें न तो कार्यालयीन स्तर पर और न ही क्षेत्रीय स्तर पर अमला और न ही अन्य साधन उपलब्ध कराए गए फलस्वरूप वे इस सन्दर्भ में कोई ठोस कार्यवाही नही कर पाए। विडम्बना यह है कि आज की स्थिति में वन विभाग स्वयं ही वनक्षेत्र बाबत् अपने आंकड़ों के बाबत् आश्वस्त नही है। जिलेवार कितना संरक्षित वन सीमांकित है, कितना सीमा रेखा के बाहर छूटा है व सीमांकित वनखंडों में कितना राजस्व क्षेत्र शामिल किया गया है, इसके आंकड़ें मुख्यालय स्तर पर उपलब्ध नही है। वनमंडलों में भी स्थिति अच्छी नही है। बार–बार वनमंडलों का पुनर्गठन होते रहने से इस बाबत् अभिलेख पूर्णतः उपलब्ध नही है और वनक्षेत्र के मिलान की जो कार्यवाही कार्य आयोजना बनाते समय की जाती थी, उस ओर ध्यान नही दिया जा रहा है।

3. इस अन्तर के सन्दर्भ में पृष्ठ भूमि का अध्ययन आवश्यक है। जागीरदारी एवं जमींदारी प्रथा समाप्त होने पर उनके प्रभार के वन राज्य शासन के अन्तर्गत आए और वन विभाग को सौंपे गए तथा इन्हें कालान्तर में संरक्षित वन घोषित किया गया। महाकौशल क्षेत्र के कुल जिलों में वन विभाग में वन विभाग को दिए गए क्षेत्रों की खसरावार विवरण उपलब्ध था और संरक्षित वन की अधिसूचना में खसरों का उल्लेख था तथा कुल अधिसूचित क्षेत्र स्पष्ट दर्शाया गया था परन्तु शेष स्थानों में संरक्षित वन की परिभाषा या अधिसूचना विवरणात्मक न होकर छायावादी थी। इन्हीं क्षेत्रों में जो भी खसरे बड़े झाड़ के जंगल, छोटे झाड़ के जंगल, जंगल, निस्तारी जंगल, सरना, करात, जंगल जंला, जंगल खुर्द आदि के रूप में दर्ज थे, संरक्षित वन घोषित किए थे अर्थात् संरक्षित वनों का क्षेत्रफल तात्कालिन वन से उपलब्ध नही था। रीवा क्षेत्र में आरक्षित वन, निजी भूमि व म्युनिसिपल क्षेत्र को छोड़कर शेष सभी क्षेत्र संरक्षित वन घोषित किए गए। इसका अर्थ यह हुआ कि रीवा क्षेत्र में कोई राजस्व क्षेत्र था ही नही। ग्वालियर क्षेत्र में आरक्षित वन सीमा से निश्चित दूरी तक के क्षेत्र संरक्षित वन अधिसूचित किए गए। सारांश में यह किसी को स्पष्ट नही था कि कितना और कौन सा क्षेत्र संरक्षित वन घोषित हुआ है। जिस क्षेत्र को वन विभाग अपना जानता था, वहीं राजस्व विभाग द्वारा पट्टें दिए जाने लगे इसका एक दुष्परिणाम यह भी हुआ कि वन सम्बन्धी अनुशासन समाप्त हो जाने के कारण आरक्षित वनों में भी पट्टें दिए जाने लगे और उस समय कृषि को प्रधानता दिए जाने के कारण अधिक अन्न उपजाओं जैसे अनेक क्योंकि अन्तर्गत वृक्ष विहीन वन भूमि खेती के लिए दिए जाने के कारण स्थिति और भी भ्रमात्मक होती गई।

4. इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए सातवें दशक में संरक्षित वनों के सीमांकन का निर्णय लिया गया। उस निर्णय के अनुसार समस्त तथा कथित संरक्षित वन क्षेत्र जो कि वनों के रूप में प्रबंधित किए जाने थे, का सीमांकन कर मानचित्र तैयार

किए जाने थे। इस सीमांकन में अतिक्रमित क्षेत्र व छोटे–छोटे टुकड़े वनखण्डों के बाहर ही छोड़े जाना थे। साथ ही ग्राम के निस्तार की भूमि छोड़ना थी, भविष्य में फैलाव का ध्यान रखना था तथा कृषि एवम् वन खंड की सीमा के मध्य एक पट्टी छोड़नी थी। साथ ही यह भी निर्देश हो कि किसी अहस्तांतरित क्षेत्र (राजस्व क्षेत्र) पर अच्छे वन हो, अथवा वह चारों ओर वन क्षेत्र से घिरा हो तो उसे भी वनखण्ड में शामिल किया जाए। इसे एक समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में लिया गया और इसके लिए विशेष दल गठित किए गए।

5. संरक्षित वनखंडों के सीमांकन हेतु पहले पटवारी मानचित्र की प्रतियाँ बनाकर उस पर वे सभी खसरे चिन्हांकित किए गए जो कि वन विभाग को अहस्तान्तरित हो चुके थे। ऐसे खसरों को मिलाते हुए पहले मानचित्र पर वन खण्ड बनाए गए तथा बाद में स्थल पर जांच करते हुए निर्धारित मानदंडों व निर्देशों को ध्यान में रखते हुए स्थल पर मुनारे बनाकर सीमा रेखा निर्धारित की गई और बाद में उसका सर्वेक्षण कर उसे मानचित्र में अंकित किया गया। पटवारी मानचित्र में जो क्षेत्र संरक्षित वनखण्ड के अन्दर आ गया था, उसे हरे रंग से तथा वन विभाग को हस्तान्तरित पर वन खंड के बाहर क्षेत्र को नारंगी (आरेंज) रंग से दर्शाया गया और कालांतर में यही वन विभाग को हस्तान्तरित पर वनखंड के बाहर स्थित क्षेत्र आरेंज एरिया कहलाए वनखंड बनाते समय कुछ निजी भूमि ऐसी भी जो कि चारों ओर वन से घिरी थी व उसे वन के बाहर छोड़ना सम्भव नही था, अतः उन्हें भी वनखंड में इस आशय के साथ शामिल किया गया कि कालान्तर में उनका अधिग्रहण कर लिया जाएगा।

6. सीमांकन व सर्वेक्षण कार्य समाप्त होने पर पटवारी मानचित्र पर अंकित संरक्षित वनखंडों के मानचित्रों को लघुकृत कर 4"=1 मील व 1"=1 मील में मान पर बनाया गया और वन मानचित्र में अंकित किया गया। साथ ही एक सर्वेक्षण कार्य समाप्ति प्रतिवेदन बनाया गया जिसमें प्रत्येक ग्राम में वन विभाग में हस्तान्तरित, उसमें से वनखंड में शामिल कर वनखंड के बाहर छूटे खसरे का विवरण था। साथ ही वनखंड में शामिल राजस्व व निजी भूमि का खसरेवार विवरण था। इस प्रकार बनाए गए मानचित्र व कार्य समाप्ति प्रतिवेदन की एक प्रति जिलाध्यक्ष को भी उपलब्ध कराई गई व धारणा यह थी कि उस आधार पर राजस्व अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टि कर ली जाएगी और पटवारी मानचित्रों में संरक्षित वन की सीमा रेखा अंकित कर ली जाएगी। परन्तु वस्तुतः ऐसा हुआ नही तथा राजस्व अभिलेखों में सुधार के अभाव में राजस्व अधिकारी उन क्षेत्रों के भी पट्टें देते गए जो कि संरक्षित वनखंड में शामिल थे जिससे विसंगतियाँ बढ़ती गई।

7. यह सभी तथ्य राज्य शासन के ध्यान में लाए जाने पर वर्ष 1971–72 में यह निर्णय लिया गया कि पटवारी मानचित्रों पर संरक्षित वन की सीमा रेखा अंकित की जाए तथा जो संरक्षित वन क्षेत्र वनखंड के बाहर छूटे है, उनकी सूची बना कर उन्हें निर्वनीकरण किया जाकर राजस्व विभाग को हस्तान्तरित किया जाए। इसे समयबद्ध कार्यक्रमों के रूप में लिया गया था जिलाध्यक्ष कार्यालय के पटवारी मानचित्रों पर संरक्षित वन की सीमा रेखा अंकित की गई तथा वन मानचित्रों पर राजस्व अधिकारियों एवं राजस्व मानचित्रों पर वनाधिकारियों द्वारा मिलान की पुष्टि स्वरूप हस्ताक्षर किए गए। साथ ही ग्राम वार उन खसरों की सूची भी तैयार करने का कार्य प्रारम्भ किया गया जो कि वनखंड के बाहर छूटे थे। कुछ क्षेत्रों से ऐसे क्षेत्रों के निर्वनीकरण की अधिसूचना जारी भी हुई। कुछ जिलों के प्रकरण तैयार होने के बाद विभिन्न स्तरों पर अधिसूचना हेतु लंबित रहे। इसी बीच मंत्री परिषद् का दिनांक 8.8.75 को यह निर्णय लिया गया कि –

जिलाध्यक्ष वनखंड के बाहर छूटे हुए क्षेत्र के निर्वनीकरण की अधिसूचना की प्रतीक्षा किए बिना, पट्टा वितरण का कार्य प्रारम्भ कर दें। फलस्वरूप राजस्व विभाग ने ऐसे क्षेत्रों को अपने अधीन मानते हुए पट्टा वितरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया तथा निर्वनीकरण की अधिसूचना जारी करने के लिए जो प्राथमिकता निर्मित हो रही थी, वह ढीली पड़ गई।

8. वर्ष 1976 में राज्य शासन के ध्यान में होशंगाबाद जिले का प्रकरण आया जहाँ कि राजस्व क्षेत्र में बड़े पैमानें पर अवैध कटाई हुई थी। अतः यह अनुभव करते हुए कि कुछ ऐसे क्षेत्र वनखंडों के बाहर छुट गए है, मंत्री परिषद द्वारा दिनांक 20.5.76 को निर्णय लिया कि :–

1. प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के सर्वेक्षण के उपरांत जो भूमि शासकीय वनों से निष्कासित की गई है, उसके संबंध में वन विभाग पुनः जांच करें। यदि मूल्यवान वनों के भू–खण्ड निष्कासित कर दिये गये है तो उन्हें वन विभाग पुनः आरक्षित घोषित करने की कार्यवाही करें। जिन संरक्षित वनों में सर्वे डिमारकेशन एवं व्यवस्थापन का कार्य शेष है, उनमें अनियंत्रित कटाई तुरन्त रोकी जाए तथा उन वनों के व्यवस्थापन की कार्यवाही जल्द पूर्ण की जाए।

2. यदि किसी राजस्व ग्राम से लगा हुआ जंगल का बड़ा हिस्सा है तो केवल गांव से लगा हुआ कुछ हिस्सा गांव के निस्तार के लिए छोड़कर शेष वन विभाग अपने कब्जे में लें।

3. राजस्व विभाग के अन्तर्गत भोपाल तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में ऐसे वन क्षेत्र है जहाँ मूल्यवान जंगल है। राजस्व विभाग ऐसे वन क्षेत्रों को वन विभाग को तुरन्त हस्तांतरण की कार्यवाही करे।

4. मंत्री परिषद के पूर्व निर्णय के अनुसार जो 47 लाख एकड़ भूमि शासकीय वनों से कृषि के लिए आवंटन के लिए राजस्व विभाग को हस्तांतरित की जा रही है। उनमें से ऐसी भूमि जो वनों के लिए अधिक उपयुक्त है अथवा जिस पर मूल्यवान वन है वन विभाग तुरन्त अपने कब्जे में पुन: लेने की कार्यवाही करें।

दुबारा सर्वेक्षण का कार्य प्रारम्भ ही नही हुआ। वर्ष 1978 से सारा ध्यान दिनांक 31.12.1976 तक के अतिक्रमणों के सर्वेक्षण व व्यवस्थापन पर केन्द्रीत रहा तथा यह कार्य मार्च 1980 तक चला तथा दिनांक 25.10.80 से वन संरक्षण अधिनियम लागू हो गया व ऐसे क्षेत्रों के निर्वनीकरण की कार्यवाही समाप्त हो गई।

10. बनाए गए संरक्षित वन खंडों को आरक्षित वन घोषित करने की दृष्टि से वर्ष 1967 से 1969 के मध्य भारतीय वन अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचित किया जाकर वन व्यवस्थापन अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। इस कार्य हेतु 10 उप जिलाध्यक्षों को वन व्यवस्थापन अधिकारी की नियुक्ति के रूप में पदस्थ किया गया था इस सन्दर्भ में कोई विशेष प्रगति नही हुई और अन्ततः वर्ष 1987 में उक्त पद समाप्त करते हुए यह कार्य अनुविभागीय अधिकारी सिविल को सौंप दिया गया है। संरक्षित वनखंडों के मानचित्र व मूल अभिलेख पहले वन व्यवस्थापन अधिकारियों को सौपें गए थे। बाद में उन्हें अनुविभागीय अधिकारी (सिविल) को भेजा गया। वर्तमान में इन मूल अभिलेखों की स्थिति अत्यन्त भ्रामक है तथा पूरे मानचित्र मिल जाऐंगे, संदेहास्पद है। आरक्षित वनखंडों वनों की सीमा रेखा व मुनारों के लिए नियमित बजट न होने से इनकी स्थिति खराब है और अतिक्रमण आदि के कारण बहुत से वनखंडों की सीमा रेखा व मुनारे आज खत्म हो गए है।

11. पटवारी मानचित्रों को 10 वर्ष बाद पुन: बनाया जाता है। बाद में पटवारी मानचित्रों को दुबारा बनाते, ट्रेस करते समय संरक्षित वन खंड की सीमा रेखा नही उतारी गई तथा आज पटवारियों के पास उपलब्ध अधिकांश मानचित्रों में वनखंडों को सीमा रेखा अंकित नही है इसके फलस्वरूप अनेक बार राजस्व अधिकारियों द्वारा वन भूमि षि खनन या अन्य प्रयोजनों के लिए आवंटित कर दी जाती है, जिससे विवाद उत्पन्न होता है।

12. राजस्व विभाग द्वारा बड़े झाड़ के जंगल या छोटे झाड़ के जंगल के रूप में वर्गीकृत जो क्षेत्र उनके प्रभार में बताया जाता है, वस्तुत: वनखंड के बाहर छूटा हुआ वन क्षेत्र है व उसकी वैधानिक स्थिति संरक्षित वन की है।

13. इस भ्रामक स्थिति के तत्कालीन हल के लिए आवश्यक है कि जिलाध्यक्ष व वन मंडलाधिकारी प्रत्येक ग्राम के वनक्षेत्र का मिलान कराऐं व स्थिति स्पष्ट करें। यद्यपि इस सन्दर्भ में जिलाध्यक्षों व वन मंडलाधिकारियों को लिखा गया है पर आवश्यकता इस बात की है कि इस कार्यक्रम को शासन स्तर पर लिया जाए और जिलाधिकारियों को इस हेतु समयबद्ध कार्यक्रम दिया जाए। इस प्रकार मिलान उपरान्त जो स्थिति सामने आती है, उस आधार पर राजस्व एवं वन अभिलेखों में सुधार करते हुए वनक्षेत्र के सही आंकड़े घोषित किए जाएं।

14. इस समस्या के दीर्घकालीन हल के लिए यह आवश्यक है कि मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) के कार्यालय को सुदृढ़ किया जाए तथा प्रत्येक जिला स्तर पर अधीक्षक भू–अभिलेख के समकक्ष सहायक वन संरक्षक का पद निर्मित किया जाये व उन्हें कुछ सर्वेयर, चैनमैन तथा अन्य अमला उपलब्ध कराया जाए। इस सहायक वन संरक्षक द्वारा न केवल वन भूमि सम्बन्धी अभिलेख प्रतिपादित किए जाऐंगे बल्कि वन सीमा रेखा व स्तम्भों का रखरखाव कराया जाएगा बल्कि वन व्यवस्थापन का कार्य भी देखा जाएगा।

(अशोक मसीह)
अतिरिक्त सचिव
म.प्र. शासन, वन विभाग

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा प्रतिवेदित वन भूमियों की जानकारी

वर्षवार (वर्ष 56–57 से 2000 तक) हेक्टयर में

वर्ष	आरक्षित भूमि (हे.)	वृद्धि या कमी (हे.)	संरक्षित भूमि (हे.)	वृद्धि या कमी (हे.)	असीमांकित संरक्षित (हे.)	योग
1	2	3	4	5	6	7
1957	7883700	0	5996600	0	3365700	17246000
1958	7883400	-300	5831900	-164700	3358400	17073700
1959	7883400	0	7808300	1976400	1411500	17103200
1960	8000200	116800	7852800	44500	1274800	17127800
1961	7883500	-116700	8083500	230700	1299400	17266400
1962	7883400	-100	8111100	27600	1303300	17297800
1963	7879300	-4100	8108500	-2600	1303300	17291100
1964	7889600	10300	9199100	1090600	196300	17285000
1965	7593300	-296300	9099200	-99900	468400	17160900
1966	8008000	414700	9027900	-71300	134900	17170800
1967	8018700	10700	9044900	17000	134900	17198500
1968	7994000	-24700	9040900	-4000	134300	17169200
1969	7974200	-19800	8986800	-54100	133800	17094800
1970	7972000	-2200	8800800	-186000	62700	16835500
1971	8010600	38600	8804600	3800	59500	16874800
1972	8012300	1700	8781800	-22800	69500	16863700
1973	8012300	0	8535300	-246500	68500	16616100
1974	8012300	0	8535300	0	68500	16616100
1975	8081300	69000	8314000	-221300	64400	16459700
1976	8062000	-19300	8186200	-127800	65300	16313500
1977	8019700	-42300	7442100	-744100	176800	15638600
1978	8019700	0	7442100	0	176800	15638600
1979	8019700	0	7442100	0	176800	15638600
1980	8099500	79800	6908300	-533800	533600	15541400
1981	8099500	0	6908300	0	533600	15541400
1982	8099500	0	6908300	0	533600	15541400
1983	8099500	0	6908300	0	533600	15541400
1984	8099500	0	6908300	0	533600	15541400
1985	8099500	0	6908300	0	533600	15541400
1986	8099500	0	6908300	0	533600	15541400
1987	8099500	0	6908300	0	533600	15541400
1988	8099500	0	6908300	0	533600	15541400
1989	8099500	0	6908300	0	533600	15541400
1990	8099500	0	6908300	0	533600	15541400
1991	8318100	218600	6569000	-339300	654300	15541400
1992	8270012	-48088	6667757	98757	511900	15449669
1993	8270012	0	6667757	0	511900	15449669
1994	8270012	0	6668899	1142	511248.1	15450159
1995	8270012	0	6669379	480	511248.1	15450639
1996	8270012.6	0.6	6669379.3	0.3	511248.1	15450640
1997	8270012.6	0	6669379.3	0	511248.1	15450640
1998	8270012.6	0	6669379.3	0	511248.1	15450640
1999	8270012.6	0	6669379.3	0	511248.1	15450640
2000	8270012.6	0	6669379.3	0	511248.1	15450640

अविभाजित मध्य प्रदेश की ग्रामवार, खसरावार, रकबावार प्रकाशित अधिसूचनाएं

क्र.	जिले का नाम	उन ग्रामों की संख्या एवं रकबा जो निर्वनीकृत किया गया		क्र.	जिले का नाम	उन ग्रामों की संख्या एवं रकबा जो निर्वनीकृत किया गया	
		ग्रामों की संख्या	रकबा (एकड़ में)			ग्रामों की संख्या	रकबा (एकड़ में)
1	2	3	4	1	2	3	4
1	बालाघाट	794	74287.34	19	खरगोन/ बड़वानी	2	657.72
2	सीधी/सिंगरौली	1912	940247.21	20	शिवपुरी	3	5.67
3	शहडोल/अनूपपुर/उमरिया	3889	1111040.60	21	सागर	1	1.11
4	सीहोर	401	32987.23	22	राजगढ़	2	31.96
5	नरसिंगपुर	61	12787.32	23	होशंगाबाद	2	17.91
6	छतरपुर	880	437466.42	24	बैतूल	6	45.35
7	गुना/अशोकनगर	950	27491.23	25	इन्दौर	1	85.00
8	खण्डवा/ बुरहानपुर	150	22285.60	26	मन्दसौर/नीमच	2	341
9	रायसेन	252	9394.48	27	देवास	2	36.31
10	शिवनी	1	11.95	28	बैतूल (ग्राम)	1	241.84
11	छिंदवाड़ा	1	17.18	29	बिलासपुर	9	1008.51
12	टीकमगढ़	77	8329.06	30	सरगुजा	3737	1632010.07
13	पन्ना	1	374.32	31	बस्तर	25	6089.94
14	मंडला/डिण्डौरी	3	20.50	32	रायपुर	988	272857.98
15	जबलपुर/कटनी	15	606.16	33	रायगढ़	15	230.97
16	दमोह	288	19899.77	34	दुर्ग	13	2046.01
17	धार	4	4700.80	35	राजनांदगाव	2	8.50
18	झाबुआ/अलीराजपुर	17	10659.31	36	**कुल योग**	**14507**	**4628232.33**

अविभाजित मध्य प्रदेश के वन विहीन ग्राम या जिन ग्रामों की समस्त वनभूमि डीनोटीफाइड की उनकी संख्या

क्र.	जिले का नाम	ग्रामों की संख्या	क्र.	जिले का नाम	ग्रामों की संख्या
1	2	3	1	2	3
1	बालाघाट	865	18	धार	954
2	सीधी/सिंगरौली	580	19	झाबुआ/अलीराजपुर	656
3	शहडोल/अनूपपुर/उमरिया	1068	20	प.नि. (खरगोन)/ बड़वानी	1260
4	सीहोर	46	21	शिवपुरी	660
5	छतरपुर	1012	22	विदिशा	903
6	गुना/अशोकनगर	1279	23	बैतूल	829
7	खण्डवा (पू.नि.)/बुरहानपुर	655	24	राजगढ़	1051
8	रायसेन	614	25	मन्दसौर/नीमच	1286
9	सिवनी	828	26	देवास	887
10	छिंदवाड़ा	933	27	मुरैना/श्योपुर	721
11	टीकमगढ़	662	28	दतिया	340
12	रीवा	2512	29	गुना	873
13	सतना	1421	30	बिलासपुर	2067
14	मंडला/डिण्डौरी	904	31	सरगुजा	622
15	जबलपुर/कटनी	1817	32	बस्तर	716
16	नरसिंहपुर	800	33	रायगढ़	562
17	दमोह	1302		**कुल योग**	**31485**

अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य में बिना निर्वनीकरण के अन्तरित की गई भूमियों की जिलेवार जानकारी

राज्य शासन के द्वारा अधिक अन्न उपजाओं योजना के अन्तर्गत 1966 एवं राज्य मंत्रीमण्डल के निर्णय के अनुसार 1975 में अतिक्रमण व्यवस्थापन हेतु राजस्व विभाग को भूमियों का अन्तरण किया जाना बताया गया इन अन्तरित भूमियों के डीनोटीफिकेशन की राजपत्र में अधिसूचनाओं का प्रकाशन नहीं किया गया।

क्रमांक	जिले का नाम	अन्तरित जमीन	निर्वनीकरण की गई भूमि
1	ग्वालियर	45000.34	12787.32
2	गुना/अशोकनगर	56540.58	27491.23
3	पूर्व नि. (खण्डवा)/ बुरहानपुर	27214.15	22285.60
4	राजसेन	16543.81	9394.48
5	सिवनी	24649.89	11.96
6	छिंदवाड़ा	82610.8	17.18
7	टीकमगढ़	21093.53	8329.06
8	पन्ना	75494.51	374.32
9	रीवा	19722.67	
10	सतना	15322.05	
11	मंडला/डिण्डौरी	32885.21	20.50
12	जबलपुर/कटनी	28062.76	606.16
13	नरसिंहपुर	35294.03	
14	दमोह	48856.46	19899.77
15	धार	5407.53	4700.80
16	खण्डवा/अलीराजपुर	53875.69	10659.31
17	प.नि. (खरगोन)/ बड़वानी	3048.14	657.72
18	शिवपुरी	29375.50	5.67
19	सागर	4221.08	1.11
20	विदिशा	1205.50	
21	भोपाल	2765.40	
22	होशंगाबाद	28172.44	17.91
23	बैतूल	59441.84	45.35
24	इन्दौर	1395.55	85.00
25	रतलाम	841.00	
26	मन्दसौर/नीमच	3248.00	341.00
27	मुरैना/श्योपुर	7009.00	
28	बिलासपुर	201138.49	1008.51
29	रायपुर	305446.05	272857.98
30	बस्तर	188513.19	6089.94
31	दुर्ग	34257.37	2046.01
32	राजनांदगांव	62143.15	8.50
33	रायगढ़	320881.72	230.97
योग		**1841677.43**	**399973.35**

14 लाख 41 हजार 704 दशमलव 08 एकड़ भूमि बिना निर्वनीकरण के अन्तरित की गई इन भूमियों के निर्वनीकरण की अधिसूचना हेतु अनुमति के प्रस्ताव बनाए जाकर किसी भी वनमंडल ने वन मुख्यालय प्रेषित नहीं किए तो वन मुख्यालय ने भी इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की।

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त म.प्र. ग्वालियर के
पत्र क्रमांक 3209/सां. 12/ 1 सा./सा.सा./37/27/09 ग्वालियर दिनांक 07.01.2009 द्वारा प्रदत्त

वर्ष	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	गैरखातें का रकबा	खातें का रकबा	गैरखातें एवं खाते का योग
1	2	3	4	5
1956	44259612	0	0	0
1957	44275237	0	0	0
1958	44566225	0	0	0
1959	44598954	0	0	0
1960	44592498	0	0	0
1961	44522142	0	0	0
1962	44208085	0	0	0
1963	44066701	0	0	0
1964	44120587	0	0	0
1965	44234011	15361925	21284268	36646193
1966	44312468	15369431	21298826	36668257
1967	44312878	15362125	21331161	36693286
1968	44320784	15301878	21360165	36662043
1969	44266554	15511711	21379298	36891009
1970	44236732	15592270	21376377	36968647
1971	44237695	15506404	21412169	36918573
1972	44237105	15487669	21451086	36938755
1973	44233206	15453798	21492576	36946374
1974	44284374	15467330	21530212	36997542
1975	44263667	15289142	21600354	36889496
1976	44478984	15348085	21665696	37013781
1977	44309935	15173794	21838969	37012763
1978	44316807	15073008	21958791	37031799
1979	44198299	15076422	22008502	37084924
1980	44201421	15128960	22041256	37170216
1981	44210779	14469732	22071542	36541274
1982	44210835	14938464	22124557	37063021
1983	44210783	14871975	22197658	37069633
1984	44211274	14847424	22228264	37075688
1985	44210461	14799723	22272348	37072071
1986	44210561	14783749	22290039	37073788
1987	44210302	14785526	22310855	37096381
1988	44211596	14392281	22317171	36709452
1989	44213633	13702033	22332766	36034799
1990	44214432	13662135	22339549	36001684
1991	44343494	12467094	22361630	34828724
1992	44342046	12062661	22384010	34446671
1993	44342542	11786259	22386292	34172551
1994	44348160	10718988	22392074	33111062
1995	44348352	10689103	22405906	33095009
1996	44347322	10739765	22410099	33149864
1997	44346360	10514981	22410278	32925259
1998	44345829	10484674	22416294	32900968
1999	44349016	10322243	22454333	32776576

आयुक्त एवं बन्दोबस्त म.प्र. ग्वालियर का
पत्र क्र. 3209/सा-12/1 सा/सा.सा./37/37/09 दिनांक 7/11/09

राज्य - मध्यप्रदेश वर्ष 1969-70

क्र.	जिले का नाम	बड़े झाड़ का जंगल	छोटे झाड़ का जंगल	पहाड़ चट्टान	गैर खाते का योग	गैर खाते एवं खाते का योग
1	2	3	4	5	6	7
1	शिवा	66302	23444	37803	152074	628745
2	सीधी	452868	50251	138378	676969	1039075
3	शहडोल	134630	56214	83938	310754	742432
4	पन्ना	181482	66043	96815	371562	640500
5	छतरपुर	86088	163609	102381	393404	883068
6	टीकमगढ़	24391	106589	38280	197054	462660
7	दतिया	19311	18510	3978	60698	203481
8	शहडोल	495172	159264	72110	768946	1386006
9	जबलपुर	55288	119469	104217	327829	926515
10	बालाघाट	243073	39525	7194	329096	658373
11	छिंदवाड़ा	283035	62199	46252	436050	1013441
12	सागर	102802	109347	16200	266446	831552
13	नरसिंहपुर	71374	43272	1038	136506	447641
14	सिवनी	114464	45539	8679	202403	660690
15	दमोह	65594	45781	62404	200207	524760
16	पन्नालाल	77598	57250	68158	254495	827657
17	इन्दौर	23120	27157	2650	72055	353859
18	रतलाम	34484	67090	31779	154618	486597
19	उज्जैन	4394	52275	0	85329	607379
20	मन्दसौर	104719	114201	103641	429214	946436
21	देवास	176072	39376	13635	256760	672345
22	धार	75440	88485	105732	306441	824575
23	झाबुआ	115242	78715	110963	338111	679281
24	खरगौन	104120	94435	59846	304843	977459
25	खण्डवा	38818	47202	19415	146422	637961
26	ग्वालियर	110340	51428	58236	250788	521887
27	भिण्ड	7331	37054	29868	102013	445196
28	गुना	321920	181237	203095	768893	1168656
29	शिवपुरी	193353	224612	94455	575237	1017346
30	मुरैना	156213	219297	107601	535417	1098150
31	भोपाल	39331	33910	2614	99938	270771
32	सीहोर	229230	86558	7437	373138	934255
33	रायसेन	344915	46330	2465	427839	848904
34	विदिशा	81680	80124	21285	214953	730210
35	होशंगाबाद	114612	43792	5700	210654	744291
36	बैतूल	121198	25399	25897	210776	706285
37	राजगढ़	13107	78132	26917	150030	611702
38	शाजापुर	2918	63851	34690	137183	617804
39	रायपुर	209341	173940	21125	509335	1507064
40	दुर्ग	113214	152652	31472	398542	1556999
41	बस्तर	790234	287827	112828	1252201	2072878
42	बिलासपुर	355341	143521	46618	625046	1519766
43	रायगढ़	142311	122004	116791	442400	1014509
44	सरगुजा	720177	397962	48246	1229438	1810257
योग		**7218647**	**4224872**	**2330836**	**15692108**	**37239418**

राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा प्रतिवेदित आंकड़े

वर्ष	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल (हेक्टयर में)	गैर खातें का रकबा (हेक्टयर में)	खाते का रकबा (हेक्टयर में)	वन विभाग द्वारा प्रतिवेदित वन भूमि (हेक्टयर में)	योग (हेक्टयर में)	भूमि के आंकड़ो में अंतर (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5	6	7
1956	44259612	0	0	0		
1957	44275237	0	0	17246000		
1958	44566225	0	0	17073700		
1959	44598954	0	0	17103200		
1960	44592498	0	0	17127800		
1961	44522142	0	0	17266400		
1962	44208085	0	0	17297800		
1963	44066701	0	0	17291100		
1964	44120587	0	0	17285000		
1965	44234011	15361925	21284258	17160900	53807093	9573082
1966	44312468	15369431	21298826	17170800	53839057	9526589
1967	44312878	15362125	21331161	17198500	53891786	9578908
1968	44320784	15301878	21360165	17169200	53831243	9510459
1969	44268554	15511711	21379298	17094800	53985809	9717255
1970	44236732	15592270	21376377	16835500	53804147	9567415
1971	44237696	15506404	21412169	16874800	53793373	9555677
1972	44237105	15487669	21451086	16863700	53802455	9565350
1973	44233206	15453798	21492576	16616100	53562474	9329268
1974	44284374	15467330	21530212	16616100	53613642	9329268
1975	44263667	15289142	21600354	16459700	53349196	9085529
1976	44478964	15348085	21665696	16313500	53327281	8848317
1977	44309935	15173794	21838969	15638600	52651363	8341428
1978	44316807	15073008	21958791	15638600	52670399	8353592
1979	44198299	15076422	22008502	15638600	52723524	8525225
1980	44201421	15128960	22041256	15541400	52711616	8510195
1981	44210779	14469732	22071542	15541400	52082674	7871895
1982	44210835	14938464	22124557	15541400	52604421	8393586
1983	44210783	14871975	22197658	15541400	52611033	8400250
1984	44211274	14847424	22228264	15541400	52617068	8405814
1985	44210461	14799723	22272348	15541400	52613471	8403010
1986	44210561	14783749	22290039	15541400	52615188	8404627
1987	44210302	14785526	22310855	15541400	52637781	8427479
1988	44211596	14392281	22317171	15541400	52250852	8039256
1989	44213633	13702033	22332766	15541400	51576199	7362566
1990	44214432	13662135	22339549	15541400	51543084	7328652
1991	44343494	12467094	22361630	15541400	50370124	6026630
1992	44342046	12062661	22384010	15449669	49896340	5554294
1993	44342542	11766259	22386292	15449669	49622220	5279678
1994	44348160	10718988	22392074	15450159	48561221	4213061
1995	44348352	10689103	22405906	15450639	48545648	4197296
1996	44347322	10739765	22410099	15450640	48600504	4253182
1997	44346960	10514981	22410278	15450640	48375899	4028939
1998	44345829	10484674	22416294	15450640	48351608	4005779
1999	44349016	10322243	22454333	15450640	48227216	3878200

गांव के नक्शों के लिये रूढ़ चिन्हों (अलामात) का चार्ट

सभी चिन्ह साफ, स्पष्ट तथा सुव्यक्त रूप में बनाये जाने चाहिए।

(1) श्मशान और (2) कब्रिस्तानों का मापन करने और उन्हें क्रमांक देने के पश्चात् इस रूप में दर्शाया जाना चाहिए।

सैनिक शिविर स्थल - ये हमेशा भूमि पर पक्के मुनारों द्वारा दर्शाये जाते हैं। मापन कर उन्हें क्रमांक दिये जाने चाहिए तथा खम्भों की सही स्थिति भी नक्शे में दर्शाई जानी चाहिए।

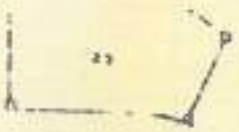

सड़कें - सभी सड़कों का मापन कर उन्हें क्रमांक दिये जाएं। सड़क की पूरी लम्बाई के लिये केवल एक क्रमांक का उपयोग किया जाये।

पक्की सड़कें - ये बीच में दो टूटी रेखाओं द्वारा विशिष्ट रूप से दर्शाई जाएंगी, किन्तु इन रेखाओं को पृथक क्रमांक नही दिया जाना चाहिए। इन सड़कों की चौड़ाई बी (फर्लांग) पत्थर होंगे।

रेल मार्ग - इनकी चौड़ाई भी सीमा पत्थरों द्वारा दर्शाई जाती है। यदि सड़क से संलग्न कोई क्षेत्र रेल्वे द्वारा अर्जित कर लिया गया हो, तो केवल सीमाओं का मापन किया जायेगा।

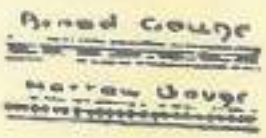

कच्ची सड़कें - केवल दो रेखाओं द्वारा, जो कि सड़क की चौड़ाई होगी, दर्शाई जाएंगी और उनके बीच में एक टूटी रेखा होगी।

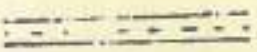

अस्थायी खुले मौसम के गाड़ी मार्ग - जब गाड़ी मार्ग अस्थायी हों और परम्परानुसार केवल उसी समय, जब कि खेत में कोई फसल खड़ी हो, किसी खेत में से होकर जाते है तो दो टूटी हूई रेखाओं द्वारा दर्शाए जाएंगे, किन्तु उन्हें क्रमांकित नहीं किया जायेगा। कुछ स्थानों में ये मार्ग स्थिति की दृष्टि से वर्ष-प्रतिवर्ष थोड़ा-बहुत बदलते रहते है। ये परिवर्तन दर्शाने के लिए नक्शे में परिवर्तन नहीं किये जाने चाहिए। यह चिन्ह एक ऐसा रूढ़ चिन्ह (अलामात) मात्र जाना चाहिए, जो कि वहां से आने जाने का अधिकार दर्शाता हैं न कि मार्ग की वास्तविक स्थिति।

पगडण्डियाँ - अन्य ग्रामों, जल स्त्रोतों या जंगलों को जाने वाली और सभी ग्रामीणों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली सभी मान्य और स्थायी पगडण्डियाँ एक टूटी हुई रेखा द्वारा दर्शाई जानी चाहिए और बीच में कोई खाली स्थान नहीं छोड़ना चाहिए. उदाहरणार्थ ग्राम सीमा से परे तक जाने वाली गाड़ी मार्ग सीमा रेखा तक अपनी पूरी लंबाई में दर्शाए जाने चाहिए।

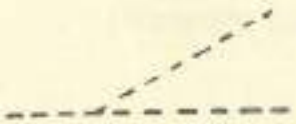

टूटी रेखाओं की छोटी–छोटी रेखाऐं समान लम्बाई की और समान दूरी पर तथा पर्याप्त लम्बी बनाई जानी चाहिए, जिससे की पहले से ही बनाई गई बिन्दु रेखा से कोई भ्रम पैदा न हो।

क्रमांकों और खेतों की सीमाओं के लिये विभिन्न प्रकार की रेखाएं - सीधी रेखाएं जब दो क्रमांको के बीच की सीमा रेखा भूमि पर निश्चित हों तब वह सीधी रेखाओं द्वारा दर्शाई जायेंगी।

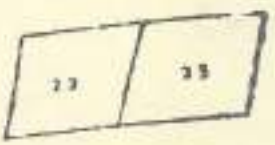

छोटी-छोटी (डेश-डॉट) रेखाऐं - दो क्रमांकों के बीच (विभिन्न अधिकारों या कब्जे के अन्तर्गत धारित) सीमा रेखाऐं जो भूमि पर सुस्पष्ट रूप से निश्चित न हो छोटी–छोटी रेखाओं (डेश–डॉट) लाईन द्वारा दर्शाई जाएंगी।

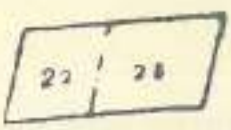

बिन्दु रेखाएं - किसी खेत के भीतरी विभाग (जहाँ धान खेतों की डोलियां भी दर्शाई जानी हों) बिन्दु रेखाओं द्वारा दर्शाये जाएंगे।

किसी क्रमांक के ऐसे नाले (स्ट्रीम) जिनमें वस्तुतः खेती तो न की जाती हो किन्तु जो कब्जें में रखे गये हों तथा अन्य गैरमुमकीन भूमि भी इसी प्रकार दर्शाई जायेगी। बिंदु छोटे, गोल और समान दूरी पर होने चाहिए, जिसके कि पहले से ही बनाई गई टूटी रेखा से कोई भ्रम न हो। सीधी और छोटी–छोटी रेखाओं का उपयोग क्रमांकों की सीमा के रूप में किया जाता है, टूटी और बिन्दु रेखाओं का क्रमांकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

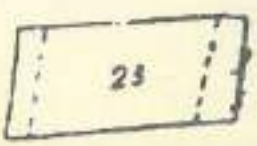

बंधान - खेतों के बड़े बांध बाजू में बतलाये अनुसार दर्शाये जाने चाहिए। रेखा छाया (हेचिंग) की लम्बाई और दूरी एक ही होनी चाहिए।

तालाब बंधान - पृथक् क्रमांकित किये जाने चाहिये। रेखा छाया (हेचिंग) की दूरी समान होनी चाहिए।

कुओं का भू–मापन किया जाना चाहिए और यदि वे स्थायी स्वरूप के हों तो नक्शें पर उनकी सही स्थिति दर्शाई जानी चाहिए –

पक्का (दोहरे क्रम में)

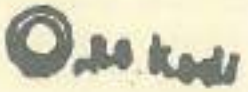

कच्चा (एक वृत्त में)

स्थायी बाबड़ी

नदी - नाले

जहाँ नदी पर पुल बनाकर सड़क बनाई गई हो – जहाँ किसी नदी या नाले पर पुल बनाकर सड़क बनाई गई हो वहां, सड़क लगातार बनाई जानी चाहिए और नदी को टूटी हुई दर्शाई जानी चाहिए।

जहाँ नदी पर रपट बनी हो वहां नदी लगातार बताई जाय और सड़क टूटे रूप में दर्शाई जाय।

नहरें - सिंचाई और अन्य नहरें दो रेखाओं द्वारा, जो कि उनकी चौड़ाई होगी, दर्शाई जानी चाहिए।

खाइयाँ (बेहड़) - जब गहरी हों तो तभी नक्शें पर दर्शाई (बतलाई) जायें किंतु उन्हें तब तक पृथक् क्रमांक नही दिये जाने चाहिए तब तक कि उन्हें नदी या नाले का हिस्सा नहीं माना जाए।

धान के खेत की डोलियाँ – धान के खेत की डोलियों की पहिली कतार आँख से देखकर अन्दाज से खींची जानी चाहिए और वह क्रमाक की सीमा के चारों ओर बिन्दु नुक्तेदार रेख द्वारा दर्शाई जानी चाहिए। शेष अलामात के जरिये बतलाई

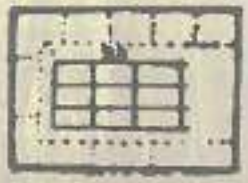

जावें। रेखाऐं, समान दूरी पर होनी चाहिए।

वृक्ष – रूढ़ चिन्ह (अलामात) हमेशा लम्बे रूप में दर्शाए जाने चाहिए। झुके रूप या तिरछे कभी भी नहीं।

इक्के-दुक्के वृक्ष - बड़े-बड़े इक्के-दुक्के बिरले वृक्ष स्थाई चिन्हों जो कि मुस्तकिल निशानात का काम देते हों भू-मापन कर नक्शें में अपनी ठीक जगह बनाना चाहिए। ताड़ के वृक्ष का रूढ़ चिन्ह (अलामात) अलग है।

बड़े वृक्ष के उपवन – ऐसे क्षेत्र का, जिसमें बड़े वृक्षों के उपवन हों (उदाहरणार्थ-आम), भू-मापन और क्रमांकन किया जाना चाहिए। उपवन (बाग-बगीचे) दर्शाने के लिये कुछ रूढ़ चिन्ह (अलामात) बनाये जाने चाहिए जो अलग-अलग वृक्षों के चिन्ह (निशानात) के बराबर हों।

छोटे वृक्षों के उपवन (बगीचे) – पंक्तियों (कतारों) के लगाये गये फल के छोटे वृक्षों के चिन्ह अपेक्षाकृत छोटे होने चाहिए और पंक्तियों में दर्शाये जाने चाहिए।

बड़े वृक्षों के वन - इस क्षेत्र के सम्बन्ध में कुछ चिन्ह (निशानात) लगाना पर्याप्त होगा। उपवन (बगीचों) के चिन्ह के भिन्न दर्शाने के लिये दो-दो वृक्ष एक साथ बतलाये जाने चाहिए। और यह चिन्ह उपवन या इक्के-दुक्के वृक्षों के चिन्हों से बड़े होने चाहिए।

पड़ती (बन्जर) भूमि के वृक्ष – जहां पड़ती भूमि में अनेक वृक्ष हों वहां भूमि की स्थिति दर्शाने के लिए चिन्ह बनाए जाने चाहिए।

पड़ती (बन्जर) भूमि घांस - ऐसे क्षेत्र पर कुछ चिन्ह लगाना पर्याप्त होगा।

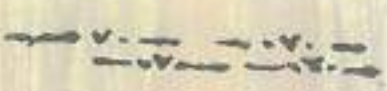

छोटे झाड़ का जंगल – घास के बीच फैले हुए इक्के दुक्के कुछ वृक्षों के निशानात बतलाना पर्याप्त होगा।

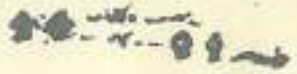

पहाड़ी – इक्की–दुक्की पहाड़ियाँ अपनी ठीक स्थिति में दर्शाई जानी चाहिए।

चट्टानें या खेती के अयोग्य (गैरमुमकिन) पथरीली जमीन – इसे दर्शाने के लिये एक या दो चिन्ह पर्याप्त होंगे।

(1) मंदिर, (2) मस्जिद, (3) गिरजाघर, (4) हवाई अड्डा – इनका सर्वेक्षण किया जाना चाहिए और प्रत्येक के सामने बतलाये गये अलामात द्वारा उनकी ठीक स्थिति दर्शाई जानी चाहिए।

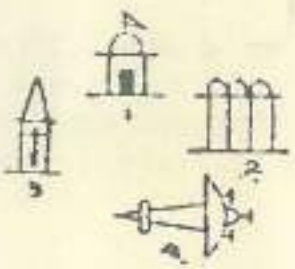

आबादी क्षेत्र के बाहर डाकबंगले, शालाएं और सराय – इनका भू–मापन और क्रमांकन किया जाना चाहिए और आबादी के चिन्ह लगाये जाना चाहिए किंतु वह छोटे होने चाहिए और इंडियन इंक से बनाये जाने चाहिए। चिन्ह की दक्षिणी और पूर्वी रेखाएं अपेक्षाकृत मोटी होंगी।

ट्रावर्स स्टेशन – इन्हें और इन्हें जोड़ने वाली रेखाओं को नक्शें पर नीली स्याही (कोबाल्ट) में दर्शाया जाना चाहिए। ग्राम सीमा पर स्थित स्टेशनों को भीतरी स्टेशनों से कुछ बड़ा बनाकर भिन्न रूप में दर्शाया जायेगा। सोलह इंच– 1 मील के पैमानें पर के स्टेशनों की त्रिज्या 0.5 चैन और भीतरी स्टेशनों की 0.4 चैन होगी।

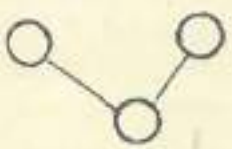

तिगड्डा – इन्हें इंडियन इंक में समान आकार के खाली वर्ग द्वारा जिसके बीच में एक बिन्दु हो दर्शाना चाहिए।

जब तिगड्डा ट्रावर्स स्टेशन भी हो तो वर्ग नीले वृत्त अन्दर रहना चाहिए।

ग्राम सीमा – ग्राम सीमा सीधी मोटी रोड़ा द्वारा दर्शाई जानी चाहिए और सभी सीमा–स्तम्भ अपनी ठीक स्थिति में दर्शाई जानी चाहिए।

जब ग्राम सीमा शासकीय वन में हो – जब ग्राम सीमा शासकीय वन में हो तो वन सीमा रेखा के प्रत्येक स्तम्भ का भू–मापन किया जाना चाहिए और उसकी सही स्थिति, उसके नीचे उसका क्रमांक देकर दर्शाई जानी चाहिए।

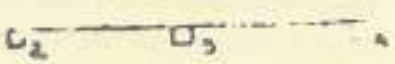

नदी को पार करने वाली ग्राम सीमा – जब कोई ग्राम सी किसी नदी को पार करे, तो वह पास–पास दो बिन्दुओं (नुक्ते) रखकर बतलाई जावे।

नदी में ग्राम सीमा जो हो – यदि दो ग्रामों की सीमा नदी के बीच में हो तो उसे नदी के मध्य से छोटी बिन्दु मोटी (डैश डाट) रेखाओं द्वारा दर्शायी जाना चाहिए।

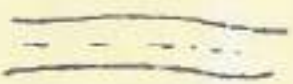

जहां इसके लिए पर्याप्त जगह न हो वहां बिन्दु नदी के दोनों ओर एक के बाद एक बतलाए जावें, इस बात की सावधानी रक्खी जाय कि किसी एक ग्राम के संबंध में बिन्दु रेखा के रूप में दर्शाई गई सीमा रेखा उसी स्थान पर हो जहां कि निकटस्थ ग्राम से संबंध में खींची गई सीमा रेखा है।

ग्राम सीमा जो नदी के किसी हिस्से पर हो – जहां किसी नदी का भाग ही ग्राम की सीमा हो वहां रेखा को नदी के मध्य में शेष सीमा से सही रूप से जोड़नें की सावधानी बरतनी चाहिए और जब आधी नदी ग्राम में सम्मिलित हो तो उसे सम्पूर्ण नदी ग्राम में सम्मिलित होने के स्थान से एक पृथक् क्रमांक दिया जावे।

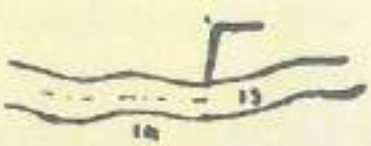

ग्राम आबादी – नक्शे में आबादी की रेखाएँ ग्राम सीमा रेखा के समान ही मोटी तथा सीधी रेखा द्वारा इंडियन इंक से दर्शाया जाना चाहिए। रूढ़ चिन्ह खाली स्थान की गुंजाईश को देखते हुए बनाना चाहिए। इन चिन्हों की दक्षिणी और पूर्वी रेखांश उत्तरी–पश्चिमी रेखाओं की अपेक्षा कुछ मोटी होनी चाहिए।

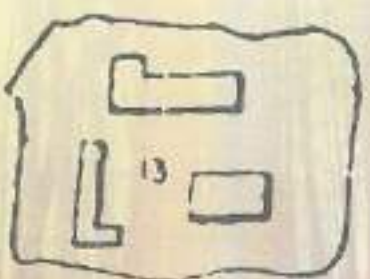

अक्षरांकन और क्रमांकन – सभी अक्षरांकन और क्रमांकन पूर्व से पश्चिम की दिशा में किया जाना चाहिए, भू–खंड (प्लाट की ढलान की दिशा में नहीं जब भूखण्ड (प्लाट) में पर्याप्त जगह न हो तो क्रमांक उसके बगल में लिखा जाना चाहिए। क्रमांक सभी जगह एक आकार और स्वरूप के होने चाहिए और अक्षर एक ही स्वरूप के होने चाहिए किंतु उनका आकार उस प्रयोजन के अनुसार जिसके लिये उनका उपयोग किया गया हो, बदलता रहेगा। अक्षरों और क्रमांकों का स्वरूप वहीं होगा, जो वहां दिया गया है।

नक्शों का शीर्षक – मानचित्र का शीर्षक तीन–एक के केन्द्रीय वृत्तों से बीच के वृत्त की रेखा अपेक्षाकृत मोटी होगी, बनाया जाना चाहिए। उस ग्राम का नाम, जिसका यह नक्शा हो, तहसील या जिले के नाम की अपेक्षा बड़े टाईप में लिखा जाना चाहिए, जिससे कि दृष्टि पहले–पहल उसी पर पड़े। उत्तर दिशा हमेशा एक तीर द्वारा दर्शाई जानी चाहिए।

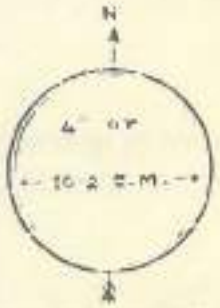

निकटस्थ ग्रामों के नाम – इन्हें बड़े टाईप में लिखा जाना चाहिए और पूरी सीमा पर फैलाते हुए लिखकर सीमा के लगभग बीच में पूर्व से पश्चिम दिशा में लिखना चाहिए। अक्षरों का आकार, और मुटाई तथा उनके बीच की दूरी प्रत्येक नाम में एक ही होना चाहिए।

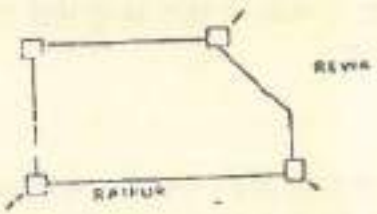

अनिल गर्ग

सामाजिक–राजनैतिक कार्यकर्ता, लेखक, शोधार्थी और वकील
जंगल–जमीन के मामलों का ऐतिहासिक अध्ययन
लोगों के हकों की लड़ाई के लिए संघर्षरत

बैतूल के एक राजनैतिक परिवार में जन्म। वकालत उन्हें विरासत में मिली। वकालत को लोगों के अधिकार के लिए अपना माध्यम बनाया। संघर्ष की शुरुआत में पत्रकारिता भी की और कई प्रतिष्ठित अखबारों में लेखों ने खलबली मचाई। किसी एक विषय पर महारत हासिल करने के लिए जंगल–जमीन को अपने अध्ययन के केन्द्र में लाए। केवल भावनात्मक आधार पर नहीं, पूरा अध्ययन तथ्यात्मक दृष्टिकोण से, दस्तावेजों के आधार पर किया। लोगों के बीच 'काका' नाम से ख्यात अनिल गर्ग की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वह हमेशा तथ्यों और संदर्भों के साथ अपनी बात रखते हैं। जंगल–जमीन के मामलों में वह म.प्र. और छत्तीसगढ़ के चुनिंदा विशेषज्ञों में शुमार हैं। कभी अपने सिद्धांतों से समझौता न करने वाले काका अपनी बेबाक बोली के कारण कई लोगों से अपने संबंध खराब करने के लिए भी जाने जाते हैं, बावजूद इसके वह बोलना नहीं छोड़ते। यही उनकी शैली है। काका के कड़क मिजाज के पीछे एक बेहतरीन इंसान है, जो आमजन के दुख–दर्द को लेकर बेहद संजीदा है।

एकता परिषद की पदयात्रा के दौरान पदयात्रा के संदर्भ में अनिल जी ने पांच किताबें लिखी। वन अधिकार बिल पारित होने पर 'जंगल, जमीन, ऐतिहासिक अन्याय, जिम्मेदार कौन' शीर्षक से किताब लिखी। एकता परिषद की 2007 की यात्रा के दौरान भी उन्होंने एक किताब लिखी। विंध्य और बुंदेलखंड के भूमि विवादों पर एक किताब प्रकाशित हुई। राज्यपाल और राष्ट्रपति की याचिकाओं पर एक किताब लिखी। एक किताब 'आरेंज एरिया' अंग्रेजी में भी प्रकाशित हुई। वर्ष 2017 में "क्यों नहीं मिले सामुदायिक हक" एवं "ऐतिहासिक अन्याय बनाम असली दावेदारी" पुस्तक भी प्रकाशित हुई।

अनिल गर्ग के बेटे निकुंज गर्ग एवं बेटी पलक गर्ग दोनों अपने कैरियर को आगे बढ़ा रहे हैं। जीवन संगिनी उमा गर्ग का हर कदम पर साथ मिला।